चतुर्थ माला, खंड 28, अंक 41 — बुधवार, 16 अप्रैल, 1969/चैत्र 26, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol. XXVIII, No. 41 — Wednesday, April 16, 1969/Chaitra 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
7-7-94
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया — *Price: One Rupee*

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

अंक 41, बुधवार, 16 अप्रैल, 1969/26 चैत्र, 1891 (शक)
No. 41, Wednesday, April 16, 1969/Chaitra 26, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1113. विदेशी मलकियत वाली चाय कम्पनियां	Foreign owned Tea Companies ..	1—5
1115. श्रीनगर के ऊपर विदेशी हैलीकाप्टर का देखा जाना	Foreign Helicopter sighted over Srinagar ..	6—9
1116. दक्षिण अमरीकी देशों में अमरीका द्वारा भारत का गलत चित्र प्रस्तुत किया जाना	Projecting a wrong Image of India by USA to South American Countries ..	9—14
1117. विमानों के फालूत इन्जन	Spare Aero-Engines ..	14—16
1118. निरंकारी जत्थे को तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति का न दिया जाना	Refusal of Permission to Nirankari Jatha for visit to Pakistan for Pilgrimage ..	16—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1111. भारतीय माल का नेपाल के जरिए अन्य देशों को निर्यात	Diversion of Export of Indian Goods to third Countries via Nepal ..	18—20
1112. पटसन उद्योग	Jute Industry ..	20—21
1114. ताशकन्द समझौता	Tashkent Agreement ..	21
1119. ग्रामोफोन-रिकार्डों का निर्यात	Export of Gramophone Records ..	21

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1120. पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में वांचू समिति का प्रतिवेदन	Wanchoo Committee's Report on Development of Backward Areas ..	22
1121. संयुक्त राष्ट्र संघ में राजभाषा हिन्दी	Hindi as Official Language in U. N. ..	22
1122. सान फ्रान्सिसकों में हिन्दुस्तान गदर पार्टी का स्मारक	Memorial to Hindustan Gadar Party in San Francisco ..	22—25
1123. उत्तर भारत कपड़ा मिल संघ	North India Cotton Mills Association	25
1124. दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत के लिए जापान को प्रतिनिधिमंडल	Delegation to Japan for Talks on South East Asia Problems ..	25—26
1125. गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले लोक नर्तकों को दैनिक भत्ता	Daily Allowance for Folk Dancers who come for Republic Day Celebrations ..	26
1126. प्रतिरक्षा कार्यों के लिए ऊंटों तथा खच्चरों की वार्षिक आवश्यकता	Annual Requirements of Camels and Mules for Defence Purposes	27
1127. दिल्ली से भिन्न स्थानों में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करना	Holding of Important Meetings at Centres other than Delhi ..	27—28
1128. खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारतीय पटसन फसल के स्वरूप का अध्ययन	Study of Indian Jute Crop Pattern by FAO ..	28
1129. रूस के योजना मंत्री का दौरा	Visit by USSR Minister of Planning ..	28—29
1130. पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां	Submarines with Pakistan ..	29
1131. आयात तथा निर्यात के संयुक्त नियंत्रक द्वारा दिये गये लाइसेंस	Licences issued by the Joint Controller of Imports and Exports ..	29—30
1132. तमिलनाडु के कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का विकल्प रूप प्रशिक्षण	Alternative to NCC Training in Colleges in Tamil Nadu ..	30
1133. मछली से बने पदार्थों का निर्यात	Export of Fish Products ..	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1134. जापान के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Japan ..	31—32
1135. नेपाल से कृत्रिम रेशे वाले कपड़े का आयात	Import of Synthetic Fabrics from Nepal ..	32
1136. पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों के वक्तव्य	Statement issued by eminent men of West Bengal ..	32—33
1137. विद्रोही मिजो सेना हिरासत से भाग जाना	Escape of Mizo Hostile from Army custody ..	33
1138. रांची स्थित बिरला प्रौद्योगिकी संस्था में अन्तरिक्ष इन्जीनियरी और राकेट विज्ञान विभाग .	Department of space Engineering and Rocketry in Birla Institute of Technology, Ranchi ..	33—34
1139. नेपाल में भारतीय सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध	Ban on Sale of Indian Cigarettes in Nepal ..	34
1140. ऊन का आयात	Import of Wool ..	34—35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6541. भारतीय राजनयिकों को पोशाक के बारे में हिदायतें	Instructions to Indian Diplomats Re: Dress ..	35
6542. भारतीय दूतावासों को इमारतों की भारतीय आकृति	Indian look to Indian Embassy Buildings ..	36
6543. संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशी संगठनों को भारतीय अंशदान	Indian contribution to UNO and other foreign organisations ..	36
6544. कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों को विभाग द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं खरीदने की अनुमति न दिया जाना	Employees of Canteen Stores Department (India) not permitted to purchase goods on sale ..	36—37
6545. कैन्टीन स्टोर्स विभाग, बम्बई में कल्याण अधिकारी	Welfare Officer in Canteen Stores Department at Bombay ..	37
6546. सेवामुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) से स्कूटर प्राप्त करने से वंचित करना	Released Emergency Commissioned Officers debarred from getting scooters from Canteen Stores Departments (India) ..	37—38

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
6547. आयनीकरण और विकिरण के खतरों से कर्मचारियों की रक्षा	Protection of workers against Ionization and Radiation Hazards ..	38—39
6548. निर्यात करने के हक का हस्तान्तरण	Transfer of Export Entitlements ..	39—40
6549. सेना मुख्यालयों के लिये ग्रीष्म ऋतु में कार्यालय के समय में परिवर्तन	Summer Timings in Services Headquarters ..	40
6550. त्रिपुरा में चाय बागान	Tea Gardens in Tripura ..	41
6551. त्रिपुरा की वार्षिक योजना	Annual Plan of Tripura	41—42
6552. आयात करने के अधिकार के बारे में दावे	Claims for Import entitlements ..	42
6553. गोमांस के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import and Export of Beef	42—43
6554. भारत-जापान औद्योगिक सहयोग	Indo-Japan Industrial Collaboration ..	43
6555. भारी बख्तर बन्द टैंक	Heavy armoured tanks ..	43—44
6556. हज यात्री	Haj Pilgrims ..	44
6557. नर्म लकड़ी को सख्त लकड़ी में बदलना	Conversion of soft wood into hard wood ..	45
6558. अफ्रीकी-एशियाई उद्योग विकास में भारत द्वारा भाग लिया जाना	Indian participation in Afro-Asian Development of Industries ..	45
6559. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	Electronics Corporation of India Ltd. ..	45—46
6560. पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under Passports Act ..	46—47
6561. मैसर्स कमानी एण्ड कम्पनी, बम्बई	M/s. Kamani and Company, Bombay ..	47
6562. केलों का निर्यात	Export of Bananas ..	47
6563. मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in Madhya Pradesh ..	48
6564. प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका उपक्रम	Indo-Ceylon Venture on Plastic ..	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6565.	सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अपर डिवीजन क्लर्क	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Upper Division Clerks, working in A. O. C. Record Office Secundrabad ..	48—49
6566.	श्रीलंका के प्रवासियों का सामूहिक आगमन	Exodus of Ceylon Migrants ..	49—50
6567.	नेपाल में सड़कों के निर्माण के लिए सहायता	Assistance for construction of Roads in Nepal ..	50
6568.	टैरीन के धागे, सूती तथा ऊनी कपड़े का उत्पादन	Production of Terene Fibre Cotton and Woollen Cloth ..	50—51
6569.	अल्जीरिया के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Algeria ..	51
6570.	भारत-फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता	Indo-French Bilateral Talks ..	51—52
6571.	जोहन्सबर्ग में ग्रूप एरियाज एक्ट लागू होना	Application of Group Areas Act in Johanesburg ..	52
6572.	देहरादून स्थित इण्डियन मिलिटरी कालेज में गुजरात के छात्र सैनिकों को छात्रवृत्तियां	Scholarships for student Cadets from Gujarat in Indian Military College, Dehra Dun	53
6573.	रुपयों में भुगतान सम्बन्धी व्यापार	Rupee Payment Trade ..	53—54
6574.	बी० ट्विल का विनियंत्रण	Decontrol of B. Twill ..	54
6575.	दिल्ली छावनी में सैनिक रिहाइशी बस्तियों में फ्लश की व्यवस्था वाले शौचालय	Flush Latrines in Military Residential colonies in Delhi Cantonment ..	54—55
6576.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विक्रय समिति को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to All India Handloom Fabrics Marketing Society ..	55
6577.	भारत में बनाये गये ट्रांजिस्टर सेट	Transistors produced in India ..	55—56
6578.	ब्रिटेन में सिखों पर प्रतिबन्ध	Restriction on Sikhs in U. K. ..	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6579.	पुर्तगाली कारावास से श्री मोहन रानाडे की रिहाई	Release of Shri Mohan Ranade from Portuguese Jail ..	56—57
6580.	गोआ की लड़कियों का अबु-डाबी को निष्क्रमण	Exodus of Goan Girls to Abu Dabi	57
6581.	पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade with West Germany ..	57—58
6582.	बी० ट्विल बोरों पर से नियन्त्रण हटाना	Decontrol of B. Twill Gunny Bags	58
6583.	रूस को चलचित्रों का निर्यात	Export of Films to USSR ..	58—59
6584.	आर्मी बेस वर्कशाप (ई० एम०-ई०) दिल्ली छावनी	Army Base Workshop (EME) Delhi Cantonment	59
6585.	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against officers of Ministry of Foreign Trade and Supply ..	59—60
6586.	धोखाधड़ी के सौदों में फसे व्यापारी	Traders involved in Fraudulent Transactions	60
6587.	उपचार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति	Persons going abroad for Medical Treatment	60—61
6588.	प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों का चयन	Selection of Seheduled Castes and Scheduled Tribes Officers in Defence Production Department ..	61
6590.	नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Nagas	61—62
6591.	रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of Radios and Transistors ..	62—63
6592.	नेपाल के साथ व्यापार संतुलन	Balance of Trade with Nepal ..	63
6593.	नेपाल द्वारा कृत्रिम रेशे के बने हुए कपड़े का निर्यात	Export of Synthetic Knitted Fabrics by Nepal ..	63
6594.	गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए सुविधायें	Facilities to non-priority industries ..	64
6595.	भारत में ताना बुनने की मशीनें	Warp knitting machines in India ..	64—65

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6596.	भारत से निर्यात	India's Exports ..	65
6597.	पाकिस्तान की शक्तिशाली नौसेना	Powerful Pakistan Navy ..	66
6598.	मिग विमान की निर्माण लागत	Cost of Manufacturing MIG plane ..	66
6599.	केन्द्रीय आयुध डिपुओं के अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी	Extra temporary Employees of Central Ordnance Depots ..	67
6600.	भारतीय पक्षियों का निर्यात	Export of Indian Birds ..	67—68
6601.	नेपाल को दी जाने वाली पारगमन सुविधायें	Transit Facilities to Nepal ..	68—69
6602.	1962 और 1965 के संघर्षों में वीरगति प्राप्त उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के जवान	Soldiers belonging to Hilly Districts of U. P. killed in 1962 and 1965 conflicts ..	69
6603.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के सैनिक जवान तथा अधिकारी	Soldiers and Officers belonging to Hilly Districts of U. P. ..	70
6604.	डी० डब्ल्यू० आटे की बोरियों की खरीद	Purchase of D. W. Flour Bags ..	70
6605.	चाय का निर्यात	Export of Tea ..	70—71
6606.	सुस्ता सम्बन्धी नक्शों की संयुक्त जांच	Joint Scrutiny of Susta Map ..	71
6607.	रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से छपाई मशीनों का आयात	Import of Printing Machines from the Rupee Payment countries ..	71—72
6608.	बहरामपुर रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र	Berhampore Sericulture Research Station ..	72
6609.	संयुक्त गुप्तलेख विभाग में तदर्थ पदोन्नतियां	Ad-hoc promotions in Joint Cipher Bureau ..	73
6610.	संगणक उद्योग	Computer industry ..	74
6611.	बंगाली चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों का कोटा	Quota of Raw Films to Bengali Film Producers ..	74
6612.	विद्रोही नागाओं के साथ पकड़े गए पाकिस्तानी लोग	Pakistanis captured alongwith Hostile Nagas ..	75

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
6613. विदेशों से भारत आने वाले भारतीय	Indian Coming from Abroad ..	75
6614. भारत का निर्यात और आयात व्यापार	India's Export and Imports ..	75—76
6615. संयुक्त गुप्तलेख (साइफर) विभाग में तकनीकी सहायकों के स्थायी पद	Permanent posts of Technical Assistants in Joint Cipher Bureau ..	76—77
6616. चिलका में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र	Naval Training Centre at Chilka ..	77
6617. छपाई की मशीनों का आयात	Import of Printing Machine ..	77—78
6618. अफगानिस्तान को चाय का निर्यात	Export of Tea to Afghanistan ..	78
6619. आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के जब्त किये वेतन बहाल करना	Restoration of Forefeited pay of INA personnel ..	78—79
6620 खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क की खरीद	Purchase of Manganese Ore by M.M.T.C ..	80
6621. चैकोस्लोवाकिया और रूमानिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to Czechoslovakia and Rumania ..	80—81
6622. ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to Britain ..	81—82
6623. मंगोलिया के प्रतिनिधि-मण्डल के साथ वार्ता	Talks with Mangolian Delegation ..	82
6624. राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री	Sales of Foreign Car by STC ..	82—83
"फाइनेंशियल एक्सप्रेस" बम्बई के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against the Financial Express, Bombay ..	83—85
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	85
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants ..	85—134
समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare ..	85—93
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	85—88
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon ..	89—93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade and Supply	.. 94
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 104—108
श्री म० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarsanam	.. 108—110
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	.. 110—111
श्री नरेन्द कुमार साल्वे	Shri Narendra Kumar Salve	.. 111—113
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	.. 113—114
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 114—115
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	.. 116—117
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 118—119
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 119—121
श्री सीताराम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	.. 122
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 122—123
श्री एम० बी० राणा	Shri M. B. Rana	.. 123—124
श्री कृ० गु० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	.. 124—125
श्री पी० विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	.. 125—127
श्री जो ० ना० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	.. 127—128
श्रीमती सुधा वी० रेड्डी	Shrimati Sudha V. Reddy	.. 129—130
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	.. 130—131
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	.. 131—132
श्री बी० शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand	.. 132—133
श्री न० रा० देवघरे	Shri N. R. Deoghare	.. 133—134
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	.. 134
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion—	
दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का विकास तथा विनियमन	Development and regularisation of Unauthorised colonies in Delhi	.. 134—135
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 134
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	.. 134—135

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 अप्रैल, 1969/26 चैत्र, 1891 (शक)
Wednesday, April 16, 1969/Chaitra 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign-Owned Tea Companies

+

*1113. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Suraj Bhan : Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Foreign-Owned Tea Companies of sterling area remitted abroad a profit amounting to more than Rs. 5 crores in 1967-68, whereas they had remitted less than Rs. 3 crores as profit in the years 1965-66 and 1966-67 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the preventive measures taken in this regard and the result thereof?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Profits made in any particular year are not necessarily remitted in the same year, and there have been such variations in the past, in respect of the profits earned in successive financial years, and also in the remittances made.

Shri Jagannath Rao Joshi : In answer to a question it was stated that an amount of 2 crores 75 lakhs was sent abroad in 1965-66, in 1966-67 this amount increased to 2 crores 85 lakhs rupees and in 1967-68 it increased to 5 crores of rupees. During the same period there has been decline in international prices of tea. Yet the amount sent abroad increased enormously. May I know the specific reasons for such a big increase in the amount remitted abroad? May I know the steps Government intend to take to check it ?

Shri B. R. Bhagat: The amount of profit earned in a year is not sent abroad in the same year. At times the profit earned in a particular year is remitted in the next year. The figures of last four years is as follows: In 1963-64 it was 6 crores 80 lakhs, in 1964-65 it was 6 crores, in 1965-66 it was 2 crores and 85 lakhs and in 1967-68 it was 5 crores. The amount of profit sent abroad is minutely scrutinized. Accounts are audited and income tax clearance is checked. After passing through a long process it is allowed to go.

Shri Jagannath Rao Joshi: We are facing a crisis of foreign exchange. In view of it, it is desirable not to allow such huge amount of foreign exchange to go out of our country. Secondly foreign companies owning tea plantations often indulge in anti-national activities. Viewing all this may I know whether Government will Indianize these companies; if so when?

Shri B. R. Bhagat: As far as the anti-national activities are concerned, the Ministry of Home Affairs make investigation in respect thereof. With regard to nationalisation or Indianizations of such companies I want to further make our policy clear. We have accepted the principle of foreign investment in our country. Accordingly foreign investment is allowed in India. Once the foreign investment is allowed in the country, it is not possible to put a check on remittance abroad of profit amount. That is why we give all such facilities to these foreign countries as are available to Indian companies. As regards the question of Indianisation, our policy is to Indianise these companies progressively.

Shri Suraj Bhan: I would like to know whether Government are going to nationalise these foreign companies. Secondly, may I know the number of foreign employees working in these companies, the total amount paid to them as salaries and the amount they send abroad out of their salaries in addition to the profit amount?

Shri B. R. Bhagat: There is no question of nationalising these foreign companies in the near future. As regards the second question I will require a separate notice for that.

श्री रा० बरुआ: आजकल यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिश या अन्य विदेशी कम्पनियों में से कोई भी अपने लाभ का कुछ भी अंश चाय उद्योग के विकास पर खर्च नहीं कर रहीं हैं। इसके विपरीत वे लाभ-राशि को आलीशान इमारतों तथा अन्य मदों पर खर्च कर रही हैं। क्या सरकार उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती ताकि वे लाभ-राशि का कुछ अंश चाय उद्योग के विकासार्थ खर्च करें?

श्री ब० रा० भगत: इन बातों का नियमन कम्पनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उक्त कम्पनियां चाय उद्योग के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। फिर भी मैं इस बारे में जांच पड़ताल करूंगा।

श्री रा० बरुआ: क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे अधिक राशि भव्य भवनों के निर्माण और विदेशी अधिकारियों को दिये जाने वाले अधिक वेतनों पर खर्च कर रही हैं और उस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं?

श्री ब० रा० भगत: मैं इस सम्बन्ध मैं जांच करूंगा।

श्री रा० की० अमीन: ये कम्पनियां अपनी लाभ-राशि किसी एक कम्पनी को भेजती हैं और वह कम्पनी हमारे यहां से कम कीमत पर वस्तुएं मंगा लेती है। ये चाय कम्पनियां भी इसी

तरीके से लाभ कमा रही हैं। इससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा का घाटा होता है। क्या सरकार इसे रोकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : अधिक मूल्य लेना और कम मूल्य देने का प्रश्न वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है। इस समस्या के बारे में वे छानबीन करेंगे।

श्री एम० बी० राणा : भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों की प्रतिशतता क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के अधीन चाय की खेती के लिए 43 प्रतिशत भूमि है जबकि उनका उत्पादन 55 प्रतिशत है।

Shri Shiv Charan Lal: Though Britishers quitted India 22 years before, yet they are extracting our hard-earned income. May I know the difficulty faced by our Government in nationalization of these foreign companies? Why they are not nationalized immediately.

Shri B. R. Bhagat: I have just stated that at present our policy is not to nationalise them. Their immediate nationalisation will not be in country's interest. They will be Indianised progressively.

श्री एस० आर० दामानी : कितने चाय बागान विदेशी कम्पनियों के हाथ में हैं और कितने भारतीय कम्पनियों के नियंत्रण में हैं ? चूंकि विदेशी कम्पनियां चाय उद्योग के विकास में रुचि नहीं ले रही हैं, इसलिए चाय का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि भारतीय चाय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके ?

श्री ब० रा० भगत : देश में लगभग 10,000 चाय के बाग हैं, जिनमें से 367 पर 118 स्टर्लिंग कम्पनियों का स्वामित्व है।

श्री हेम बरुआ : इन विदेशी चाय कम्पनियों में से अधिकतर इंगलैंड में निगमित हुई हैं। इस निगमन के माध्यम से ही ये अधिक लाभ राशि विदेश भेजने में सफल होती हैं। क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करने जा रही है जिससे ये कम्पनियां भारत में ही निगमित हों, ताकि लाभ राशि को बाहर भेजने का माध्यम ही नियंत्रित हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : यह बात सच है कि इन चाय कम्पनियों में से बहुत-सी कम्पनियां इंगलैंड में निगमित हैं। परन्तु ऐसी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व से ही चली आ रही है। उनमें से कुछ भारतीयों ने भी ले ली हैं। हमारी नीति यह है कि उनका शनैः शनैः भारतीयकरण हो और उनमें से अधिकतर भारतीयों के हाथ में आ जायें।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक विशिष्ट प्रश्न था। मैंने कहा था कि कम्पनियों की स्थापना इंगलैंड में की गई थी तथा ऐसे चाय बागान जिनके स्वामी अंग्रेज हैं मंत्री महोदय बताते रहे हैं कि ये कम्पनियां स्वतंत्रता से पहले ही वहां पर बन चुकी थीं। इस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन कम्पनियों का इंगलैंड के साथ सम्बन्ध विच्छेद करके इनको भारत में अब तक क्यों नहीं स्थापित कर लिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कार्य स्वेच्छापूर्वक ही हो सकता था। कानून के अन्तर्गत हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसके अन्तर्गत इन कम्पनियों को भारत में स्थापित करने के लिए उनको विवश किया जाता।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व से अफ्रीका में चाय उद्योग का विकास करने के लिये वहां पर ब्रिटिश पूंजी लगाई जा रही है जिसके कारण भारतीय चाय के साथ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है। क्या यह सच है कि आजकल ब्रिटिश चाय कम्पनियां अपने बागों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने लाभ को इंगलैंड भेजने में लगी हुई हैं जिससे इस धन को अफ्रीका में लगाया जा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे भारत के विभिन्न भागों में कार्य कर रही इन कम्पनियों के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण रखा जा सके; और यदि बनाई हैं, तो क्या ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि बहुत से ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने कम्पनियों में अपने अंशों को बेच दिया है तथा वे पूर्व अफ्रीका चले गये हैं। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि वे अपने बागों की यहां पर उपेक्षा कर रहे हैं अथवा वे उत्पादन की उपेक्षा कर रहे हैं। लाभ के बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है तथा मैंने निवेदन किया है कि उसकी जांच की जा रही है।

Shri Abdul Ghani Dar : It has been stated that Reserve Bank always keep a watch minutely over all the matters pertaining to Foreign Exchange. The question relating to Nepco, which has been functioning here with American collaboration, has been repeatedly raised by me. I know that crores of rupees has been wasted by Nepco in the name of importing reconditioned machinery etc. But whenever this point was raised the Government have always repeated the same answer that everything is alright and in accordance with the rules because Reserve Bank keep watch minutely over all the cases involving Foreign Exchange. Now this matter has been detected by the Punjab Government and it has been proved that Rs. 3 crores have been misused by Nepco. In the circumstances, will any action be taken against the Reserve Bank by the Government ?

Shri B. R. Bhagat: This question does not pertain to the tea gardens.

Shri Kameshwar Singh : May I know whether the Assam Government have recommended to the Central Government to the effect that the Assam Tea Gardens should be centralised, and if so, the steps taken by the Centre in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : I did not receive any information.

श्री नन्द कुमार सोमानी : चाय बागान उद्योग की एक स्थायी समस्या यह है कि वर्ष की चालू निधि का उपयोग प्रबन्ध और प्रति एकड़ उत्पादन में सुधार करने के लिये नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त क्योंकि इसके बाजार में बिक्री लाने के लिए अंग्रेजों का ही एकाधिकार है इसलिये इसको कलकत्ता और लन्दन में ही बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इस कारण भारतीय चाय उद्योग को लगातार हानि उठानी पड़ रही है। गत वर्ष, उस समय के वाणिज्य मंत्री ने यह वायदा किया था कि वह इस समस्या पर विचार करेंगे तथा प्रयत्न करेंगे कि ब्रिटिश तथा यूरोप में भारतीय चाय बोर्ड भी विपणन सम्बन्धी कार्यवाई करे। इस विषय में सरकार ने

क्या उपाय किये हैं अथवा वह क्या उपाय करने जा रही है जिससे कि भारतीय चाय उद्योग की दशा सुधर जाय ?

श्री ब० रा० भगत : चाय बागानों के विकास के लिये एक योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत विकास कार्यों तथा चाय के पुनः बागान लगाने के बदले में उन्हें राज सहायता देने की व्यवस्था की गई है। यह महत्वपूर्ण योजना है। विपणन से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न अधिक जटिल है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह समस्या चाय उद्योग के प्रबन्ध ढांचे की खराबियों के कारण उत्पन्न हुई है। फिर भी हम इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम श्रीलंका से सहयोग प्राप्त करने में व्यस्त हैं जिससे दोनों बड़े विक्रेता देश परस्पर सहयोग करके कुछ विपणन क्रियाओं का विकास कर सकें तथा अनुसंधान तथा अन्य बातों का भी विकास कर सकें जिससे चाय का मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक प्राप्त किया जा सके।

श्री नन्द कुमार सोमानी . माननीय वाणिज्य मंत्री ने एक वर्ष पहले यह वक्तव्य दिया था।

श्री वेदव्रत बरुआ : समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह सच है कि यूरोपीय चाय बागानों के मालिकों ने यहां चाय बागानों के कार्य का विस्तृत करने या पुनः चाय बागान लगाने के कार्यों अथवा इसी प्रकार के कार्यों पर धन लगाने को बन्द कर दिया है तथा चाय की मंडियों को यूंही बढ़ने दिया जा रहा है। केवल पत्तियों को तोड़ा जा रहा है तथा अनुचित लाभ कमाया जा रहा है। उन्हें कम से कम 10 प्रतिशत धन पुनः चाय के बाग में लगाने या उनका विस्तार करने पर व्यय करना चाहिए था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सरकार ऐसा कर सकती है कि उन्हें अपने देश में तभी जाने दिया जाय जब वे इन बागों के विस्तार कार्यों या पुनः बाग लगाने के कार्यों पर कम से कम 10 प्रतिशत धन लगा दें। क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री पीलु मोडी : यह तानाशाही उपाय है।

श्री ब० रा० भगत : यह कार्य के लिये सुझाव है।

श्री क० लकप्पा : चाय उद्योग का भी एक इतिहास है। इस क्षेत्र में अभी भी हम पर विदेशियों का दबाव है। सरकार ने ऐसी नीति अपनायी है जिसके कारण हमारे देश के कार्य में विदेशी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया जाता है तो सरकार समाजवाद में विश्वास नहीं रखती तथा राष्ट्रीयकरण को व्यर्थ समझती है क्योंकि यह उद्योग विदेशी व्यापारियों के हाथ में है। क्या सरकार सभी विदेशी मालिकों की चाय सम्पदा पर नियंत्रण करने के लिए कोई नया कानून बनायेगी जिससे कि साथ ही साथ भारतीय चाय सम्पदा को लाभ होगा, विशेष कर छोटे मालिकों को ?

श्री ब० रा० भगत : हमारा चाय उद्योग निर्यात करने वाला उद्योग है। अतः मेरे विचार से उसका राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं होगा तथा ऐसा करने से सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता इस समय उसका। राष्ट्रीयकरण उपयुक्त नहीं होगा।

Foreign HeliCopter Sighted over Srinagar

+

*1115. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri Onkar Singh :**
Shre Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a foreign helicopter had been sighted hovering around Srinagar in August, 1968 ;

(b) if so, the name of the country to which that helicopter belonged and the reasons for not intercepting it ;

(c) whether that helicopter had thrown some leaflets ; and

(d) if so, the contents of those leaflets ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, the issues of security and the defence of the country should be taken up seriously. In a letter to the Hon. Minister on 12th December, 1968, I informed him regarding a Pakistani helicopter which was sighted hovering around Srinagar, about five miles far from there, and which was also sighted over the three villages. I was also informed that that helicopter dropped some pamphlets. In reply to my letter the Hon. Minister stated :

"The enquiries we have made immediately indicated that there was a vague inconclusive report of an object which looked like a helicopter having been seen at about 6 A.M. on 12th August, 1968, a few miles south-east of Srinagar airfield but the investigations conducted by the Airforce did not confirm this report."

In the end the reply says :

"Nevertheless I wanted to have this further checked."

But now I again say that the informations given by me through my letter regarding the helicopter which was sighted at five miles near Srinagar in the morning on 12th August are based on facts. The Hon. Minister says that it was not a helicopter. It was an object resembling to the helicopter. Sir, it is a serious matter. A helicopter is a thing which can be well recognised by every person. It cannot be said an object which can be perceived otherwise.

Will the Hon. Minister be pleased to state whether he has got any information from any military source that a foreign helicopter was sighted around Srinagar ?

Secondly, I want to know about the outcome of the further enquiry which was stated to be made by the Hon. Minister ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह सच है कि 12 अगस्त को हमारे एक वायुसेना अधिकारी ने एक ऐसी वस्तु देखी थी जो हैलीकोप्टर सी प्रतीत होती थी । (**व्यवधान**) मेरे माननीय मित्र इससे चकित न हों । कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने वायुसेना में कार्य किया है ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : मैं हैलीकोप्टर को भलीभांति पहचान सकता हूं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : मुझे ज्ञात है आप और भी वस्तुओं को पहचान सकते हैं। यह अधिकारी लगभग 10 मील की दूरी पर था। उसके तुरंत पश्चात् सभी आवश्यक जांच कराई गई। इस घटना के चार माह पश्चात् माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था। सुरक्षा प्राधिकारी स्वयं ही सावधान रहते हैं। यह मामला गम्भीर है अतः हम केवल पहली जांच से संतुष्ट नहीं हो सकते। माननीय सदस्य ने जब हमें इस विषय में पत्र लिखा तो हमने गृह-कार्य मंत्रालय के गुप्तचर विभाग तथा अन्य उपलब्ध गुप्तचर विभागों को साथ मिलाकर पुनः इस मामले की जांच करानी चाही। अब इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि वह वस्तु जिसे हैलीकोप्टर समझा गया था वास्तव में हैलीकोप्टर नहीं था। (**अन्तर्बाधांए**) हैलीकोपटर नीची उड़ान करके राडार से बच सकते हैं। किन्तु हमारी वायु सेना के लिए किसी भी हैलीकोप्टर को मार गिराना कोई कठिन कार्य नहीं है। शत्रु के हैलीकोप्टर का हमारी सीमा में आकर कोई उत्पात कर सकना बहुत ही कठिन कार्य है

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is a serious matter that an officer belonging to Indian Airforce informed about a helicopter which is now staled...

श्री मं० रं० कृष्ण : वह हैलीकोप्टर सा प्रतीत हुआ था।

Shri Kanwar Lal Gupta : Then tell us, please, what exactly was that object. What was the outcome of your enquiry? It should be recalled, Sir, that at the time of invasion on Kashmir thousands of infiltrators equipped with machineguns and other weapons entered into Kashmir but the Government was not aware of it. The Government could know it only when a sudden attack was launched by them. I want to submit that we are not supposed to play with the security and the defence of the country. It is not a matter concerning to any individual party but it is a matter which involves the protection of the country as a whole. I can prove that in the **prima facie** report received by him it was stated that a helicopter—not-like-helicopter—was sighted. It is another thing that the military officials do not want to disclose the facts and if this why they conceal their own weakness. Presumably, the Government also do not want to expose the facts before the public. In view of the bitter experience when the infiltrators entered into Kashmir, may I know, whether an independent high powered enquiry consisting of any reitred military officer will be conducted to look into the matter? At the same time may I know what steps are proposed to be taken in order to avoid such incidents in times to come?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : महोदय ! माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा तथा मैंने उनके उत्तर में उन्हें सभी ज्ञात सूचनाएं दे दी थीं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, एक सशस्त्र सेना अधिकारी ने जो कि हवाई अड्डे से लगभग 10 मील दूर स्थित स्थान पर था यह सूचना दी थी कि उसने एक वस्तु देखी है जिसे वह हैलीकोप्टर सी प्रतीत हुई। तभी पूरी जांच की गई किन्तु कुछ भी नहीं पकड़ा जा सका। हवाई अड्डे पर वायु सेना है, सीमा सुरक्षा दल है तथा वहाँ सेना की सशस्त्र टुकड़ियाँ भी हैं। साथ ही वहां असैनिक जाँच विभाग भी है। अतः हमने इसका बार-बार पता लगाया किन्तु किसी ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। इसलिए इस विषय में कुछ छुपाने की कोई बात ही नहीं है। यदि श्रीनगर के पास कोई हैलीकोप्टर

मंडराता होता तो इसमें कोई कमजोरी का प्रश्न ही नहीं था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। यदि वह किसी भी अन्य देश का होता तो उसे सरलता से गिराया जा सकता था। **(अन्तर्बाधाएं)**: ....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तब उसने क्या उड़ते हुए देखा था ?

श्री स्वर्ण सिंह : उसे ऐसा ही लगा था यह पता नहीं क्यों। फिर माननीय सदस्य ने उच्च शक्ति प्राप्त जांच के बारे में कहा है। हमने उच्चतम स्तर की जांच कराई है। मैंने उत्तर दे दिया था और सोचा था कि उन्हें पत्र मिलने के बाद सारा मामला समाप्त हो जाएगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : What steps are proposed to be taken to ensure that such incidents are not re occurred ?

श्री स्वर्ण सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य सदन में मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हैं। फिर से जांच कराने का तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। **(व्यवधान)** कोई घटना घटी ही नहीं है।

श्री स्वैल : दोनों ही माननीय मंत्री उत्तर देते समय दो बातों के संबंध में पूर्ण आश्वस्त हैं कि वह हैलीकोप्टर नहीं था और यदि होता भी तो कोई अनर्थ नहीं कर सकता था।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात नहीं है।

श्री स्वैल : आपको इस बात का संतोष है कि वह हैलीकोप्टर नहीं था किन्तु जो कुछ देखा गया था वह हैलीकोप्टर जैसा प्रतीत होता था। **(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से संतुष्ट हैं कि वह कोई उड़न तस्तरी नहीं थी अथवा क्या उन्होंने उस अधिकारी विशेष की नेत्र परीक्षा करा ली है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री पीलु मोदी।

श्री पीलु मोदी : पूछे गए प्रश्नों तथा उनके उत्तरों से मुझे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जिन पर्चों का उल्लेख किया गया था उनके बारे में क्या हुआ। यदि हैलीकोप्टर की उड़ान और उससे गिराये गए पर्चों की बात सच होती तो अवश्य ही माननीय मंत्री या सशस्त्र सेना के अधिकारियों अथवा श्री कंवर लाल गुप्त में से किसी को उनकी एक प्रति मिली ही होती। मैं जानना चाहता हूं कि पर्चों को प्राप्त करने के बारे में क्या कोई प्रयत्न किया गया था। यदि नहीं तो मैं मंत्रालय की बात पर विश्वास करूंगा।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने जांच की किन्तु कोई भी पर्चा प्राप्त नहीं हो सका।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या कोई ऐसी मशीन या वस्तु है जो हैलीकोप्टर जैसी प्रतीत हो ? दूसरे क्या हमारी सीमा के 10 मील अन्दर उड़ने वाले वायुयान से कोई खतरा हो सकता है जबकि वह दिखाई न दे सके ? यदि खतरा है तो सरकार क्या उपाय करना चाहती है जिससे कि फिर इस प्रकार की घटना न हो सके तथा वस्तुओं से भ्रम उत्पन्न न हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह विश्वास दिलाना तो हमारी शक्ति से बाहर है कि व्यक्तियों को

भ्रम नहीं होगा किन्तु जहां तक भौतिक पदार्थों का प्रश्न है उससे निपटने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री गिरिराज शरण सिंह : वायु सेना के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अन्तर्गत वायुयान पहचानना भी सम्मिलित होता है तथा यह प्रशिक्षण काफी कठिन और सूक्ष्म होता है। अतः हम वायु सेना के अधिकारी पर यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि उसने वायुयान को पहचानने में चूक की है। साथ ही उसे हम यह निश्चय कर सकने में समर्थ मान सकते हैं कि वह वस्तु 10 मील दक्षिण की ओर थी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह दूरी तो निश्चित कर सकता है किन्तु वायुयान को नहीं पहचान सकता। माननीय उपमंत्री का यह कहना कि यदि हैलीकोप्टर नीची उड़ान करे तो राडार के पर्दे पर नहीं आता सम्भवतः सच हो सकता है। सम्भव है कि इस बारे में पूरा ध्यान न दिया गया हो। अतः नीची उड़ान भरने वाले वायुयानों का पता लगाने के लिये क्या रडार स्क्रीनों को पहाड़ी के शिखरों पर स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस विशेष मामले में सभी प्रकार की जांच की जा चुकी है तथा कुछ भी उस प्रकार का नहीं पाया गया। पर्चों के गिराए जाने या अन्य बातों के बारे में किसी भी प्रकार की, प्रत्यक्ष या आकस्मिक, पुष्टि नहीं की गई है। यह भी सच है कि बहुत नीची उड़ान वाला वायुयान चाहे वह हैलीकोप्टर हो अथवा किसी अन्य प्रकार का वायुयान हो, साधारणतः राडार द्वारा नहीं देखा जा सकता। यदि राडार को शिखर पर भी रखा जाय जहां पर की भूमि ऊंची नीची हो वहां भी कुछ क्षेत्र तो ऊंचे होगें तथा कुछ क्षेत्र नीचे। इस मामले में भी जहां पर वायुयान को उड़ता हुआ बताया जाता है भूमि घाटी के अन्तर्गत है जोकि वायुयान उतरने के मैदान के बिल्कुल निकट है। यदि वास्तव में यह इसी स्थान पर होता तो उसका पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई होती। उस अवस्था में हवाई अड्डे पर बहुत से व्यक्तियों ने उसे देखा होता। हमने सभी तथ्यों को प्राप्त करने के लिये वास्तव में बहुत प्रयत्न किये हैं। यह भी पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना दी है। मैंने इस बात को भी नहीं छिपाया। किसी ने सूचना दी तथा हमने उसका पता लगाया। हमने पाया कि वह सूचना सही नहीं थी। हमें यह मामला तभी समाप्त कर देना चाहिए था। इस मामले में कुछ और कार्यवाई करने के लिये कुछ भी शेष नहीं है।

Projecting a wrong image of India by U.S.A. to South American Countries

*1116. **Shri Narain Swarup Sharma** : **Kumari Kamala Kumari** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement of Shrimati Sanora Gitanjali, who came from Venezuela, published in the Indian Express of the 31st December, 1968, wherein she had stated that U.S.A. has presented India to the South American countries as starving, barbarous and uncivilised country ;

(b) whether she has also stated that Government are making efforts only to establish economic relations with those countries and not any cultural relations ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to present the correct picture of India in foreign countries, particularly in the South American countries ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Government have seen the article in question.

(c) A statement is enclosed.

STATEMENT

Relations with South America

(1) **Economic** :

(i) It has been decided to send a Commercial Delegation to study at first hand the ways and means of developing further our economic and trade relations. The delegation is due to leave India shortly.

(ii) In Peru and Venezuela two new Missions are being opened. Apart from leading to closer diplomatic ties, this will strengthen trade and economic ties with India.

(iii) A Trade Agreement with Chile is under negotiation.

(iv) The question of establishing a regular cargo service between India and South America is being examined.

(2) **Cultural** :

(i) Negotiations for Cultural Agreements with some Latin American countries have progressed satisfactorily and are expected to be completed soon.

(ii) Cultural exchanges with those countries including visits by Indian dance troupes, the setting up of Chairs of Indian Studies in selected Universities and exhibitions of Indian Art are also under consideration.

(3) **Miscellaneous** :

An Agreement with Brazil on co-operation in the peaceful uses of atomic energy has been signed.

(4) **General** :

The visit of the Prime Minister to some of the South American countries last year has deepened those interest in and respect for India throughout the continent regardless of the internal political systems or the racial, cultural and economic complexions of the countries. Conscious efforts are being made by our Mission in South America to demonstrate that we appreciate this fund of goodwill shown to India in general and to our Prime Minister in particular and intend to strengthen our relations with these countries.

Notwithstanding the disadvantage of distance, efforts are being made to find out ways and means for increasing and diversifying our trade with the South American countries. To this end, it is proposed to send in the near future, a high powered Economic Delegation of officials, industrialists and businessmen to South America under the sponsorship of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. The delegation is likely to visit these countries in April-May this year. The South American countries are showing keen interest in discussing various matters on trade with the Delegation when it will visit the various countries in that area.

A Trade Agreement between India and Chile is to be concluded. The Ministry of Transport and Shipping is exploring the suggestion for improving maritime transportation links between India and South America to facilitate closer trade relations.

South American countries have shown an extraordinary interest in India's cultural heritage. Action has been taken to examine how cultural contacts and understandings may be further developed. We would be able to send Indologists on lecture tours, if necessary, provide professors to be attached to select universities. There is also a proposal to establish a Centre for Latin American Studies in India so that our people are encouraged to take an interest in the language, literature and problems of the South American countries. These are some of the measures engaging attention.

Fortunately, there are no political problems between India and the Latin American countries. On the other hand, these countries, like ourselves, are now aware that they face similar social, economic and developmental problems. Both India and Latin American countries belong to the community of developing nations and have a common interest in consolidating relations in order to face the enormous tasks and the inherited disadvantages **vis a vis** the industrialised countries.

Shri Narain Swarup Sharma : I want to draw the attention of the Hon. Minister throngh you to a particular matter. Our Prime Minister had come back after visiting South American countries a few months back. It was reported in newspapers that the Prime Minister was greeted in some countries with the rituals of the Mantras from Gita and Vedas. At the time of attaining independence also the First Ambassader of Chile wrote in his article published in "The Hindustan Times" that the people of South America regarded Indian Civilization as their mother civilization. Again in this context I draw your attention to a book "Hindu America" written by Bhikshu Chaman Lal with a foreword by late Pt. Jawahar Lal Nehru, and by late President Dr. Rajendra Prasad and Dr. Radhakrishnan in which a thesis has been propounded that the Kings belonging to Surya dynesty had visited these countries and had preached Hindu Culture, and the modern "Ika" and "Maya" civilization of Mexico are the other forms of Hindu civilization. I, therefore, say that why don't you try to foster friendship on cultural basis rather than on the basis of economic relations ?

Shri Dinesh Singh : If the Hon. Member looks at the statement he will find that apart from economic relations we are maintaining cultural relations also with them.

Shri Narain Swarup Sharma : Have you established cultural relations with them ? Kindly give details.

Shri Dinesh Singh : The Hon. Member should see the statement laid on the Table of the House.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, the Hon. Minister in his statement laid on the Table has stated that Government shall try to establish culrural relations also with those countries. In this connection provisions will be made to send dance and music teams there. It has been convention with us to send dance and music teams in the name of Indian Civilization. In connection with this question it has been stated that U.S.A, has presented India to South American Countries as a starving, barbarous and uncivilized country. I want to know whether only the dance and music is what is called as "the Indian Civilization" in the opinion of Government or whether there is something else in our civilization ? And if, something else

is also there, what steps Government have taken so far for its propagation and what further steps will be taken in future?

Secondly, whether Government has any proposal to appoint cultural representatives in Indian Embassies who will present the true image of Indian civilization there?

Shri Dinesh Singh: I have not been able to understand as to what is meant by the word "Cultural representative". The Ambassadors already represent India culturally, politically and economically. I have heard a new thing that cultural ambassadors should be sent there. People go there time and again and have discussions on Indian Civilization. I have given my proposal in the statement to send a deligation there. Apart from this we shall set up study departments there to tell people about Indian Civilization and Indian history. Courses of lectures will be delivered there. Despite this I do not understand why the Hon. Member has any objection to the art of dance. The art of dance is a major part of our civilization. I do not want the Hon. Member to say that there is any wrong with this. I think this, a good thing.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: श्रीमन्। कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री ने लैटिन अमरीकी देशों की जो यात्रा की थी वह बहुत सफल रही। लैटिन अमरीकी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र में सदा हमारी सहायता करते रहे हैं। उन्हें भारत के प्रति बड़ी सहानुभूति है। एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही लैटिन अमेरिका की यात्रा करने जायेगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि लैटिन अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या वहां संसद् सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का उनका कोई विचार है?

श्री दिनेश सिंह: इस सुझाव पर कार्यवाई की जायेगी।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, I want to know from the Hon. Minister through you that the last sentence in the statement laid on the Table reads as:

"Both India and Latin American countries come under the category of "developing Nations" and they are equally interested to strengthen their ties in order to accomplish the great task of their industrial development **viz-a-viz** the advanced countries and, to that end, to overcome the difficulties in their way since ages.

The economic issues facing us and the South American countries have some common features. Was there any discussion held between both our and these countries in the 'UNCTAD' conference to further the industrial development?

Secondly, is there democracy, autocracy or some other form of administration in force in those countries? Whether Government is facing any difficulty to improve such relations in case there is no democratic administration there?

Shri Dinesh Singh: There is no such difficulty. There are different types of Governments in different countries. It depends upon the people of the country to decide what type of Government they want. We try to improve relations with the Government in existence of whatever type may be and strengthen our ties with the people there. Regarding the question raised by the Hon. Member in connection with 'UNCTAD' conference, I have mentioned this in the report laid on the Table of the House that 'UNCTAD' conference had recommended that all the developing countries should improve their commercial and economic relations with each other.

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण के भाग (2) में कहा गया है कि :

"कुछ लैटिन अमरीकी देशों के साथ सांस्कृतिक करारों के सम्बन्ध में बातचीत में सन्तोषजनक प्रगति हुई है तथा उनके शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।"

'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक लेख के सम्बन्ध में जिसमें यहां कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने दक्षिण अमरीकी देशों के सामने भारत को भूखा, बर्बर तथा असभ्य देश के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य की ओर उन देशों का भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है जो शुद्ध हृदय से जाति भेद की नीति में विश्वास करते हैं तथा यह कि केवल अच्छे वस्त्र पहनने से ही मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो जाता ? वे हमारी दरिद्रता की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। वे कुछ चित्र दिखाते हैं जिनमें हमारे बच्चों को कूड़ेदानों पर से भोजन चुनते हुए दिखाया जाता है। वे हमारी परिस्थिति की यथार्थ स्थिति नहीं दर्शाते। सांस्कृतिक मण्डलों के वहां भेजने के बजाय उन देशों में हमारे विरुद्ध किए जा रहे ऐसे प्रचार को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर हमारे पास क्या व्यवस्था है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे लिए यह कहना बहुत कठिन है कि कोई विशेष देश इस प्रकार का प्रचार कर रहा है और इसलिए उस देश से विरोध प्रकट किया जाए यह भी कठिन है।

श्री स० मो० बनर्जी : टेलीविजन पर यह दिखाया गया है। मैंने स्वयं देखा है।

श्री दिनेश सिंह : परन्तु क्या इससे यह दिखाने का प्रमाण मिल सकता है कि यह सरकार का अंग है ? सम्भव है उसका प्रयोग किसी पद्धति के लिए होता हो। परन्तु ऐसा हरेक जगह तो नहीं है। इसलिए किसी सरकार को विरोधपत्र देना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जहां तक सम्भव होता है हम विविध प्रकार से उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें अपने प्रकाशन देते हैं, हमारे अनेक नागरिक वहां जाते हैं तथा हमारे उद्योगों में निर्मित नए-नए उत्पादन वहां हमारे देश की झांकी प्रस्तुत करते हैं। हमारी विकसित होती हुई झांकी का यही एक उदाहरण है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा किसी राजनीतिक दल के द्वारा, इस विवरण में उल्लिखित देशों में इस प्रकार का प्रचार आरम्भ करने के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन ने भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव पेश किया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह सब कुछ इस समय नहीं बता सकता कि किसी गैर-सरकारी दल ने इस प्रकार का सुझाव दिया है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

Shri Chandra Jeet Yadav : Will the Minister of External Affairs be pleased to state that heads of the foreign countries who came to see our country had praised the progress and development of our country. Despite all the weaknesses it has progressed in the last twenty years in the field of industry and other sectors and that because of the emotional feelings of friendship between the people of both the countries lakhs of thousands of people had welcomed our Prime Minister when she toured Latin America and other South-East Asian

countries, but it is an admitted fact that the people of foreign countries do not know real picture of our country. Will the Hon. Minister draw his attention to the fact that despite our publications or other propaganda which we are making through our own medium of publications is not easily understandable to those people and that we should publish our articles in the popular newspapers and periodicals of those countries and that can be easily evaluated by those people ?

Secondly will you consider this aspect that the pictures we make should be popular in other countries and we should send such popular fims that may project the image of our culture, development and progress we have made, in a way easily understandable to those people ?

Shri Dinesh Singh: The Hon. Member correctly says this.

Shri Shinkre: Whether there were such persons who know portugese or Spanish in the cultural or social delegations that have so far visited South America ? Are such aspects taken into account that those people should go there who know their principal languages ?

My second question is as to whether there is any Spanish or Portuguese language knowing Indian employee working in our embassies in South America ?

Shri Dinesh Singh: It is very difficult to take into account that only those people who know the concerned foreign language should be in the delegations going abroad. Recently one of our Industrialists, delegations is going there and I do not think there is any man knowing the concerned foreign language but we have sent with them a man who knows the concerned foreign languages.

विमानों के फालतू इंजन

*1117. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले आयात किये गये विमानों के फालतू इंजनों की अब भारतीय वायु सेना को आवश्यकता न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) इसका निर्णय किस स्तर पर किया गया था तथा इसके कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या इस हानि को बट्टे खाते में डाला गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). सर्वप्रथम 1956 में दो इंजन विदेश से प्राप्त किए गए थे । उस समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह 1960-61 के दौरान निर्माताओं को ओवरहाल के लिए भेजे गए थे । सम्बन्धित विमान के प्रावस्था कार्य और अन्य संगत तथ्यों के कारण अन्तिम परीक्षण से पता चला कि इन इंजनों की कोई आवश्यकता न थी, और इस प्रकार का एक निर्णय वायुसेना मुख्यालयों और वित्त मंत्रालय के सलाह मशविरे सहित रक्षा मंत्रालय में लिया गया था । जिस हद तक मेरीन इन्शोरेंस फण्ड से अदायगी प्राप्त की जा सकती है, वह सप्लाई विभाग तथा इंडिया सप्लाई मिशन लन्दन से

सलाह मशविरे सहित विचाराधीन है। इसके परिणाम पर निर्भर, क्षति को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न हस्तगत किया जाएगा।

Shri Yajna Datt Sharma: Mr. Speaker, I regret to point out that I have been raising this question for the last eight months. It is a matter of national loss. Two Aero Engines worth Rs. 7 lakhs were sent by our Military Stores to France for repairs. From France they were enrouted to Bombay but some how they arrived at Madras and there they were auctioned for Rs. 2324/-. It is a story of misappropriation. I requested the Hon. Minister to inform me as to how the packages of engines were auctioned. Whether packages were auctioned after opening or in the sealed form? The Hon. Minister had answered me that they were auctioned in a sealed form. As such, neither the seller nor does the buyer know what is that in the packages, how estimate the value of the package? The Hon. Minister explained this matter in his speech. After the explanation given by the Hon. Minister, I put a starred question No. 77 to which he replied that there were no packages but they were something in the shape of tanks. I am now forced to raise this question again. It is stated that the Indian Air Force refused to accept those Engines on the plea that they were not required by them and, as such the loss caused to the Nation has been set off and when asked the reasons no answer is given. The report of the Public Accounts Committee has made clear that there was misappropriation of Rs. 7 lakhs in this connection. Therefore, Mr. Speaker, I want that Hon. Minister should realise the seriousness of the situation because it is a National loss and he should stop such bungling. I have not been able to detect them because of my short experience of about 10 months. If there were other members like Shri Madhu Limaye in my place they would have found themselves entrapped. The trouble is this that I could not put them any question. How far they are honest to the Nation, it is a matter to see now. They are now considering whether this loss should be written off. Now the Hon. Minister refuses that there were Aero Engines and that the Airlines needs them. I want to know from him whether he will entrust this matter to C. B. I. so that full and complete information is given to us. The Hon. Minister is an honest man, and therefore; his department must be honest but in this connection the House has doubts. They should be removed. The matter should be handed over to the C. B. I. because we want to know the exact loss incurred.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मैं नहीं समझता कि सी० बी० आई० इस मामले में कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल होगी। माननीय सदस्य ने उत्तर के सन्दर्भ में कथा कह दी है। परन्तु इनका प्रश्न एक बड़ी कथा है। पूर्व घटित बात को उन्होंने पुनः विस्तार से कह दिया है। उन्होंने उन अनेक प्रश्नों का सन्दर्भ दिया है जिनका उत्तर हम दे चुके हैं। छुपाने के लिए कोई बात नहीं है। यह मामला लोक लेखा समिति में तथा महा-लेखाकार तक जायेगा, तथा निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी यदि कुछ ऐसी वैसी बात पाई गई तो। आप और अधिक क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता।

Shri Yajna Datt Sharma: A part of my question is that the Hon. Minister should appoint a committee of two or three members of Parliament to go into the replies given by the Hon. Minister to starred question so that we may be able to place all the records before them and also to enable the Committee to Judge whether I was telling 'Katha' as the hon. Minister has described it; and whether the hon. Minister is prepared to appoint such a Committee?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनसे यह मामला समझने को तैयार हूं। यदि वे मुझे मिलना चाहें अथवा यदि मैं उनसे मिलूं, तो मैं यह सब समझने का प्रयास करूंगा। इस मामले में कुछ भी मतभेद नहीं है। हमें इस समस्या को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यह ऐसा मामला है जहां क्रय का प्रश्न ही नहीं उठता, धन के विनिमय का प्रश्न नहीं उठता। यह तो अपने कार्य के प्रति लापरवाही का अथवा अपने कार्य को सुचारुरूप से न करने का मामला है। इसके लिए तो अन्य प्रणाली हैं। इस प्रकार के मामलों के लिए सी० बी० आई० की आवश्यकता नहीं। ये वास्तविक बातें हैं, उनकी वापसी पर कुछ पैकेट खो गये थे तथा जिस मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए थी, नीलामी के समय उसने एतियात नहीं बरती। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सी० बी० आई० अथवा किसी ऐसे अधिकारी का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम पहले से ही इस मामले पर ध्यान दे चुके हैं। जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी हमने आपको दे दी। यदि माननीय सदस्य को यह जानकारी प्राप्त है कि यह मामला लोक लेखा समिति के पास जा रहा है, तो वे इसकी जांच करेंगे तथा उनके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे हम उनको मानेंगे। मैं नहीं समझता कि संसद्-सदस्यों की एक समिति बनाने से कोई लाभदायक परिणाम निकलेगा।

Shri Yajna Datt Sharma: I have not got an answer to my question. The hon. Minister has made charge against me that I was narrating "Katha". I want you to appoint a Committee of three members of Parliament.

श्री रंगा : आपके पास लोक-लेखा समिति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा कि यह लोक लेखा समिति के सामने है अथवा किसी अन्य संस्था आदि के पास है।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, we have not received answer of our question.

Shri Yajna Datt Sharma: Will you also like that this matter should go to Public Accounts Committee?

श्री मं० रं० कृष्ण : पिछले समय जब मैंने प्रश्न का उत्तर दिया तो मैंने कहा कि इस मामले में लेखा परीक्षा कंडिका होने के कारण यह मामला लोक लेखा समिति में जांच के लिए जायेगा और इसीलिए इसकी जांच लोक लेखा समिति करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले को लोक लेखा समिति के समक्ष आने दिया जाए, मैं इस समिति का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे लोक लेखा समिति के समक्ष भेज देंगे। अगला प्रश्न।

निरंकारी जत्थे को तीर्थ यात्रा के लिये पाकिस्तान जाने की अनुमति का न दिया जाना

*1118. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरंकारी जत्थे को तीर्थ यात्रा के लिये पाकिस्तान जाने की अनुमति न

दिये जाने के विरुद्ध भेजे गये विरोध पत्र का उत्तर पाकिस्तान सरकार से इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). हमारे बार-बार भेजे गए स्मरण पत्रों के उत्तर में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमें 25 मार्च, 1969 को सूचित किया है कि वे मामले पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की इजाजत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

Shri Hardayal Devgun : Those who signed the agreement regarding partition of India, were not patriots and they were anti-Nationals. As a result of this fact most of the Gurudwara's remained in Pakistan and people have to face great difficulties to go there. Recently a Jatha was sent from Kasur to Hasnabdal by train in which all the lights were switched off on the way and on the Railway Stations and the trains were allowed only to run in the night. They were treated like prisoners. When people go to these religious shrines they are being treated like this. Therefore this is the reason that the Sikh Community is demanding that Nankana Sahib' birth place of Shri Guru Nanak Dev should have Vatican status and all the Gurudwaras should remain under its jurisdiction.

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के महत्व पर बोल रहें हैं। इसके महत्व के बारे में कोई मतभेद नहीं है। आप अपने प्रश्न पर आएं।

Shri Hardayal Devgun : Will the hon. Minister see that pilgrims who go to Pakistan do not get into trouble and in case Pakistan does not act upon the agreements arrived at in 1953 and 1955 he will try to take up the matter in international court urging upon Pakistan that Nankana Sahib and other Gurudwaras have Vatican status ?

Shri Dinesh Singh : The Hon. Member is correct in saying that there is no proper arrangement for pilgrims who go to Pakistan from here for pilgrimage. As the hon. Member has pointed out, we have taken up this issue with Pakistan so many times that she was not acting upon the agreements of 1953 and 1955 honestly. I hope, whenever we have an opportunity to discuss this matter with them we shall try to arrive at some decision so that our pilgrims who go there for pilgrimage do not get into trouble. We are getting in touch with them that the holy shrines there are properly looked after and maintained.

Shri Hardayal Devgun : Despite your protests Pakistan is not prepared to have proper arrangements there. Will you discuss the matter with Pakistan, if she is ready for talks, that special arrangements are made at Nankana Sahib and at other holy Gurudwaras of the Sikhs, and that these places are given Vatican status as has been given to holy places of pilgrimage for the Muslims in Jeruselam ?

Shri Dinesh Singh: Yes Sir, there should be all facilities there, and as I have said that we are going to have serious discussions over this matter. So far as question of Vatican status to those places is concerned, it is an entirely a different issue.

श्री समर गुह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दू तथा बौद्धों के पवित्र यात्रा स्थान भारत में स्थित हैं, क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें इन स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आने को अनुमति देने में प्रत्येक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न कर रही है, और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है कि कम से कम नेहरू-लियाकत अली इकरारनामें के अनुसार उन हिन्दुओं तथा बौद्धों को जो विशेषतया पूर्वी पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें भारत में तीर्थ-यात्रा के धर्मस्थानों की यात्रा करने के लिए न रोका जाए ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि उन्हें नहीं रोका जाए। वास्तव में हमने उन सबको, जिनसे हमारे पास आवेदन पत्र आए हैं, भारत में तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दे दी थी। पाकिस्तान के आन्तरिक प्रबन्ध, क्या हैं, मैं उन्हें नहीं जानता तथा वे कैसे इन व्यक्तियों को आने से रोकते हैं। अतः मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता।

श्री समर गुह : सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि नेहरू-लियाकत अली इकरारनामें के अनुसार उन्हें अनुमति देनी चाहिए। मैंने यह प्रश्न नहीं किया कि क्या भारत ने अनुमति दी है अथवा नहीं। मैं जानता हूं कि भारत अनुमति देता है। मेरा प्रश्न दूसरा है। नेहरू-लियाकत अली इकरारनामें के आधार पर हिन्दुओं तथा बौद्धों को तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि पाकिस्तान की सरकार धार्मिक आधार पर हिन्दुओं तथा बौद्धों को भारत की यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है।

श्री दिनेश सिंह : हम अवश्य ही इस मामले की भी पाकिस्तानी सरकार से बातचीत करेंगे।

Shri Shashi Bhushan : Are not the Sindhis, whose place of pilgrimage is in Sindh face the difficulty to go there for pilgrimage as Sikhs have to face? Has this issue been brought to your notice? Will you arrange for early discussions with Pakistan in order that similar facilities should be given to the Indian pilgrims in Pakistan as Pakistani pilgrims get every kind of facility here in India ?

Shri Dinesh Singh : Even the Hindus who want to go there have to face inconvenience. Last time also Pakistan did not allow the parties of Hindu desirous to go there.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय माल का नेपाल के जरिये अन्य देशों को निर्यात

*1111. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाच वर्षों में नेपाल से भारतीय बन्दरगाहों के माध्यम से अन्य देशों को पटसन,

अभ्रक, दालों, तिलहन, मसालों, भूरे कपड़े और चाय के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या नेपाल से अन्य देशों को निर्यात की गई मात्रा, और नेपाल में इन वस्तुओं के उत्पादन के बीच कोई सम्बन्ध है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि नेपाल से काफी मात्रा में भारतीय माल का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है और इसके कारण भारत को काफी विदेशी मुद्रा से वंचित होना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). इस विवरण के अन्त में एक और विवरण दिया जाता है जिसमें गत पांच वर्षों (1964-68) के दौरान नेपाल से कलकत्ता पत्तन के मार्ग से अन्य देशों को दिये गये कच्चे पटसन, अभ्रक, दलहन, तिलहन, मसाले, कोरे कपड़े तथा चाय के निर्यात दिये गये हैं । इससे पता चलेगा कि प्रश्नाधीन अवधि में नेपाल से अन्य देशों को कलकत्ता के मार्ग से दलहन, मसालों तथा कोरे कपड़े का कोई निर्यात नहीं हुआ । वर्ष 1968 में कलकत्ता पत्तन के मार्ग से चाय के भी कोई निर्यात नहीं हुए ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1961-62 में नेपाल में 32,000 मे० टन कच्चे पटसन का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 1964-65 में बढ़कर 39,000 मे० टन हो गया । नेपाल का तिलहन का उत्पादन वर्ष 1961-62 में 48,000 मे० टन था तथा वर्ष 1964-65 में 51,000 मे० टन था । अतः वर्ष 1968 में नेपाल के तिलहन के निर्यात उनके कुल उत्पादन का मामूली अंश ही है । वस्तुतः भारत स्वयं तिलहन का नेपाल से आयात करता है । वर्ष 1966-67 तथा वर्ष 1967-68 में हमने क्रमशः 77 लाख रु० तथा 71 लाख रु० का तिलहन उनसे मंगाया । नेपाल में अभ्रक तथा चाय के वास्तविक उत्पादन के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ). नेपाल से अन्य देशों को भारतीय पटसन तथा अभ्रक आदि के निर्यात से सम्बन्धित शिकायतों पर समय-समय पर महामहिम नेपाल सरकार से बातचीत की गयी है । इनका कहना है कि इस मामले में भारत की चिन्ता युक्तियुक्त नहीं है । फिर भी, जिस हद तक नेपाल के माध्यम से भारतीय माल अन्य देशों को जाता है, उससे भारत को विदेशी मुद्रा की हानि होती है । कच्चे पटसन तथा मेस्टा के मामले में, जिन पर पहले ही भारत में निर्यात व्यापार (नियंत्रण) आदेश लागू कर दिया गया है, महामहिम नेपाल सरकार अपने निर्यातों को

निर्यात के लिये बचे फालतू माल तक सीमित करने के लिये सहमत हो गयी है। इस बात पर भी सहमति हो गई है कि तस्करी तथा व्यापार के दिशा परिवर्तन के विरुद्ध दोनों सरकारें निवारक उपाय करती रहेंगी। भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिये भारत में अतिरिक्त अमला रखा गया है और निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है। इस मामले पर अन्तः सरकारी संयुक्त समिति की अगली बैठक में आगे बातचीत होगी।

विवरण

वस्तु-विवरण	1964 मे० टन	1965 मे० टन	1966 मे० टन	1967 मे० टन	1968 मे० टन
कच्चा पटसन	2,066	7,244	7,411	23,713	34,900
अभ्रक	—	—	2	—	1.9
तिलहन	—	—	—	—	1,083
चाय	—	—	1	1	—
दलहन	—	—	—	—	—
मसाले	—	—	—	—	—
कोरा कपड़ा	—	—	—	—	—

पटसन उद्योग

*1112. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग को आधुनिक ढंग का बनाने और पटसन की नाना प्रकार की वस्तुयें बनाने के बारे में कोई योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने के लिये बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन के विविधीकरण को सभी सम्भव प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये पटसन मिलों को ऋण सहायता दी जायेगी। पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की अनूसूची 5 में शामिल कर लेने से वह ऊंची दर पर विकास छूट दे सकेगा और इस प्रकार एकत्र किये गये धन का पूंजी विनियोग के लिये उपयोग कर सकेगा। कालीन अस्तर तैयार करने हेतु चौड़े करघों की स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मुक्तरूप से लाइसेंस दिये जाते रहेंगे।

पृथक-पृथक मामलों के लिये मिलों को विस्तृत योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी तथा क्रियान्वित करनी पड़ेंगी।

Tashkent Agreement

*1114 **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2768 on the 12th March, 1969 and state :

(a) whether the good offices of the Government of U. S. S. R. were sought in regard to the restoration of Indian properties seized by Pakistan in terms of the Tashkent Declaration ; and

(b) if so, the nature of assistance rendered by U. S. S. R. in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir. The Government of India hold the view that the question of Indian properties seized by Pakistan should be resolved bilaterally in terms of Article VIII of the Tashkent Declaration.

(b) Does not arise.

ग्रामोफोन-रिकार्डों का निर्यात

*1119. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में ग्रामोफोन के रिकार्डों के निर्यात से सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) निर्यात तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में ग्रामोफोन उद्योग को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1968 में 33.7 लाख रू० के ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्यात हुआ।

(ख) ग्रामोफोन रिकार्डों के निर्यात संवर्धन के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :--

(1) जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत की नकद सहायता; और

(2) जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत की आयात प्रतिपूर्ति ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् कार्यकलापों के नियमित कार्यक्रम द्वारा बाजार सवक्षण, प्रकाशनों तथा विज्ञापनों के माध्यम से ग्रामोफोन रिकार्डों सहित समग्र रूप से इंजीनियरी माल का प्रचार आदि करती है। उद्योग की बदलती हुए आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में वांचू समिति का प्रतिवेदन

*1120. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये प्रोत्साहन कार्यों के बारे में सुझाव देने के लिये श्री एन० एन० वांचू के नेतृत्व में नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने विचारार्थ, उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बाद समिति का प्रतिवेदन सभा-पलट पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

Hindi as Official Language in U. N.

*1121 **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Committee had suggested that steps should be taken to get Hindi included in the official languages used in the United Nations ;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(c) the result thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) At the third meeting of the Central Hindi Committee held on 27th December, 1968, some Members observed that efforts should be made for the inclusion of Hindi among the official languages of the United Nations. The Samiti, was informed that it was difficult to get any new language included among the official languages of the United Nations.

(b) and (c). Do not arise.

'सान फ्रांसिसको' में हिन्दुस्तान गदर पार्टी का स्मारक

*1122. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के बावजूद सरकार ने सान फ्रांसिसको कलिफोर्निया में हिन्दुस्तान गदर पार्टी का स्मारक बनाने के लिये 83,000 डालर की मंजूरी दी है ;

(ख) सानफ्रांसिसको में इस प्रकार के स्मारक से भारत को क्या लाभ होने की आशा है;

(ग) क्या इस गदर पार्टी के कार्य का सारांश और भारत को स्वाधीन कराने में इसके योगदान के सारांश की प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ; और

(घ) ऐसे स्मारकों पर विदेशी मुद्रा खर्च किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गदर पार्टी ने संयुक्त राज्य अमरीका में सानफ्रांसिसको में अपनी संपत्ति भारत सरकार को सौंप दी थी । इस संपत्ति में एक इमारत है जो 7,000 वर्ग फीट जमीन के टुकड़े पर बनी हुई है और कुछ पुराने फर्नीचर हैं । गदर पार्टी ने यह संपत्ति उन लोगों का एक स्मारक स्थापित करने के लिए दी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसका प्रयोग किसी भी ऐसे अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है, जिसे सरकार उचित समझती है ।

1956 में इस जगह पर एक स्मारक-पुस्तकालय एवं समाज केन्द्र और प्रधान कोंसल के अमले के लिए चार रिहायशी फ्लैट बनाने का प्रस्ताव था । भारतीय समुदाय ने 9,500 डालर की व्यवस्था की और भारत सरकार ने 82,866 डालर की । चूंकि उस समय विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए यह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किया जा सका । अब इसमें गदर पार्टी की स्मृति में एक स्मारक बनाने और शेष राशि से दो छात्रवृत्तियां चलाने का विचार है । कुछ और भी सुझाव हैं, लेकिन उनपर अंतिम निर्णय नहीं किया गया है । लेकिन विदेश मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में 82,933.33 डालर की व्यवस्था इस काम के लिए की गई है ।

चूंकि गदर पार्टी ने यह संपत्ति भारत सरकार को उपहार में दी है, इसलिए यह उचित ही होगा कि गदर पार्टी की स्मृति ताजा रखी जाए और उन सदस्यों का इसके माध्यम से सम्मान हो जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा किया था । गदर पार्टी पर एक तथ्यपूर्ण टिप्पणी संलग्न है ।

गदर पार्टी पर तथ्यपूर्ण टिप्पणी

गदर पार्टी 1913 में संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में बसे भारतीयों की एक सभा में बनाई गई थी; यह सभा संयुक्त राज्य अमरीका में स्टाकटन, केलीफोर्निया में हुई थी । शुरू में इस पार्टी का नाम "हिन्दुस्तानी वर्कर्स आफ दि पेसिफिक कोस्ट" था । लेकिन चूंकि इससे आधिकारिक साप्ताहिक का नाम गदर था इसलिए इस संगठन का नाम भी गदर पार्टी पढ़ गया । श्री सोहन सिंह भकना जो कि उस समय ओरगोन में इमारती लकड़ी की एक मिल में काम करते

थे और श्री हर दयाल क्रमशः इसके अध्यक्ष और सचिव चुने गए। सानफ्रांसिसको में एक छापाखाना और कार्यालय के जगह खरीदने के वास्ते चंदा इकट्ठा किया गया।

20 वी० शताब्दी के शुरू में भारत से लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका गए। कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका में जब आप्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उन देशों के गोरे लोगों ने इन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन किया। कनाडा की सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर जब प्रतिबंध लगा दिया तो उनमें से काफी लोग अमरीका चले गए। उन्हें वहां वाशिंगटन, ओरगोन और अंततः केलीफोर्निया में खेतिहर मजदूरों और लकड़हारों का काम मिल गया। 1910 तक कोई 6,000 भारतीय अमरीका में पहुंच चुके थे जिनमें से ज्यादातर केलीफोर्निया में थे। भारतीय आप्रवासियों का इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश होने से वहां भारतीय आप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन हुआ। इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों ने भारतीयों के आप्रवास पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया।

गदर-पार्टी का जन्म मुख्य रूप से कनाडा में भारतीय वाशिन्दों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बरताव और उस देश में भारतीय आप्रवासियों के प्रवेश पर कनाडा द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का परिणाम था। भारतीयों ने यह महसूस किया कि अगर कनाडा को जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक अंग है, ब्रिटेन भारतीयों पर, जो कि स्वयं ब्रिटिश प्रजाजन हैं, इस प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाने से नहीं रोक सकता तो भारतीयों के लिये यह अच्छा ही होगा कि वे भारत को ब्रिटेन के अधिराज्य से मुक्त कराने के लिए लड़ें।

उधर गदर पार्टी ने पंजाब में अपना संदेश पहले ही भेज दिया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के लिए उत्प्रवास करने वाले ज्यादातर लोग पंजाब के ही थे। 1914 में पंजाब के करीब 400 उत्प्रवासियों को कनाडा की सरकार द्वारा जबरदस्ती वापस किए जाने से गदर पार्टी के समर्थकों और पंजाब में ब्रिटिश प्राधिकारियों के बीच झगड़े का एक कारण बना। बहरहाल, गदर पार्टी का यह विद्रोह 1915 के बाद नहीं चल सका क्योंकि पंजाब के ले० गर्वनर सर माइकल ओड्वेयर ने इसे कुचलने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए थे।

हालांकि इस विद्रोह की योजना संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में बनाई गई थी, परन्तु इसके सदस्य मेक्सिको, चीन, होण्डुरस, हांगकांग, मनीला, मलाया राज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वर्मा, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में भी थे। इसकी प्रमुख गतिविधियां समान रूप से फैली थीं, जिनमें भारत को शस्त्र देने तथा मुखबिरों की हत्या करने की बातें शामिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप केलीफोर्निया, वैनकूवर, हांगकांग, सिंगापुर, मलाया और भारत में कई नगरों में मुकदमें चलाए जाते थे।

हालांकि गदर पार्टी के दस सामान्य कार्य-कर्ताओं में नौ कार्यकर्ता सिख थे और उनके कार्य केन्द्र गुरुद्वारे थे, किन्तु अधिकांश नेता शिक्षित हिंदू या मुसलमान थे। इस कारण से भारत के

स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में यह गदर सबसे शक्तिशाली आतंकवादी आंदोलन था तथा यह सांप्रदायिक विचारों से ऊपर उठा था।

1962 में स्थानीय भारतीय संप्रदाय के एक छोटे दल की स्थापना हुई, जिसे उन्होंने हिंदुस्तान गदर मेमोरियल कमेटी, निगमित ; की संज्ञा दी। इस समिति के एक मात्र सदस्य, जो इस पार्टी के हमेशा से सदस्य रहे, श्री केशर सिंह ढिलन थे।

उत्तर भारत कपड़ा मिल संघ

*1123. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1969 को उत्तर भारत सूती कपड़ा मिल संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल की उप-प्रधान मंत्री से भेंट हुई थी ;

(ख) क्या उस प्रतिनिधि-मंडल ने कीमतों को बढ़ाने वाले विभिन्न करों के भार को कम करने का अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उत्तर भारत सूती कपड़ा मिल संघ ने उप-प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें बातचीत के विषय दिये गये थे। ज्ञापन में वस्त्र उद्योग की समस्याओं को विश्लेषण किया गया है। और उद्योग को अपनी वर्तमान स्थिति से निकालने में सहायता करने हेतु कतिपय सुझाव दिये गये हैं जैसे कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 1 मार्च, 1969 से उत्पादन शुल्क में कुछ राहत दी गई है और आयकर अधिनियम में एक संशोधन किया जा रहा है जिससे सूती कपड़ा उद्योग ऊंची दर पर विकास छूट प्राप्त कर सकेगा। कुछ अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत के लिये जपान को प्रतिनिधिमंडल

*1124. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री टी० एन० कौल के नेतृत्व ने एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल हाल ही में जापान गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति स्थापित करने और इस क्षेत्र के विकास की समस्यायें तथा उनको सुलझाने के लिये भारत और जापान के योगदान के बारे

में जापान के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, 3 से 5 फरवरी, 1969 तक ।

(ख) और (ग). भारत और जापान के विदेश कार्यालयों के अधिकारियों के बीच विचार विनिमय और एक दूसरे के मत को समझने के लिए वार्षिक मन्त्रणात्मक बैठकें प्रति वर्ष होती हैं । भारत और जापान के बीच द्विविपक्षीय सम्बन्धों से सम्बद्ध विभिन्न प्रश्नों, संयुक्त राष्ट्र के मसलों और दोनों देशों के हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया ।

गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले लोक नर्त्तकों को दैनिक भत्ता

*1125. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली लोक तर्तकों की मण्डली में सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारी होते हैं;

(ख) क्या इन दोनों प्रकार के कलाकारों को समान दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को दैनिक भत्ता किस-किस दर पर दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सम्भव है कि लोक नर्तकों की प्रत्येक टोली में कुछ सरकारी सदस्य हों परन्तु वास्तव में वे लोक नर्तक थे और यह आवश्यक नहीं है कि वे 'निजी कर्मचारी' हों ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से गणतन्त्र दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए आने वाले लोगों को सरकारी कर्मचारियों के अलावा, निःशुल्क आवास तथा खाना दिया जाता है । उनको विविध खर्च के लिये कैम्प में ठहरने के समय तक के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से एक रुपया भत्ता दिया जाता है । जो आम व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं होते उनको 3.50 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है, प्रत्येक टोली में निर्धारित व्यक्तियों को ही निःशुल्क आवास तथा खाने की रियायत दी जाती है , अतिरिक्त व्यक्तियों को निःशुल्क आवास दिया जाता है परन्तु उनको मुफ्त खाना तथा भत्ता नहीं दिया जाता । सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास दिया जाता है परन्तु यदि वे सामान्य लोगों में शामिल होते हैं तो उनके भोजन का भुगतान करना होता है । उनको राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों आदि से ऊपर लागू नियमों के अनुसार भत्ता मिलता है । प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास यह जानकारी नहीं है कि उनको कितना दैनिक भत्ता मिलता है । दोनों वर्गों को प्राप्त अन्य सुविधाएं समान हैं परन्तु टोली के नेताओं को जो कि आमतौर पर सरकारी कर्मचारी होते हैं रिहायश की अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं ।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ऊंटों तथा खच्चरों की वार्षिक आवश्यकता

*1126. **श्री रा०कृ० बिड़ला** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर मोटर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं वहां प्रतिरक्षा सामग्री ले जाने के लिये प्रति वर्ष कितने ऊंटों और खच्चरों की आवश्यकता रहती है ;

(ख) उन्हें किस स्रोत से खरीदा जाता है ; और

(ग) गत वर्ष प्रति ऊंट अथवा प्रति खच्चर कितना मूल्य दिया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) **ऊंटों और खच्चरों की प्राप्ति के साधन :**

1. ऊंट	राजस्थान क्षेत्र से।
2. पर्वतीय तोपखाने के लिये खच्चर	(एक्वाइन ब्रीडिंग स्टडों बाबूगढ़ और हिसार के) सरकारी स्टडों से तथा जनरल सर्विस खच्चरों के उच्चवर्गीकरण से।
3. जनरल सेवा खच्चर	(एक्वाइन ब्रीडिंग स्टडों बाबूगढ़ तथा हिसार के) सरकारी स्टडों से और यू० पी०, राजस्थान और पंजाब में स्थित आर० वी० सी० ब्रीडिंग क्षेत्रों से बच्चे खच्चरों के क्रय द्वारा।

(ग) **प्रति ऊंट और खच्चर के लिये 1967-68 के दौरान अदा की गई कीमतें** :

1. ऊंट	औसतन 1068 रुपये प्रत्येक।
2. पर्वतीय तोपखाने के लिए खच्चर	कोई खच्चर नहीं खरीदा गया था।
3. जनरल सेवा खच्चर	कोई खच्चर नहीं खरीदा गया था। ब्रीडिंग क्षेत्रों से 600 रुपये प्रति पशु 8-10 मास की आयु के बच्चे खच्चर खरीदे गए थे।

दिल्ली से भिन्न स्थानों में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करना

*1127. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यपालों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों जैसी महत्वपूर्ण बैठकें नई दिल्ली से भिन्न स्थानों में करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार यह उचित और वांछनीय समझती है कि जब कभी सम्भव हो सके, केन्द्र और

राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के कुछ सम्मेलन नई दिल्ली से बाहर के स्थानों में किये जाने चाहिए। वास्तव में तो कुछ सम्मेलन राज्यों की राजधानियों और अन्य स्थानों में भी आयोजित किये जाते हैं। परन्तु, जहां तक राज्यपाल सम्मेलनों और राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंगों का सम्बन्ध है, काम की सुविधा और कुशलता को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए नई दिल्ली ही उपयुक्त स्थान है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारतीय पटसन फसल के स्वरूप का अध्ययन

*1128. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारतीय पटसन फसल के स्वरूप से ऐसा लगता है कि 1969-70 में यह विश्व बाजार से बाहर हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1969-70 में भारत की फसल की संभावनाओं को देखते हुए भविष्य की स्थिति पर विचार करते समय, खाद्य तथा कृषि संगठन के पटसन, केनाफ तथा सम्बद्ध रेशों सम्बन्धी अध्ययन दल की परामर्शदातृ समिति ने जनवरी, 69 में हुई अपनी बैठक में इस बात की ओर संकेत किया कि भारत वर्ष 1969-70 में तथा उसके पश्चात् कच्चे पटसन के विषय में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने की आशा कर रहा है।

(ख) यह भविष्यवाणी सरकार के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्नों पर आधारित है। बीज-खाद आदि के प्रयोग, सुधरी हुई कृषि-पद्धतियों को अपनाकर, सधन क्षेत्रों में दोहरी फसल उगाकर, अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग, सुधरे हुए बीजों के वितरण, हवाई छिड़काव और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा रेशों की प्रति हैक्टर उपज बढ़कर पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन बढ़ाने का विचार है। उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जायेगा।

रूस के योजना मंत्री का दौरा

*1129. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के योजना मंत्री श्री बैकांकोव भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करने के लिये हाल में नई दिल्ली आये थे ; और

(ख) क्या भारत की योजना में रूस को सहयोग के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पिछले वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में अपनी सोवियत संघ की यात्रा के दौरान, सोवियत योजना आयोग के अध्यक्ष श्री बैंकाकोव को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था । इसका उद्देश्य आर्थिक सम्बन्धों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान चालू रखना था ताकि दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की समुचित प्रणाली का विकास किया जा सके । भारतीय और सोवियत योजनाओं अथवा आयोजन को अन्तः सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता । श्री बैंकाकोव की यात्रा की समुचित तिथि का अभी निश्चय किया जाना है ।

पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां

*1130. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1969 के "स्टेट्मैन" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान की नौसेना को मिजेट पनडुब्बियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे जहाजों तथा बन्दरगाहों को इन पनडुब्बियों के खतरे से बचाने तथा हमारे तट की रक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी संक्रियात्मक योजनाएं अपने देश की सुरक्षा के लिए संकटों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं ।

आयात तथा निर्यात के संयुक्त नियंत्रक द्वारा दिये गये लाइसेंस

*1131. **श्री देवेन सेन** : **श्री द० रा० परमार** :
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री किकर सिंह** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मद्रास के संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उनके द्वारा दिये गये लाइसेंसों का ठीक प्रयोग हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) दिये गये लाइसेंसों के ब्योरे "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों का साप्ताहिक बुलेटिन" में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों अथवा पंजीकृत निर्यातकों के निर्मित आयात नीति

के अधीन दिये जाने वाले लाइसेंसों के मामले में लाइसेंसधारियों को लाइसेंस प्रदान करने की यह शर्त है कि उन्हें आयातित कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों की खपत का समुचित हिसाब निर्धारित प्रणाली से रखना पड़ता है। इन शर्तों का उल्लंघन, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन दंडनीय है। प्रत्येक मामले में लाइसेंसदाता प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस देने की सूचना संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को दी जाती है और प्रायोजक प्राधिकारियों को इस बात पर निगरानी रखनी पड़ती है कि आयातित माल का उचित उपयोग हो। लाइसेंस देने के मामलों में प्रायोजक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाइसेंस देने के लिए आयात नियंत्रण प्राधिकारियों से उन की सिफारिश करने से पहले उनके द्वारा पिछली अवधि में आयात किये गये माल के उचित उपयोग की जांच करें। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की इकाइयों के मामले में भी आयात लाइसेंस देने के आवेदनपत्रों के साथ, यह दिखाने के लिये कि पहले आयात किये गये माल का उनके द्वारा उचित उपयोग किया गया है, चार्टर्ड लेखापाल द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र लाइसेंस संलग्न प्राधिकारियों द्वारा इन प्रमाण पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं ताकि वे उनके उत्पाद के संदर्भ में वास्तविक उपयोग की जांच कर सकें। जारी किये गये समस्त आयात लाइसेंसों का ब्योरा संबद्ध इकाइयों के प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वे वास्तविक आयात तथा आयातित माल के उचित उपयोग की जांच कर सकें।

सुस्थापित आयातकों के मामले में, सीमाशुल्क प्राधिकारी माल की निकासी के समय पर यह देखने के लिये आवश्यक निगरानी रखते हैं, कि कहीं लाइसेंसों का पण्य तो नहीं किया गया और यदि किया गया हो तो, उचित कार्यवाही करते हैं। गंभीर मामलों में, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंसदाता प्राधिकारियों को सूचना दी जाती है जो आयात (नियंत्रण) आदेश के अधीन अलग से कार्यवाही करते हैं।

तमिलनाडु में कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेनादल का विकल्प रूप प्रशिक्षण

*1132. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1 मार्च, 1969 को मद्रास विधान परिषद् में तमिलनाडु सरकार राज्य में कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का विकल्प रूप प्रशिक्षण लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार के विकल्प रूप प्रस्ताव इस बीच केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मछली से बने पदार्थों का निर्यात

*1133. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मछली से बने पदार्थों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से सम्भावित मंडियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित रही है :

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपये में
1965-66	7.06
1966-67	17.37
1967-68	19.72
1968-69 (अप्रैल-जून)	21.35

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Trade Agreement with Japan

*1134 **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been concluded between India and Japan regarding the import of Indian goods by Japan;

(b) if so, whether, under the said agreement, Japan would import Indian goods manufactured in public sector only or goods manufactured in private sector also would be imported ;

(c) if the goods manufactured in both the sectors are to be imported by Japan, the ratio between the goods produced in the public sector and private sector which would be imported by Japan;

(d) whether it is also a fact that majority of the goods covered under the agreement are those which are being produced in the private sector; and

(e) the other details of this agreement with Japan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir. No agreement has been concluded between the Government of India and the Government of Japan for import by Japan of the Indian goods.

However, a general Trade Agreement was concluded between India and Japan on February 4, 1958, under which the two countries had agreed to extend to each other most-favoured-nation treatmeat in the matter of custom duties, regulations concerning imports and exports, shipping facilities etc. The two countries also agreed to cooperate with each other with a view to expanding trade and strengthening the economic relations. Copies of the Trade Agreement are available in the Parliament Library.

(b) to (e) . Do not arise.

नेपाल से कृत्रिम रेशे वाले कपड़े का आयात

*1135. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार कृत्रिम रेशे वाले कपड़े के भारत में निर्यात को सीमित रखने में असफल रही है और उसने परस्पर तय हुए 90 लाख रुपये के मूल्य के कोटे से जो1967-68 का स्तर था और जो श्री ब० रा० भगत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ तय हुआ था, अधिक मूल्य के कपड़े का निर्यात दिसम्बर, 1968 के अन्त तक किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण स्थिति का पुनर्विलोकन करने का है ताकि यह करार उचित रूप से क्रियान्वित किया जाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). काठमांडू में नवम्बर, 1968 में हुई बातचीत के फलस्वरूप नेपाल की महामहिम सरकार भारत को संश्लिष्ट रेशे के कपड़े के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने तथा इस मद के उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन को भी 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिए सहमत हो गई । कोई समस्त कोटा निर्धारित नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार के साथ हम निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं । नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा किए गए उपायों की कारगरता की समीक्षा अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक में की जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों के वक्तव्य

*1136. **श्री समर गुह :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा 2 मार्च, 1969 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं ।

(ख) सरकार ताशकंद घोषणा के अनुरूप व्यापार, आवागमन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विषय में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य करने में हमेशा प्रयत्नशील रही है । दुर्भाग्य से अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं आया है ।

Escape of Mizo Hostile From Army Custody

*1137. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the self styled hostile Mizo Deputy Commissioner who was under the custody of Indian Army, has escaped from the custody of Indian Army from Churachandpur ;

(b) if so, the action taken to arrest him ; and

(c) the action proposed to be taken by Government against those military officers who are responsible for this negligence ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) A self-styled Mizo Deputy Commissioner escaped from the custody of our security forces in Imphal on 15th March, 1969.

(b) The surrounding areas were searched; help of a tracker dog was also taken but the hostile could not be traced.

(c) Disciplinary action is being taken against the guard.

रांची स्थित बिरला प्रौद्योगिकी संस्था में अन्तरिक्ष इंजीनियरी और राकेट विज्ञान विभाग

*1138. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्था, रांची, ने देश में अपने यहां अन्तरिक्ष इंजीनियरी और राकेट विज्ञान विभाग आरम्भ करके और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं देकर इस काम में पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राकेट-विज्ञान में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु इस संस्था की सेवाओं का उपयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सरकार को इस बात का ज्ञान है कि बिरला इन्स्टीच्यूट आफ टेकनालोजी ने स्पेस इंजीनियरिंग और राकेट्री में एक स्नाकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है । बिरला इन्स्टीच्यूट में प्राप्त सुविधाओं को, इस

क्षेत्र में व्यक्तियो के प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए देश में संसाधनों के निरीक्षण के लिए स्थापित की गई विशेषज्ञों की समिति ने ध्यान में रखा था। बिरला इन्स्टीच्यूट की सुविधाओं का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ साईंसिज द्वारा पेशकश की गई सुविधाओं को उत्कृष्ट समझा गया था।

नेपाल में भारतीय सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

*1139. **श्री रामचन्द्र जे० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनी सिगरेटों की नेपाल में बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के नेपाल सरकार के निर्णय की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 21 अक्तूबर, 1968 को नेपाल सरकार ने आवश्यक वस्तु नियंत्रण (शक्तियां) अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा सम्पूर्ण नेपाल राज्य में भारत से आयातित सिगरेटों की बिक्री तथा वितरण का निषेध कर दिया गया। 25 अक्तूबर, 1968 को जारी की गयी बाद की एक अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कथित प्रतिबन्ध केवल उन्हीं सिगरेटों पर लागू होगा जिन पर 'नेपाल के लिए निर्यात' शब्द छपे हुए न होंगें। भारत से नेपाल में सिगरेटों के आयात तथा वितरण के मामले पर नवम्बर, 1968 में काठमांडू में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता में भी चर्चा हुई थी। इस बात पर सहमति हो गई थी कि नेपाल के महामहिम की सरकार नेपाल में सिगरेटों के आयात के लिए विभेद-रहित क्रियाविधि तैयार करके उसे अधिसूचित करेगी।

ऊन का आयात

*1140. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के लिये ऊन के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि के निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने देशी साधनों से ऊन प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए देशी साधनों से उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिये क्या कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). यद्यपि देश के भीतर ऊन का उत्पादन बढ़ रहा है और प्रत्येक वर्ष स्वदेशी ऊन अपेक्षतया अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध हो रही है परन्तु उद्योग द्वारा इसके यथासंभव सीमा तक उपयोग

में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है। भारतीय ऊन की किस्म सुधारने तथा इसकी प्राप्यता को बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं, अभी तक यह केवल ऐसा है कि इसका इस्तेमाल या तो आयातित अच्छी ऊन के साथ मिलाने के लिये अथवा कालीनों और घटिया किस्मों के वर्स्टैड वस्त्रों तथा हौजरी के उत्पादन में ही किया जा सकता है। बढ़िया किस्म के वर्स्टैड वस्त्रों, हौजरी, शौडी, हेयर-बेल्टिंग तथा फेल्ट के लिये अभी तक आयातित ऊन का इस्तेमाल करना पड़ता है तथा उद्योग के केवल उन क्षेत्रों के लिये, जो स्वदेशी ऊन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आयातों की अनुमति दी जा रही है। ऐसी स्थिति में अभी तक यह आवश्यक नहीं समझा गया कि स्वदेशी साधनों से ऊन की उपलब्धि के लिये कोई विशिष्ट उपाय किये जायें अथवा ऊनी उद्योग द्वारा स्वदेशी ऊन के इस्तेमाल के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित की जायें।

भारतीय राजनयिकों को पोशाक के बारे में हिदायतें

6541. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भारतीय राजनयिकों द्वारा विदेशों में पहनी जाने वाली पोशाक तथा राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग के बारे में कोई हिदायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या वे उन हिदायतों का पालन कर रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक पोशाक का सवाल है, नीचे लिखी वर्दी निर्धारित की गई है :

(1) औपचारिक उत्सवों पर—काली शेरवानी और सफेद रंग या हल्के बादामी रंग का चूड़ीदार पायजामा। गर्मी के मौसम में शेरवानी सफेद या हल्के बादामी रंग की भी हो सकती है।

(2) अपेक्षाकृत कम औपचारिक अवसरों पर—बंद गले का काला कोट और सफेद पतलून। गर्मी के मौसम में सफेद या हल्के बादामी रंग का बंद गले के कोट के साथ काली पतलून पहनी जा सकती है।

विदेश-स्थित सभी मिशनों को यह हिदायत दे दी गई है कि वे आपस में और उन विदेशियों के साथ जो हिन्दी जानते हों हिन्दी में ही बातचीत किया करें। अधिकारियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे उपयुक्त अवसरों पर हिन्दी में भाषण भी दिया करें और अपने निमंत्रण-पत्र, मुलाकाती-कार्ड आदि हिन्दी में छपवाया करें। विश्वास-पत्र, प्रत्यय पत्र आदि सभी हिन्दी में प्रस्तुत किये जाते हैं और साथ ही उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाता है। हिन्दी के समाचार-पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें भी विदेश स्थित अपने मिशनों को भेजी जाती हैं।

(ग) राष्ट्र भाषा अधिकाधिक प्रयोग करने में इन निदेशों का पालन किया जा रहा है।

भारतीय दूतावासों की इमारतों की भारतीय आकृति

6542. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन इमारतों में भारतीय दूतावास काम कर रहे हैं क्या वे विशेष रूप से भारतीय ढंग की दिखाई पड़ती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें भारतीय ढंग की बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). विदेशों में भारतीय राजदूतावासों के लिए बनाये जाने वाले मकानों के नक्शों को सरकार मंजूर करती है ताकि उन्हें यथासम्भव भारतीय रूप प्रदान किया जा सके और स्थानीय हालत पर भी ध्यान रखा जा सके ।

वे इमारतें जो सरकार की होती हैं या किराए पर ली होती हैं, सुसज्जित नहीं होतीं । उनको भारतीय पर्दे, दरी कला कृतियां और प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों के चित्रों से सजाया जाता है ताकि उनका स्वरूप भारतीय लगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशी संगठनों को भारतीय अंशदान

6543. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विभिन्न विदेशी संगठनों में से प्रत्येक को जिनकी सदस्य भारत सरकार है प्रति वर्ष कितनी राशि अंशदान के रूप में दी जाती है ;

(ख) उक्त संगठनों को 1966 से अब तक वर्षवार कितना अंशदान दिया गया ;

(ग) ये अंशदान किस मुद्रा में दिये जाते हैं ; और

(घ) इस वार्षिक व्यय से हमारे देश को अब तक क्या लाभ हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

कन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों को विभाग द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं खरीदने की अनुमति न दिया जाना

6544. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों को कैन्टीनों में बेची जाने वाली वस्तुएं जैसे स्कूटर, शराब, ट्रांजिस्टर, घड़ियां, बिजली का सामान आदि अपने नाम पर नकद भुगतान करके खरीदने की अनुमति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सुविधायें न होने के कारण इस विभाग के कर्मचारियों

में सामान्य रूप से असन्तोष की भावना है और इस कारण से कर्मचारियों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध इतने सौहार्दपूर्ण नहीं हैं जितने वास्तव में होने चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) को मुख्यरूप में प्रतिरक्षा बलों के कर्मचारियों को कैन्टीन सुविधायें देने के लिए स्थापित किया गया है। विशेष रियायत के रूप में कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों को भी प्रतिरक्षा कैन्टीनों से कुछ मदों को छोड़कर सामान खरीदने की अनुमति है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग, बम्बई, में कल्याण अधिकारी

6545. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के बम्बई प्रधान कार्यालय में एक कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह पद उपयुक्त प्रत्याशी न मिलने के कारण कुछ समय से रिक्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के लिये एक अन्य कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि उसके कर्मचारियों की वर्तमान संख्या एक हजार से अधिक है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, पद का निर्माण अप्रैल, 1960 में किया गया था ।

(ख) और (ग). कर्मचारियों की संख्या भी पुनर्विलोकन किये जाने पर मार्च, 1964 में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय में 500 से कम कर्मचारी हैं ।

सेवामुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) से स्कूटर प्राप्त करने से वंचित करना

6546. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) सभी नियमित और आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से स्कूटरों और मोटर साइकिलों के आर्डर बुक करता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई भी आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना से

सेवामुक्त होने, परन्तु किसी सरकारी उपक्रम में पुनः नियुक्त होने पर स्कूटर पाने का अधिकारी नहीं रह जाता चाहे, उसकी बारी शीघ्र ही आने वाली हो;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों का कोई दोष न होते हुए भी स्कूटरों के आवंटन की पात्रता रद्द कर दी गई थी; और

(घ) खुले बाजार में स्कूटरों की सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मामलों में परेशानी को दूर करने के लिये यदि सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) केवल उन अधिकारियों के आवेदन पत्रों को जो स्कूटरों के लिए हकदार हैं, इन आधारों पर रजिस्टर करता है कि आवेदनकर्ता के आवेदन पर तभी विचार किया जायेगा यदि वह स्कूटर के दिये जाने की तिथि को सक्रिय सेवा में होगा।

(ग) और (घ). भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

आयनीकरण और विकिरण के खतरों से कर्मचारियों की रक्षा

6547. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खतरनाक काम करते समय, जिनमें आयनीकरण हो जाता है, आयनीकरण तथा विकिरण के खतरों से कर्मचारियों की रक्षा करने के लिये भारत में अणुशक्ति आयोग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) भारत में यूरेनियम खानों में रेडन गैस से कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने के समाचार हैं;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी अन्त में फेफड़ों के कैंसर से मर गये; और

(घ) आयनीकरण और विकिरण से कर्मचारियों की रक्षा करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 115 का अनुसमर्थन करने तथा उसे भारत में क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विकिरण सामग्री की सहायता से काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण बचाव निदेशालय के अन्तर्गत एक फिल्म बैज सर्विस सारे देश में कार्य करती है जिसका लाभ देश के विभिन्न भागों में विकिरण स्रोतों का प्रयोग 500 संस्थाओं में किया गया है। सम्बन्धित संस्थाओं की उचित लाइनों पर सुरक्षित विकिरण संस्थापन तथा रेडियो इसोटोप प्रयोगशालाएं स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। विकिरण बचाव कार्य के लिए विकिरण

के माप के लिए औजारों का डिजायन तैयार किया गया है तथा विकास किया गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत विकिरण बचाव सम्बन्धी व्यापक नियम तथा विनिमय बनाये जा रहे हैं।

(ख) यूरेनियम खान के मजदूरों में से किसी मजदूरों पर जिनकी संख्या लगभग 700 है, रेडन गैस का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि यूरेनियम खानों में रेडन गैस के स्तर को उस स्तर से कम रखा जाता है जिस स्तर तक उसके रखने की अनुमति है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जैसे ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत नियम और विनियम बन जाते हैं और लागू हो जाते हैं, इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 115 का अनुसमर्थन करने पर विचार किया जायेगा।

निर्यात करने के हक का हस्तान्तरण

6548. **श्री प० मु० सईद** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातकों को प्राप्त निर्यात करने के अधिकार को निर्यात की जाने वाली वस्तु अथवा उसके किसी भाग का निर्माण करने वाली किसी नामांकित कम्पनी के नाम हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ख) क्या मैसर्स पारस इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बंगलौर नाम की नामांकित को, जिसके पक्ष में मुरादाबाद तथा दिल्ली से कुछ नामांकन हस्तांतरित किये गये थे, आयात तथा निर्यात के उप मुख्य नियन्त्रक, कानपुर ने स्वीकार कर लिया है और उसे आयात लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) क्या आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, नई दिल्ली ने उस कम्पनी को जाली घोषित किया है तथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की गलती के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। वर्ष अप्रैल, 1968—मार्च, 1969 के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण पुस्तक के अनुसार निर्यातक आयात लाइसेंसों की प्राप्ति के लिये, निर्यात की जाने वाली वस्तु अथवा उसके किसी भाग अथवा संघटकों अथवा कच्चे माल के निर्माताओं के हक में नामांकन कर सकते हैं, बशत कि ऐसा भाग, संघटक, अथवा सामग्री पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत आते हों।

(ख) जी, हां। ये लाइसेंस उद्योग निदेशक, बंगलौर द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र के आधार पर दिये गये थे।

(ग) और (घ). आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा फर्म को जाली

घोषित तो नहीं किया गया है, परन्तु स्थिति यह है कि उन्हें, उस कार्यालय में प्राप्त हुए कई आवेदनपत्रों में विभिन्न निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्यात के लिये नामांकित किया गया था। उन्होंने बहुत से उत्पादों, जिनका एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न था, के निर्माता के रूप में पंजीकृत होने के बारे में उद्योग निदेशक, बंगलौर से प्रमाणपत्र उपस्थित किये। उद्योग निदेशक बंगलौर से मिले प्रमाणपत्र की जांच करने पर एककों की क्षमता तथा प्रस्तावित नामांकनों की सत्यता के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गये। अतः उद्योग निदेशक, बंगलौर से एक विशेष रिपोर्ट मांगी गई। इस रिपोर्ट से पता चला कि मैसर्स पारस इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन वास्तव में उन निर्यात-उत्पादों के बनाने में नहीं लगा हुआ था जिनके लिये उसे नामांकित किया गया था, परन्तु कच्चे माल के उपलब्ध होने पर वह ऐसे उत्पादों का निर्माण कर सकता था। चूंकि नामांकनों की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, अतः उन्हें रद्द कर दिया गया था।

सेना मुख्यालयों के लिये ग्रीष्म ऋतु में कार्यालय के समय में परिवर्तन

6549. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालयों के लिये ग्रीष्म ऋतु में कार्यालय का समय पुनः बदल कर 8-00 म० पू० से 2–00 म० प० किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि चतुर्थ श्रेणी के तथा कम वेतन वाले कर्मचारियों को, जिनके पास अपना वाहन नहीं होता है और जिन्हें प्रातः काफी दूर से पैदल, साइकिल अथवा बस से आना पड़ता है, और तपती दुपहरी में कार्यालय से जाना पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इन कठिनाइयों को देखते हुए ग्रीष्म ऋतु में कार्यालय के समय में क्या परिवर्तन किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 14 अप्रैल, 1969 से सेवा मुख्यालयों में काम के घण्टे निम्नलिखित हैं :

प्रतिरक्षा कर्मचारी

7-30 म० पू० से 1-45 म० प०/सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और सभी शनिवारों को।

सिविलयन कर्मचारी

7-30 म० पू० से 1-45 म० प०/सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार।

7-30 म० पू० से 1-30 म० प० (दूसरे शनिवार सहित सभी शनिवारों को)

प्रतिरक्षा मुख्यालयों के अधिकांश सिविल कर्मचारियों ने प्रातः काम करने के घण्टों के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में चाय बागान

6550. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1969 के 'त्रिपुरा टाइम्स' में 'त्रिपुरा में चाय बागानों की कठिनाइयां' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समाचार में उल्लिखित त्रिपुरा के चाय बागानों की विभिन्न कठिनाइयों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) त्रिपुरा के चाय बागानों को अपनी कठिनाइयां दूर करने में क्या सहायता अथवा प्रोत्साहन दिया गया है अथवा दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) त्रिपुरा स्थित चाय बागानों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने में उन्हें सहायता देने के लिये कुछ राहत देने के आशय से एक परिवहन उपदान योजना 13-10-59 से 30-4-68 तक लागू रही । इस योजना के अधीन, त्रिपुरा से कलकत्ता तक चाय की परिवहन लागत के पर्याप्त भाग के लिए उपदान दिया गया था । योजना को वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर जारी रखने पर विचार किया जा रहा है । चाय बोर्ड ने भी 13-10-59 से 13-10-61 तक एक उर्वरक उपदान योजना चलाई थी । इस योजना को पुन: चालू करने के प्रश्न पर चाय बोर्ड विचार कर रहा है ।

त्रिपुरा की वार्षिक योजना

6551. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिये त्रिपुरा के विकास की वार्षिक योजना के प्रारूप का ब्योरा क्या है तथा कृषि उद्योग शिक्षा समाज कल्याण और स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा प्रत्येक कार्यक्रम पर अनुमानत: कितनी लागत लगेगी ;

(ख) क्या उस योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उसमें यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं तो कार्यक्रमवार वे क्या हैं ; और

(ग) मांगों में यदि कोई कटौती की गई है तो उसके परिणामस्वरूप किन-किन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०**

टी० 775/69] प्रशासन ने स्वीकृत योजना परिव्ययों के लिए भौतिक लक्ष्यों को अभी निर्दिष्ट नहीं किया है।

(ग) परिव्ययों को निर्धारण करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्कीमों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आयात करने के अधिकार के बारे में दावे

6552. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक से खजूरों का आयात करने वाले पुराने आयातकर्ताओं के लिये, आयात करने के अधिकार के बारे में दावा करने हेतु निर्धारित मूल अवधि, ईरान से उसी वस्तु का आयात करने के लिए निर्धारित मूल अवधि से भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) दोनों देशों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मूल अवधियां निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश के आयात व्यापार में मेवों के छोटे आयातकों को जायज हिस्सा मिले, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). ईरान से खजूरों के आयात के लिये कोटे का हिसाब लगाने के लिए मूल अवधि 1951-52 से 1965-66 है ; और ईराक के लिये 1956-57 से 1965-66 है। ईराक की अवधि को पीछे 1951-52 तक ले जा करके, मूल अवधियों में समानता लाना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि पहले की अवधि में हुए आयातों की लिखित साक्ष्य के आधार पर इस समय पड़ताल करना कठिन होगा।

(घ) सरकार ने मेवों के छोटे आयातकों के लिये पहले ही ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की है जिससे उन्हें व्यापार का जायज हिस्सा मिल जाता है।

Ban on Import and Export of Beef

6553. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shiv Chandra Jha :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of cow hides and the quantity of beef exported, during the period from 1962-63 to 1967-68 ;

(b) the quantity of beef imported during these years, year-wise ; and

(c) whether Government propose to impose a total ban on the import and export of beef?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) Exports of raw cow hides and beef are banned. Exports of tanned cow hides and meat of bovine cattle during 1962-63 to 1967-68 are given in the attached statement 'A'. **[Placed in Library. See No. LT-776/69]**

(b) While import of beef is not allowed, imports of meat of bovine cattle from 1962-63 to 1967-68 are given in the statement 'B'. **[Placed in Library. See No. LT-776/69]**

(c) In view of the position stated against parts (a) and (b) above, the question does not arise.

Indo-Japan Industrial Collaboration

6554. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the further progress made in strengthening trade relations between India and Japan;

(b) whether any decision has been taken to establish some industrial units in India with the collaboration of Japan; and

(c) if so, the location of these industrial units and when these are likely to start functioning?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) There has been almost a continuing dialogue with the Government, trade and industry of Japan with a view to expanding trade between the two countries. A Trade Mission from Japan visited India from January 5, 1969 to February 1, 1969, to study specially the prospects of increasing further exports from India of certain primary products to Japan. The potential for the growth of our exports to Japan was highlighted to the Mission. A Delegation of Japanese industrialists visited India during March, 1969. Manufactures and semi-manufactures which India was in a position to supply to Japan were brought to their notice.

(b) and (c). The Government of India have approved 235 Indo-Japan Collaboration cases during the period 1960 to 1968. It is difficult to indicate the present stage of these industries. Details of the collaborations approved i. e. names of the Indian and foreign companies, and item of manufacture, in each case are published in the Journal of Industry and Trade, copies of which are available in the Parliament Library.

भारी बख्तरबन्द टैंक

6555. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान ने चीन, अमरीका तथा रूस से भारी

बख्तरबन्द टैंक ले लिये हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे टैंकों का विकास करने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अवाडी स्थित टैंक कारखाने का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सरकार द्वारा हथियार योजना पर, चौथी पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना के भाग के रूप में, विचार किया जा रहा है । इस पर विचार करते समय देश के समक्ष खतरों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) और (घ). अवाडी स्थित भारी मोटी गाड़ी कारखाने के विस्तार की कोई योजना नहीं है । फिर भी इस कारखाने में टैंकों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

हज यात्री

6556. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कितने मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदनपत्र दिये थे तथा इस अवधि में वर्षवार कितने व्यक्तियों को वास्तव में अनुमति दी गई थी ; और

(ख) आवेदनपत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की क्या कसौटी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह) : (क) :

वर्ष	प्रार्थनापत्रों की संख्या जो प्राप्त हुए हैं। (इसमें समुद्री और हवाई यात्रा दोनों सम्मिलित हैं)	हज जाने वाले यात्रियों की बच्चों सहित संख्या (इसमें समुद्री और हवाई यात्रा दोनों से जाने वाले सम्मिलित हैं)
1966	31,747	15,533
1967	30,818	15,544
1968	30,859	15,171

(ख) चूंकि प्रार्थना-पत्रों की संख्या आम तौर से सरकार द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक होती है इसलिये चयन आम तौर से 'कुर्रा' लाटरी निकालकर किया जाता है ।

Conversion of Soft Wood into Hard Wood

6557. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the **Prime Minister** be pleased to state the targets laid down during the Fourth Plan period for making practical use of the process developed by the Atomic Energy Establishment to convert soft wood into hard wood?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): The Bhabha Atomic Research Centre is developing a process for converting soft wood into hard wood by irradiation. No target has been laid down for this during the Fourth Plan.

अफ्रीकी-एशियाई उद्योग विकास में भारत द्वारा भाग लिया जाना

6558. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया तथा अफ्रीका के ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के विकास में भाग लेने के लिये भारत को आमन्त्रित किया है;

(ख) क्या भारतीय उद्योगों को इन परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) भारतीय तत्वावधान में अथवा भारतीय उद्योगों के सहयोग से कितनी मुख्य औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशों में भारतीय सहयोग से संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा पहल की जाती है । समय-समय पर विदेशी सरकारों से उन देशों में औद्योगिक परियोजनाएं जैसा कि आरम्भ करने में भारतीय सहयोग के बारे में प्रार्थनाएं प्राप्त होती हैं जो कि बहुत विशिष्ट नहीं होतीं अर्थात् उगाण्डा में चीनी परियोजना, मारीशस में कपड़ा मिल, कुवैत में स्टील पुनर्बेलन मिल, एल्मीनियम स्मैल्टिंग प्लांट, सीमेंट संयंत्र और सीग्रेट कारखाना । उगाण्डा चीनी परियोजना को छोड़कर जिस पर सरकारी स्तर पर विचार हो रहा है सभी प्रार्थनाओं को भारतीय उद्योगपतियों में परिचालित कर दिया गया है । रुचि रखने वाली पार्टियां सम्बन्धित विदेशों से अपनी जैसी पार्टियों से बातचीत कर रही हैं ।

(ख) और (ग). जी हां । विभिन्न एफ्रो-एशियाई देशों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिये भारत सरकार भारतीय उद्योगपतियों के 67 प्रस्तावों को मंजूर कर चुकी है । इनमें 13 परियोजनाओं में उत्पादन भी आरम्भ हो गया है । अन्य क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

6559. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना के समय और

13 मार्च, 1968 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) कारपोरेशन को 31 मार्च, 1968 को ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार बैंकों अथवा अन्य फर्मों को अलग-अलग कितनी राशि देय थी;

(ग) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन ने कितनी राशि ब्याज के रूप में दी;

(घ) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन के काम के क्या परिणाम निकले; कितना लाभ अथवा हानि हुई और यदि हानि हुई, तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) 1968-69 के लिये इसके क्या अनुमान हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दि इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया का गठन 11 अप्रैल, 1967 को 10,00 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। 31 मार्च, 1968 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 80.00 लाख रुपये थी।

(ख) 31 मार्च, 1968 को कारपोरेशन को ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार के 85.00 लाख रुपये देने थे।

(ग) 8.65 लाख रुपये।

(घ) 1967-68 के पहले आठ महीनों में कारपोरेशन को 17.30 लाख रुपये की हानि हुई।

(ङ) अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिये 2.10 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था करने के बाद इस हानि का अनुमान लगाया गया था। लगभग 7.90 लाख रुपये का मूल्यह्रास प्रचार इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, आने वाले वर्षों के लिये आस्थगित 14.92 लाख रुपये का राजस्व व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया गया। लगभग 7.00 लाख रुपये का मूल्यह्रास छोड़कर 1968-69 में लगभग 15.00 लाख रुपये की हानि होने की सम्भावना है।

पिछले दो वर्षों में कारपोरेशन विकास की अवस्था में थी। स्थायी सुविधाएं जुटने तक इसके बहुत से क्रियाकलाप किराये पर ली गई बिल्डिंगों में चलते रहे। यह तेजी से तरक्की कर रही है।

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

6560. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 जनवरी, 1969 को आप्रवास पुलिस ने पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये थे जो अवैध रूप से भारत से ईरान चले गये थे और जिन्हें वापिस भेज दिया गया था; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 134 ।

(ख) उन पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) (क) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था । उन सभी को दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को 25-25 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है और जुर्माना अदा न करने पर एक-एक हफ्ते की कड़ी कैद ।

मैसर्स कमानी एण्ड कम्पनी, बम्बई

6561. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मैसर्स कमानी एण्ड कम्पनी ने ईरान के पंचवर्षीय बिजली विकास कार्यक्रम के लिये उपकरण तथा प्रौद्योगिकी सप्लाई करने का ठेका प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). सरकार सामान्यतः व्यक्तिगत भारतीय फर्मों के वाणिज्यिक सौदों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखती । फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स कमानी एण्ड कम्पनी, बम्बई ने ईरान को 10,000 टन ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, 10,000 टन तांबे के कंडक्टर तथा 1,500 टन ए० सी० एस० आर० कंडक्टर की पूर्ति के लिए संविदाएं प्राप्त की हैं ।

केलों का निर्यात

6562. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने केलों के निर्यात के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है, जो गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

6563. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में 11 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये भूमि देने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस योजना के आर्थिक पहल पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ योजना के वित्तीय पहलू पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका उपक्रम

6564. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका उपक्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जहां तक सरकार को मालूम है, इस रूप में कोई संयुक्त भारत-श्रीलंका प्लास्टिक औद्योगिक प्रायोजना विद्यमान नहीं है । तथापि, पी० वी० सी० लेदर क्लाथ बनाने के एक भारत-श्रीलंका संयुक्त उपक्रम में मार्च, 1969 में उत्पादन शुरू हो गया है ।

सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अपर डिवीजन क्लर्क

6565. **श्री रामचरण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में कितने अपर डिवीजन क्लर्क

कार्य करते हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि ए० ओ० सी० में काम करने वाले जूनियर अफसरों को पदोन्नत किया गया है यद्यपि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रभावित अधिकारियों द्वारा छः महीने पहले सी० पी० आर० ओ० 62/64 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को दी गई याचिकाएं अग्रप्रेषित नहीं की गई हैं और उनको रोका जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो जिन अधिकारियों ने ये याचिकाएं रोक रखी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० के रिकार्ड आफिस में काम करने वाले 1766 अपर डिवीजन क्लर्कों में 22 क्लर्क अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदोन्नति के रिक्त स्थानों पर अन्य लोगों को पदोन्नत किया जा सकता है यदि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति उपलब्ध न हों।

(ग) ऐसी कोई याचिका नहीं रोकी गई है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीलंका के प्रवासियों का सामूहिक आगमन

6566. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के प्रवासियों का सामूहिक आगमन जुलाई, 1969 में आरम्भ होगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिये क्या व्यवस्था की है कि स्वदेश लौटने वाले लोगों को श्रीलंका से आते समय पारपत्र / वीसा लेने में कोई अनावश्यक कठिनाई न हो;

(ग) क्या इस कार्य की देख-भाल के लिये श्रीलंका में कोई कार्यालय खोला गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। परन्तु हम इस बात की प्रत्याशा कर सकते हैं कि लगभग इस वर्ष जुलाई से स्वदेश वापस लौटने वालों की संख्या में क्रमिक वृद्धि होगी, क्योंकि श्रीलंका के करार क्रियान्वयन अधिनियम 1967 के अन्तर्गत

भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किये गये व्यक्तियों को श्रीलंका सरकार द्वारा जारी किये गये 'निवास परमिटों' की अवधि लगभग उस समय तक खत्म होना शुरू हो सकेगा।

(ख) स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को यात्रा दस्तावेज देने के लिये समुचित कदम उठाये गये हैं।

(ग) और (घ). कोलम्बो और कैण्डी स्थित हमारे मिशनों का विस्तार एवम् पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि वे यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज जारी करने से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य को पूरा कर सकें।

Assistance for Construction of Roads in Nepal

6567. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to give financial assistance to the Government of Nepal for the construction of roads (especially those connecting Nepal and India) for the movement of traffic during 1969-70; and

(b) if so, the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 7.70 crores has been provided in the Budget Estimates for 1969-70.

टैरीन के धागे, सूती तथा ऊनी कपड़े का उत्पादन

6568. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्षवार, अलग-अलग टैरीन के धागे, सूती तथा ऊनी कपड़ों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) टैरीन धागे का औसतन मूल्य क्या है और यह आयातित माल की तुलना में कम है अथवा अधिक;

(ग) इस धागे के उत्पादन के लिये गत दो वर्षों में वर्षवार कितनी मात्रा में मूल कच्चा माल आयात किया गया; और

(घ) देश में धागे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इसका उत्पादन देश में करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसको तत्पश्चात् सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) मैसर्स केमिकल एण्ड फाइबर आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित टैरीन फाइबर का एक्स-फैक्टरी मूल्य उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त 20.58 रुपये प्रति किलोग्राम है। फाइबर

का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सीमा शुल्क सहित इस देश में 18 रुपये प्रति किलोग्राम है ।

(ग) 1966-67 2853 टन

1967-68 5780 टन

(घ) वर्तमान एकक को प्रतिवर्ष 4,500 टन से 6,100 टन तक अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है । इसके अतिरिक्त तीन नये कारखानों को कुल 15,100 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं ।

अल्जीरिया के साथ व्यापार करार

6569. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अल्जीरिया के साथ कोई व्यापार करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) करार के परिणामस्वरूप अल्जीरिया के साथ भारत के व्यापार में किस सीमा तक सुधार होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). इस समय भारत और अल्जीरिया के बीच कोई व्यापार करार नहीं है । परन्तु एक ऐसा व्यापार करार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारत-फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता

6570. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच मार्च, 1969 में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इससे भारत के आर्थिक विकास में फ्रांस द्वारा दी जाने वाली सहायता में कितनी वृद्धि होगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत-फ्रांस मंत्रणा के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया जिनमें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ-साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विषय

भी शामिल थे। सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में विचारों का उल्लेखनीय साम्य मिला। भारत और फ्रांस से संबंधित आर्थिक प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मंत्रणाएं गोपनीय थीं और ऐसे विचार-विमर्श के विवरणों को प्रकट करने की परम्परा नहीं है।

जोहन्सबर्ग में ग्रूप एरियाज एक्ट लागू होना

6571. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका के सामुदायिक विकास मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया बताया जाता है कि जोहन्सबर्ग में भारतीय व्यापारियों पर ग्रूप एरियाज एक्ट लागू किये जाने से किसी भी भारतीय व्यापारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) क्या भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के मंत्री के इस दावे का कोई निश्चित प्रमाण देकर खंडन किया है और उन्हें बताया है कि उक्त अधिनियम से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों का व्यापार किस प्रकार वस्तुतः नष्ट कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका के सामुदायिक विकास मंत्री ने इस प्रकार का कोई बयान दिया था। लेकिन, सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं कि दक्षिण अफ्रीका के सामुदायिक विकास मंत्री ने गत अक्तूबर में अपने एक बयान में जिसमें उन्होंने यह धमकी दी थी कि भारतीय मूल के लोग अपने व्यापार में अनेक रूपता नहीं लाते तो वे उन्हें वाणिज्य से बाहर निकाल देंगे, यह भी कहा था कि वे किसी भी भारतीय व्यक्ति को काम से अलग नहीं करने देंगे ?

(ख) और (ग). जातीय पृथग्वासन की नीति के विषय में भारत सरकार की स्थिति सर्वविदित है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के साथ हमने भी कई बार दक्षिण अफ्रीका की सरकार की निंदा की है। दक्षिण अफ्रीका के सामुदायिक विकास मंत्री की इस धमकी पर दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय की कठोर प्रतिक्रिया हुई है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार जिस अविवेकपूर्ण और निर्मम तरीके से जातीय पृथग्वासन की नीति पर चल रही है उससे भारत सरकार अवगत है और यह नहीं समझती कि इस नीति के कारण जो अन्याय हो रहा है उन्हें प्रकाश में लाने से कोई फायदा होगा क्योंकि ये बातें सर्वविदित हैं और संयुक्त राष्ट्र इस मामले पर विचार कर रहा है।

देहरादून स्थित इंडियन मिलिटरी कालेज में गुजरात के छात्र सैनिकों को छात्रवृत्तियां

6572. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज में पढ़ रहे गुजरात के छात्र सैनिकों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में कितने छात्र सैनिकों को योग्यता-एवं-वित्तीय साधन छात्रवृत्तियां दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त छात्रवृत्ति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में इस समय गुजरात राज्य के तीन छात्र सैनिक हैं। उनको छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं। गुजरात राज्य सरकार ने राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज में अध्ययन करने वाले उस राज्य के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की कोई योजना आरम्भ नहीं की है। ये तीनों छात्र केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को पाने सम्बन्धी शर्तों को भी पूरा नहीं करते।

रुपयों में भुगतान संबंधी व्यापार

6573. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें भारत रुपयों में भुगतान करता है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उन देशों से उपलब्ध वस्तुएं हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) रुपये में भुगतान वाले देशों तथा अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं के मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत का निम्नलिखित देशों के साथ रुपया भुगतान का प्रबन्ध है :

बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, उत्तरी कोरिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हंगरी, नेपाल, पोलैण्ड, रूमानिया, तुनिशिया, संयुक्त अरब गणराज्य, रूस और यूगोस्लाविया।

जहां तक अफगानिस्तान के साथ व्यापार का सम्बन्ध है भुगतान के दो ढंग हैं, एक है निर्बाध विदेशी मुद्रा और दूसरा है, जिसमें कि व्यापार का भुगतान किया जाता है, आयात की

जाने वाली वस्तुओं के वजन और मूल्यों को भारतीय रुपयों में निर्यात द्वारा बराबर किया जाना।

(ख) भारत की बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार ही इन देशों से द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत वस्तुओं का आयात किया जाता है।

(ग) 1965-66, 1966-67 और 1967-68 और अप्रैल से दिसम्बर 1968 के बीच भारत और रुपया भुगतान देशों के बीच वास्तविक व्यापार तथा मुख्य वस्तुओं के एककों का तुलनात्मक मूल्य विवरण में दिया गया है जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 777/69]**

बी ट्विल का विनियंत्रण

6574. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ते के बाजार में बोरियों (बी० ट्विल) के बारे में हुई प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो 27 फरवरी से 10 मार्च, 1969 तक (दोनों दिन मिलाकर) क्या वास्तविक प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के विनियंत्रण के बारे में अपने अस्थायी निर्णय को इस बीच बदल दिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मिलों के पास पड़े भण्डारों को बेनामी अथवा अन्य तरीके से नियंत्रित मूल्य पर खरीदने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) निर्दिष्ट अवधि में बी० ट्विल टाट के बोरों के कोई भाव प्राप्त नहीं हुए।

(ग) सरकार ने बी० ट्विल के विनियंत्रण के बारे में कोई अस्थायी निर्णय नहीं किया था।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली छावनी में सैनिक रिहाइशी बस्तियों में फ्लश की व्यवस्था वाले शौचालय

6575. **श्री सूरज भान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के रिकार्ड के अनुसार दिल्ली छावनी की सैनिक रिहाइशी कालोनियों में फ्लश वाले शौचालयों की व्यवस्था है, जब कि वास्तव में वहां फ्लश की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन बस्तियों के नाम क्या हैं, इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और इस जालसाजी के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन-कौन हैं; और

(ग) कदाचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं जिन स्थानों पर फ्लश वाले शौचालय हैं उनमें फ्लश की व्यवस्था है और ये पद्धति इन सभी स्थानों पर ठीक काम कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विक्रय समिति को ऋण तथा अनुदान

6576. **श्री जी० विश्वनाथन** :
श्री एस० कंडप्पन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विक्रय समिति को अब तक कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में हुए उत्पादन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति के कार्यसंचालन के बारे में जांच कराने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :
(क) ऋण—75,00,000 रु०।

अनुदान : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) 1965-66 — 2,31,16,800 रु०
1966-67 — 2,40,42,100 रु०
1967-68 — 2,69,23,000 रु०

(ग) और (घ). जी नहीं, क्योंकि ऐसी जांच की अभी तक कोई जरूरत पैदा नहीं हुई है।

भारत में बनाये गए ट्रांजिस्टर सेट

6577. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक बनाये गये सबसे सस्ते ट्रांजिस्टर सेट का ब्योरा, लागत और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस दिशा में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). संगठित क्षेत्र में फर्मों द्वारा बनाये गये अच्छी किस्म के मीडियम वेव के ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर बाजार में 90 से 100 रुपये के बीच उपलब्ध हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में बनाये गये ऐसे ही सेट 70 और 80 रुपये के बीच उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रोनिक पुर्जों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिससे पुर्जों की लागत में कमी होगी और इससे ट्रांजिस्टर रेडियो की लागत में भी कमी होगी क्योंकि ऐसे रेडियो सेटों की लागत में पुर्जों की लागत का बड़ा हाथ है। सभी फर्मों के उत्पादन का एक बड़ा भाग 165/- रुपये से कम कीमत के रेडियो सेटों का उत्पादन है।

ब्रिटेन में सिक्खों पर प्रतिबन्ध

6578. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री शशि भूषण :
श्री बूटा सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :
श्री रा० बरुआ :
श्री गु० सिं० ढिल्लों :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने ब्रिटेन के हाल के दौरे के समय ब्रिटिश प्राधिकारियों से सिक्खों पर उनके मालिकों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुर्तगाली कारावास से श्री मोहन रानाडे की रिहाई

6579. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोवा के महान स्वतंत्रता सेनानी, श्री मोहन रानाडे के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि गोवा स्वतंत्र कराते समय पुलिस कार्यवाही में बंदी बनाये गये पुर्तगालियों के बदले में उनको पुर्तगाली जेल से छुड़ाने के बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया था;

(ख) इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार को उनको इस समय छुड़ाने के बारे में क्या कठिनाई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस संबंध में खबरें देखी हैं।

(ख) श्री रानाडे की रिहाई के लिए सरकार ने सदैव सभी संभव उपाए और मार्ग अपनाए थे। जनवरी 1969 में श्री रानाडे की रिहाई को हमें इन्हीं प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

(ग) श्री रानाडे की रिहाई के संबंध में पुर्तगाल सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये और पुर्तगाल के साथ हमारे संबंधों के कारण श्री रानाडे की रिहाई में स्पष्ट कठिनाइयां थीं।

गोआ की लड़कियों का आवुडावी को निष्क्रमण

6580. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि फारस की खाड़ी और गोआ के बीच चलने वाले 'ऋंटीं क्राफ्ट' में गोआ की बहुत-सी लड़कियां अब आवुडावी जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है, कि ये लड़कियां—शेखों के पास घरेलू कर्मचारियों के रूप में काम करती हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी लड़कियां गोआ से चली गई हैं; और

(घ) इस निष्क्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार का ध्यान कथित निष्क्रमण संबंधी अखबारी खबर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गोवा की लड़कियां वहां से देशी जलयान आवुडावी जा रही हैं। आवश्यक जांच पड़ताल की गयी है लेकिन उनसे इस बात की पुष्टि नहीं होती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Balance of Trade with West Germany

6581. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the reasons for which India's adverse balance of trade with West Germany for India is showing an increase ;

(b) whether it is a fact that West Germany is not able to fulfil the commitments made by it as a result of which the trade relations with it are becoming unfavourable for India ;

(c) whether it is also a fact that West Germany is neglecting the question of making imports from India ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Gevernment propose to take any action to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) India's adverse balance of trade with Federal Republic of Germany is not showing an increase since 1966-67.

(b) No, Sir.

(c) to (e). It is not correct that Federal Republic of Germany is neglecting the question of imports from India. They are actually assisting us in various ways in our export promotion efforts.

बी० ट्विल बोरों पर से नियन्त्रण हटाना

6582. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के बड़े व्यापार समूहों द्वारा बी० ट्विल बोरों पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बारे में किये जा रहे सौदे और बाद में सरकार द्वारा विनियन्त्रित मूल्य पर बड़े पैमाने पर की गई खरीद के बारे में सरकार को एक संसद् सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन मिलों ने इन बी० ट्विल बोरों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया था और उन्हें इन पर से नियन्त्रण हटाये जाने की प्रत्याशा में इनको बेनामी रखा हुआ था;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप करके इस विनियन्त्रण प्रयास को बीच में ही रोक दिया था;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों आदि के सम्बन्ध में अपनी मांग को पूरा करने के लिये इस बीच इस स्टाक को 200 रुपये प्रति सौ बोरा नियन्त्रित मूल्य पर लेने का निर्णय दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो नियन्त्रित मूल्य पर स्टाक को न लेने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ) सदन में 2 अप्रैल, 1969 को विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्री द्वारा इस विषय पर दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

Export of Films to U. S. S. R.

6583. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme for the export of Indian films to U. S. S. R. in view of the fact that Indian films are popular in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). There is no special agreement for the export of Indian films to U. S. S. R. Indian films can be exported to U. S. S. R. by any producer or merchant provided the film is purchased by Sovexport Film, Moscow. During 1968, four Indian films of a total value of Rs. 5,70,000/- were purchased by U. S. S. R.

आर्मी वेस वर्कशाप (ई० एम० ई०) दिल्ली छावनी

6584. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, तथा वर्ष 1968-69 में 505 आर्मी वेस वर्कशाप (ई० एम० ई०) दिल्ली छावनी के लिये बाजार से कितने मूल्य का सामान स्थानीय रूप से खरीदा गया;

(ख) क्या उस सामानं को ई० एम० ई० वर्कशाप में बनाया जा सकता है जिससे जन शक्ति का पूरा उपयोग करके सरकारी धन बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 505 आर्मी वेस वर्कशाप द्वारा सामानों के स्थानीयत: क्रय की राशि इस प्रकार है :—

1967-68	2,09,765.00 रुपये
1968-69	4,16,465.00 रुपये

(ख) सामानों का स्थानीयत: क्रय केवल तभी विचारा जाता है कि जब वह सप्लाई के साधारण साधन से प्राप्य न हो, और शाप के वर्तमान प्रभार की प्रगति के लिये तुरन्त आवश्यक हो । जो मदें वर्कशाप में बचत के लिहाज से लाभत: निर्माण की जा सकती हैं, निर्माण की जाती हैं, जब कि शेष मदें बाजार से खरीदी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6585. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17 दिसम्बर, 1968 को श्री के० एस० सेठी नामक एक व्यक्ति से एक ज्ञापन मिला था जिसमें तत्काली वाणिज्य मंत्रालय के कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों तथा भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) आरोपों को निराधार समझा गया है । किन्तु, मामले के कतिपय पहलू इस समय विधि न्यायालय के समक्ष हैं ।

धोखाधड़ी के सौदों में फंसे व्यापारी

6586. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई के उन व्यापारियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने मद्रास के चमड़ा व्यापारियों से आयात लाइसेंस खरीदे थे और जिनका धोखाधड़ी के सौदों में हाथ था जैसा कि लोक लेखा समिति के 56वें प्रतिवेदन में कहा गया है;

(ख) गत दो वर्षों में सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिनमें आयात की जाने वाली वस्तुओं के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य के और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य के बीजक बनाये गये;

(ग) उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनकी इन व्यापारियों के साथ साजिश होने का समाचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन मामलों की जांच कराने का है;

(ङ) सरकार द्वारा इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनका हाथ धोखा-धड़ी के सौदों में है; और

(च) राजकोष को विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

उपचार के लिये विदेश जाने वाले व्यक्ति

6587. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा पूर्व यूरोप के देशों में गये उन सब 50 व्यक्तियों के पते क्या हैं;

(ख) उन देशों को गये व्यक्तियों को क्या-क्या रोग थे;

(ग) उनको विदेश जाने की अनुमति क्यों दी गई जब कि उनका उपचार भारत में किया जा सकता था;

(घ) क्या उनके मामलों की स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक या सिविल सर्जन ने सिफारिश की थी;

(ङ) कुछ मामलों में पत्नियों तथा पुत्रियों को भी उनके पतियों या पिताओं के साथ जाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे; और

(च) भविष्य में इसको रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्राप्त सूचना अनुबन्ध में निहित है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 778/69**]

(ख) ब्योरे प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) से (च). उन्हें जाने की अनुमति दी गई क्योंकि यह विदेश यात्रा से सम्बद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार थी ।

प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों का चयन

6588. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों निदेशालयों में नियुक्त किये गये हेड-क्लर्क-सिविलयन स्टोर कीपर, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के सुपरिन्टेन्डेन्ट के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों के लिये कितने स्थान आरक्षित रखे गये थे;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों ने आवेदनपत्र दिये और उनमें से कितने उम्मीदवारों को अलग-अलग इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया;

(घ) उनमें से कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया; और

(ङ) शेष आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

नागाओं की गिरफ्तारी

6590. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सुरक्षा सेना ने कुल कितने विद्रोही नागाओं को पकड़ा या गिरफ्तार किया अथवा हिरासत में लिया;

(ख) उनसे पकड़े गये हथियारों का ब्योरा क्या है; और

(ग) कितने विरोधी नागा मारे गये अथवा घायल हुये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1 मार्च, 1968 और 28 फरवरी, 1969 के बीच 1435 भूगर्भ नागा पकड़े गये थे। इसके अतिरिक्त माऊं अंगामी और आईजक स्वू के नेतृत्व में दलों के 258 चीन से लौटे नागा मार्च-अप्रैल 1969 के दौरान पकड़े गये थे।

(ख) उपरोक्त अवधि में मार्च-अप्रैल, 1969 के दौरान चीन से लौटे दलों से पकड़े गये 263 आयुधों के अतिरिक्त, भूगर्भ नागाओं से 953 आयुध पकड़े गये थे। इनमें शामिल हैं 60 एम० एम० मार्टर, 73 एम० एम० राकेट प्रक्षेपक, 7.62 एम० एम० लाईट मशीन गनें, 7.62 एम० एम० स्वचालित राईफलें, स्टेनगनें, कार्बाईन सब-मशीन गनें, पिस्तौल और गैर-सेवा किस्म की गनों की एक भारी संख्या।

(ग) इन अवधि में 72 भूगभ नागा मारे गये थे और 10 घायल हुये थे। इसके अतिरिक्त 5 भूगर्भ नागा, मार्च-अप्रैल, 1969 में आईजक स्वू के विरुद्ध संक्रियाओं में मारे गये थे।

रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण

6591. **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेडियो और ट्रांजिस्टर निर्माता लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा बनाये गये रेडियो और ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेडियो के पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध होने के कारण उत्पादन में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) लघु क्षेत्र में रेडियो सेटों और ट्रांजिस्टरों का उत्पादन पिछले वर्षों में निम्नलिखित है :—

वर्ष	संख्या
1965	3.1 लाख
1966	3.9 लाख
1967	4.5 लाख
1968	7.5 लाख

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल के साथ व्यापार संतुलन

6592. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1965 से नेपाल के साथ हमारा व्यापार संतुलन उत्तरोत्तर प्रतिकूल होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल से आयात में कटौती करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1965-66 से अब तक नेपाल के साथ हमारे व्यापार की स्थिति निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	**भारत में आयात**	**भारत से निर्यात**	**व्यापार-संतुलन**
1965-66	749	1966	(+) 1217
1966-67	1219	2100	(+) 881
1967-68	1508	1840	(+) 332
1968-69 (अप्रैल-नवम्बर)	923	1565	(+) 642

2. भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार वर्ष 1960 में दोनों सरकारों के बीच हुई व्यापार तथा परिवहन संधि के उपबन्धों के अनुसार होता है । संधि के अनुसार दोनों देशों में से किसी भी देश के उद्भव का माल, जो दूसरे देश में खपत के लिये हो, सीमा शुल्क तथा अन्य समकक्ष प्रभारों के साथ-साथ परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों से मुक्त है । फिर भी उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रकट हो जायेगा कि व्यापार संतुलन भारत के प्रतिकूल नहीं है ।

नेपाल द्वारा कृत्रिम रेशे के बने हुये कपड़े का निर्यात

6593. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में नेपाल द्वारा कृत्रिम रेशे के बने हुये कितने मीटर कपड़े का भारत से भिन्न देशों को निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी के पास प्राप्य जानकारी के अनुसार वर्ष 1967-68 की संगत व्यापार विवरणी में कलकत्ता से अन्य देशों को हुये ऐसे किसी निर्यात का उल्लेख नहीं है ।

गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये सुविधायें

6594. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-प्राथमिकता वाली सूची में सम्मिलित उद्योगों को भी कच्चे माल, पुर्जे, फालतू पुर्जों के आयात के लिये और अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत भाग के निर्यात के आधार पर, चाहे उनका निर्यात तथा आयात राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता हो, अपनी अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार के मामले में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिये वही प्राथमिकता मिल सकती है जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को वर्ष 1968-69 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति के खण्ड 1, धारा 1, कण्डिका 39 के अन्तर्गत दी जा सकती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें किस आधार पर इन कामों से वंचित रखा गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). 1968-69 की आयात नीति के अनुसार, आयात व्यापार नियंत्रण नीति के खण्ड 1, धारा 1, कण्डिका 39 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले जिन औद्योगिक एककों ने 1967-68 में अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत का निर्यात किया हो, वे अपनी आयात आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पसन्द के स्रोतों से करने तथा उत्पादन के विस्तार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिये पात्र थे। जहां तक विशिष्ट मदों से सम्बन्धित आयात अथवा निर्यात नीति का सम्बन्ध है, उस पर कथित कण्डिका 39 के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भारत में ताना बुनने की मशीनें

6595. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़े के निर्यात के कारण हकदारी के नाते अब तक ताना बुनने की कितनी मशीनों का आयात किया गया है और वर्ष 1966 से ताना बुनने की कितनी मशीनों का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य में ताना बुनने की कितनी-कितनी मशीने हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अकेले एकक में ताना बुनने की चार से अधिक मशीनें लगाने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में क्रिम्पिग मशीनें (तकलों समेत) कितनी हैं; और

(च) देश में तथा विदेशों में बाजारों में इसकी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार अधिक क्रिम्पिग मशीनों का आयात करने की अनुमति देने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अभी तक आयात की गई वार्प निटिंग मशीनों की संख्या 197 है और 1966 से आयातित मशीनों की संख्या 152 है ।

(ख) देश में वार्प निटिंग मशीनों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

1.	महाराष्ट्र	...	98
2.	पंजाब तथा हरियाणा	...	48
3.	गुजरात	...	35
4.	पं० बंगाल	...	2
5.	दिल्ली	...	5
6.	राजस्थान	...	2
7.	मध्य प्रदेश	...	4
8.	गोआ, दमन तथा दीव	...	3

(ग) जी नहीं ।

(घ) एक एकक में चार वार्प निटिंग मशीनों की यह सीमा लघु उद्योग तथा छोटे उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये लगाई गई है । चार वार्प निटिंग मशीनों वाले एकक को एक लाभप्रद एकक समझा गया है ।

(ङ) आयातित तथा स्थापित क्रिम्पिंग मशीनों की संख्या 39 है । इन मशीनों में तकुओं की संख्या प्रति मशीन 144 तकुये से 240 तकुये हैं ।

(च) इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

India's Exports

6596. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the names and value of goods exported from India during the last three years;

(b) the quantity of goods exported from the public sector and private sectors, separately and the values thereof during the said period; and

(c) the names of the countries to which these exports were effected?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (c). The details of the goods exported from India to other countries during the last three years are published in the Monthly Statistics of the Foreign Trade of India, Volume-I Exports and Re-exports, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) Sector-wise exports statistics are not available as the trade statistics are compiled for the country as a whole.

पाकिस्तान की शक्तिशाली नौसेना

6597. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1969 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित पाकिस्तान रेडियो प्रसारण से सम्बन्धित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि रूसी नौसेना के डिप्टी चीफ ने कहा है कि हिन्द महासागर के इस भाग में शांति स्थापित रखने के लिये आवश्यक होगा कि पाकिस्तान के पास एक 'शक्तिशाली नौसेना' हो ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान रेडियो द्वारा उद्धृत रूसी नौसेना ने डिप्टी चीफ के इस वक्तव्य की सच्चाई के बारे में रूस सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने अखबार में यह खबर देखी है ।

(ख) और (ग). जांच-पड़ताल से पता चलता है कि सोवियत नौसेना के उपाध्यक्ष ने वाकई इस प्रकार का बयान दिया था । भारत सरकार यह समझती है कि ऐसे बयानों से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपने मन्सूबों में प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है और इससे इस उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ेगा । यह बात सोवियत अधिकारियों को बता दी गई है ।

मिग विमान का निर्माण लागत

6598. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमानों के निर्माण के प्रत्येक चरण पर होने वाली लागत का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । निर्माण की प्रत्येक प्रावस्था के लिये लागत के अस्थायी अनुमान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार कर लिए गए हैं ।

(ख) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

केन्द्रीय आयुध डिपुओं के अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी

6599. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपुओं के अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों की 1 अगस्त, 1949 से पहले की सेवाओं को, जिनकी बाद में नियमित संवर्ग में ले लिया गया था, वरिष्ठता पेंशन तथा अन्य लाभों के लिये पूर्णत: शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किन-किन लाभों के लिये उस सेवा को शामिल नहीं किया गया ;

(ग) इसके क्या कारण हैं, विशेषकर, जबकि वे लगातार सरकारी नौकरी में रहे हैं ;

(घ) क्या अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी के नाते उनकी सेवा का उन्हें पूरा लाभ पहुंचाने के लिये उन्हें ये लाभ प्रदान करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के अन्तर्गत उनको क्या अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का विचार है और क्या यह मामला प्रतिरक्षा या वित्त मंत्रालय की स्वीकृत के लिये काफी समय से उनके पास पड़ा हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कब अन्तिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (च). 1-3-1969 से लागू सरकारी आदेश पहले से जारी कर दिए गए हैं जिनके अन्तर्गत 1-3-1949 से पहले अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों-अतिरिक्त अस्थायी कारीगरों तथा एम० ई० एस० के आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा अस्थायी संस्थानों (आर्डनेन्स फैक्टरियों) में सेवा पूर्णत: पेन्शनी लाभों के लिए गिनी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को जो 1-3-1969 की सेवा में थे, या सेविनिवृत्त से पहले छुट्टी पर थे ऐसी सेवा के लिए 24-3-1969 के पश्चात् 6 मास के अन्दर, कि जिस तिथि को आदेश जारी किए गए थे फिर से पेन्शनी लाभों के चयन का अवसर दिया जाएगा।

वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए ऐसी सेवा का केवल 50 प्रतिशत गिनी जाएगी, क्योंकि वह सेवा नियमित सेवा से निम्न स्तर की होती है।

भारतीय पक्षियों का निर्यात

6600. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बाजारों में भारतीय पक्षियों के वर्ष 1968 में निर्यात से कितनी आय हुई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों की आय की तुलना में यह कितनी अधिक थी अथवा कितनी कम;

(ग) पक्षियों का अधिकतम निर्यात किन देशों को किया जाता है ; और

(घ) पक्षियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1968 तथा गत तीन वर्षों में भारत से निर्यात किये गये पक्षियों के मूल्य देशवार दिखाये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 779/69]

(घ) निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिये, केवल उन दुर्लभ जातियों के पक्षियों को छोड़कर, जिन्हें पूर्णतः लुप्त होने से बचाने की आवश्यकता है, अन्य सभी प्रकार के पक्षियों का निर्यात किसी लाइसेंस सम्बन्धी औपचारिकता के बिना, अनियंत्रित पण्य के रूप में, करने की अनुमति है ।

नेपाल को दी जाने वाली पारगमन सुविधाएं

6601. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने शिकायत की है कि कलकत्ता पत्तन पर तथा भारत होकर नेपाल जाने के सम्बन्ध में उस देश को मिली पारगमन सुविधायें अपर्याप्त हैं ;

(ख) नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिये कितनी और किस प्रकार की पारगमन सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ग) उस देश की इस प्रार्थना को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं कि उन्हें अधिक पारगमन सुविधायें दी जायें ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) नेपाल की सरकार ने, भारत के मार्ग से तथा कलकत्ता पत्तन पर पारगमन सुविधाओं के प्रश्न को समय समय पर उठाया है ।

(ख) कलकत्ता पत्तन पर नेपाल को दी जाने वाली सुविधाओं का क्षेत्र तथा स्वरूप निम्नलिखित है :

(1) नेपाली माल के स्टोरेज के लिये निम्नोक्त स्थान की व्यवस्था :

(1) किद्दरपुर गोदी पर 2,500 वर्ग फुट का स्थान ।

(2) आच्छादित पाई शेड में 8,000 वर्ग फुट का स्थान ।

तथा (3) खुले डम्प शेड में 5,000 वर्ग फुट का बिना ढका स्थान ।

(2) नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज तथा नेपाल की सरकार को प्रेषित वस्तुओं पर कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाता है। तथापि गैर-सरकारी नेपाली पार्टियों से सामान्य दरों पर किराया लिया जाता है।

(3) पत्तन आयुक्त, कलकत्ता इसको सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखते हैं कि सभी नेपाली माल की पत्तन क्षेत्र से शीघ्रता से निकासी की जाये।

(ग) इन सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करने के लिये जून, 1968 में एक संयुक्त भारत-नेपाल सरकारी दल कलकत्ता पत्तन पर आया तथा स्थानिक अध्ययन किया। यह पता चला कि अब नियत किया गया स्टोरेज का स्थान, जिसका इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्देश किया गया है, कलकत्ता होकर जाने वाले सभी नेपाली माल के लिये पर्याप्त है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के साथ नेपाली अधिकारियों द्वारा अन्य मामलों पर भी बातचीत की गई तथा उन्होंने नेपाल के पारगमन व्यापार सम्बन्धी किन्हीं भी कठिनाइयों अथवा समस्याओं के बारे में, जो समय समय पर उठें, विचार करने की तत्परता व्यक्त की।

Soldiers Belonging to Hilly Districts of U. P. Killed in 1962 and 1965 Conflicts

6602. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of soldiers and officers of the armed forces belonging to the hilly districts of Uttar Pradesh (Pauri, Chamoli, Uttar Kashi and Tehri) who were killed in the conflicts of 1962 and 1965 ;

(b) whether Government propose to give some sort of financial assistance to their dependents in addition to pension ;

(c) whether Government propose to allot surplus land of 'Kham Bhabar' to the dependents of the deceased ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) **Sino-Indian conflict 1962**

Officers	JCOs	ORs	Total
1	2	95	98

Indo-Pak conflict 1965

—	—	31	31

(b) In addition to pensionary and other entitlements, the next of kin of personnel killed during the conflicts of 1962 and 1965, were paid ex-gratia grants from the Army Relief Fund at the following rates :

Officers	..	Rs. 1,000 each
JCOs	..	Rs. 300 each
ORs/NCsE	..	Rs. 200 each

(c) and (d). The information is being collected from the State Government.

Soldiers and Officers belonging to Hilly Districts of U. P.

6603. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of soldiers and officers in the armed forces belonging to hilly districts of Uttar Pradesh (Pauri, Tehri, Uttar Kashi and Chamoli) ;

(b) the number of Commissioned Officers among them; and

(c) their ratio to the total strength of Indian armed forces ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) . In the Army there are over 25,000 personnel belonging to the districts of Pauri, Tehri Garhwal, Uttar Kashi and Chamoli which includes 320 Commissioned Officers. The strength from these districts is roughly 3% of the total strength of Army, as compared to the population of these districts which is about 27% of the total Indian population.

Information regarding personnel serving in the Navy and in the Air Force is not available as such statistics are not maintained in respect of these two Services.

डी० डब्ल्यू० आटे की बोरियों की खरीद

6604. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों ने वी० ट्विल कंट्रोल की अवहेलना करके वित्त मंत्रालय की अनुमति लिये बिना ही डी० डब्ल्यू० आटे की बोरों की 10,000 गांठें खरीदी हैं, जिससे सरकार को प्रति टन 600 रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी दर पर और माल खरीदने वाले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत के खाद्य निगम की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फरवरी के मध्य से लेकर मार्च, 1969 के मध्य तक डी० डब्ल्यू० गनी बोरियां खरीदी गई थीं क्योंकि, बी० ट्विल बोरियों के निर्खों के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं आ रहा था । डी० डब्ल्यू गनी बोरियां विधि दरों पर टेंडरों द्वारा खरीदी गई थीं और इसकी खरीद वित्त मंत्रालय की अनुमति से ही की गई थी । इस प्रकार की बोरियों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

(ख) इस प्रकार की बोरियों की खरीद के लिए हमें कोई नए इंडेंट प्राप्त नहीं हुए हैं ।

चाय का निर्यात

6605. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चाय का अधिक निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए

प्रयत्नशील है जो निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक है ;

(ख) क्या श्रीलंका तथा अन्य चाय उत्पादकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ; और

(ग) इन प्रयत्नों के सफल हो जाने की अवस्था में निर्यात की आय में लगभग कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इन प्रयत्नों के फलस्वरूप चाय से होने वाले निर्यात उपार्जन में होने वाली वृद्धि का अभी से अनुमान लगाना संभव नहीं है।

सुस्ता संबंधी नक्शों की संयुक्त जांच

6606. **डा० रानेन सेन** :
श्री हेम बरुआ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को दोनों देशों के बीच सुस्ता संबंधी विवाद के नक्शों तथा अन्य रिकार्ड की संयुक्त जांच करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के सुझाव पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). नेपाल सरकार द्वारा सम्मिलित सर्वेक्षण के लिए जो अनुरोध किया गया था उसके उत्तर में हम लोगों ने यह सुझाव दिया कि दोनों पक्षों के लोग 27 अप्रैल 1969 को बिहार के बाल्मीकी नगर में मिलें और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों का अध्ययन करें ताकि संयुक्त सर्वेक्षण का काम शीघ्र शुरू हो। नेपाली अधिकारियों ने इस तारीख को मंजूर कर लिया है।

रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से छपाई मशीनों का आयात

6607. **श्री पीलू मोडी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये में भुगतान संबंधी व्यापार समझौते किये जाने के बाद से लेकर अब तक रूस, चेकोस्लोवाकिया तथा पूर्व जर्मनी से भारत में कितने मुद्रणालयों अथवा उनके कलपुर्जों का आयात किया गया ;

(ख) सभी आयातकर्ताओं के नाम क्या हैं ; और आयात की तिथियां क्या हैं ;

(ग) उनका आयात किन-किन मूल्यों पर किया गया ; और

(घ) यदि निर्यात करने वाले देशों को कोई धन-राशि भेजी गई है तो वह कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) से (घ). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1959-60 से भारत में आयात किये गये मुद्रणालयों तथा कलपुर्जों की संख्या तथा उनके मूल्य को दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 780/69]**

आयातकों के नाम तथा आयात की तारीखें उपलब्ध नहीं हैं। 1959-60 से 1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर) तक भारत में आयात किये गये मुद्रणालयों तथा उनके कलपुर्जों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

1. सोवियत संघ	216.11 लाख रुपये
2. चेकोस्लोवाकिया	141.06 ,, ,,
3. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	996.93 ,, ,,

बहरामपुर रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र

6608. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 मई, 1969 से बहरामपुर रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र को केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री ने इस निर्णय को बदलने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस अनुसंधान केन्द्र को दक्षिण भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री हाल ही में विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री से मिले थे और उन्होंने केन्द्रीय रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र बहरामपुर के प्रशासनिक नियंत्रण को केन्द्रीय रेशम बोर्ड को स्थानांतरित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा सोच समझ कर अपने विचार व्यक्त करने हेतु कुछ और समय देने के लिये अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त गुप्तलेख विभाग में तदर्थ पदोन्नतियां

6609. **श्री सूरजभान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त गुप्तलेख विभाग में छः राजपत्रित पदों पर जनवरी, 1969 में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई थीं ;

(ख) क्या उन पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में विचार किया गया था ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सात और राजपत्रित पदों पर निकट भविष्य में नियुक्तियां की जाने की संभावना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित छः पदों समेत ये सभी 13 राजपत्रित पद नियमित पद हैं और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुने गये अधिकारी उपलब्ध होते ही उनको तदर्थ आधारों पर नियुक्त किये गये 6 अधिकारियों के स्थान पर लगा दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के यथायोग्य हिस्से को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन सभी 13 राजपत्रित पदों के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए सरकार यथाशीघ्र विभागीय पदोन्नति समिति बनाने की व्यवस्था करने का विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह और तदर्थ नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर एस्टेब्लिशमेंट में से ही की गई थीं। इनके लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित वर्गों से संबंधित कोई व्यक्ति विचारा नहीं गया था, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति विचार किए जाने के क्षेत्र में नहीं था।

(ग) जायंट साईफर ब्यूरो में कुछ अतिरिक्त राजपत्रित स्थानों की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) और (ङ). उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित छओं स्थान नियमित स्थान हैं। स्वीकृत किए जाने वाले अन्य राजपत्रित स्थान भी नियमित स्थान होने के संभावित हैं। तदर्थ स्थान यथाशीघ्र भर्ती के उन नियमों के आधार पर की जाने वाली नियमित नियुक्तियों द्वारा ले लिए जाएंगे। कुछ ग्रेडों के लिए अन्तिम रूपरेखा दी जा रही है। नियमित नियुक्तियों के अफसरों का चयन करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षणों और रियायतों के सम्बन्ध में निदेशों का पालन किया जाएगा।

संगणक उद्योग

6610. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक संगणक उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). देश में कम्प्यूटर उद्योग स्थापित करने के लिए कार्यवाही की गई है। देशीय ज्ञान का प्रयोग करते हुए 50 अनालाग कम्प्यूटर प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिए लाइसेन्स दी गई एक फर्म ने उत्पादन शुरू कर भी दिया है। अनालाग और तीव्र गति के डिजिटल, दस दस कम्प्यूटर प्रति वर्ष बनाने के लिए राजकीय क्षेत्र के हैदराबाद के एक उपकरण में क्षमता स्थापित की जा रही है। बंगलोर के राजकीय क्षेत्र के एक उपकरण के साथ समयोग से इंटेग्रेटिड सर्कटों का प्रयोग करते हुए एक और फर्म कम्प्यूटरों का निर्माण स्थापित कर रही है। वह अगले चार वर्षों में ऐसे 56 कम्प्यूटरों का निर्माण करेंगे। आधुनिक कम्प्यूटरों का निर्माण हस्तगत करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने सम्बन्धी एक और फर्म का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

बंगाली चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों का कोटा

6611. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में किन-किन बंगाली चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों का कोटा दिया गया और कितना-कितना ;

(ख) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे चलचित्र निर्माता कोरी फिल्मों के अपने अधिकांश कोटे को बेच देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें प्रत्येक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विद्रोही नागाओं के साथ पकड़े गये पाकिस्तानी लोग

6612. **श्री हेम बरुआ :**

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "जनरल" मोबू अंगामी के समर्थक चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागा विद्रोहियों के साथ दो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ख). आइजक स्वू के दल के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं में सुरक्षा सेनाओं द्वारा पकड़े गए चीन प्रशिक्षित नागाओं में से तीन ऐसे हैं, जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक होने का दावा करते हैं। उनकी शिनाख्त के लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

Indians Coming From Abroad

6613. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indians living in foreign countries for generations are being compelled to return to India ;

(b) whether it is a fact that the return of Indians living abroad is one of the main factors which has led to the increase in population and made the food and unemployment problem more acute ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . No, Sir.

(c) Does not arise.

India's Exports and Imports

6614. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the articles imported into India annually ;

(b) whether these articles cannot be manufactured indigenously ;

(c) whether the indigenous production capacity of these articles cannot be increased with a view to solve the problem of unemployment in the country ;

(d) whether the excessive consumption of the imported goods in India does not affect the economy of the country adversely ;

(e) whether the goods manufactured in India are also in demand in other countries in

the same proportion in which the foreign goods and machines etc. are demanded in India ;

(f) the quantity of raw materials and finished goods imported by India during the last three years ; and

(g) the details of India's exports and imports during each of these years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a), (f) and (g) The details of the goods imported into India and exported from India are published in the Monthly Statistics of the Foreign Trade of India Volume II—Import, and Volume I—Exports and Re-exports, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) The import of only such essential goods is allowed which are not indigenously available in suitable quality and adequate quantity.

(c) The indigenous production is being rapidly increased wherever possible with a view to save avoidable expenditure on foreign-exchange, and this also helps to solve the problem of unemployment in the country.

(d) Yes, Sir. Excessive consumption of imported goods affects the economy of the country adversely.

(e) The goods manufactured in India are in demand in other countries. Proportion of such goods cannot be compared with the demand for foreign goods in India.

संयुक्त गुप्तलेख (साइघर) विभाग में तकनीकी सहायकों के स्थायी पद

6615. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त गुप्तलेख विभाग में 1960-61 से 1968-69 तक अलग-अलग तकनीकी सहायकों के कितने स्थायी पद रिक्त पड़े रहे ;

(ख) इन पदों पर अस्थायी तकनीकी सहायकों को स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इन स्थायी पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तकनीकी सहायकों के 59 स्थायी पदों पर सहायकों को स्थाई बनाया जाना शेष है। स्थायी पद कब बनाये गये थे यह संलग्न विवरण में दिये गये वर्षों के समक्ष बताया गया है :

1960-61	1
1961-62	4
1962-63	13
1963-64	1
1964-65	3
1965-66	2
1966-67	15
1967-68	10
कुल	59

(ख) इन पदों पर तकनीकी सहायकों को स्थायी न बनाये जाने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) कुछ वर्गों के पदों के नामों का बदला जाना ।

(2) भर्ती नियमों का 1966 और फिर 1969 में पुनरीक्षण ।

(3) विभिन्न आधारों पर सहायकों की वरिष्ठता का निर्धारित किया जाना, जिनको अब नये पद नाम दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मामला विचाराधीन है और निहित औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर निकट भविष्य में इन पदों पर सहायकों को स्थायी बना दिया जायेगा ।

चिलका में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

6616. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिलका झील के तट पर $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले लड़कों को नौसेना का प्रशिक्षण देने के केन्द्र से सम्बन्धित प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या केन्द्रीय अधिकारियों के दल ने जो इस वर्ष अप्रैल में उड़ीसा गया था, राज्य सरकार के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं । इन सुविधाओं के प्रकाश में प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

Import of Printing Machines

6617. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether in their Office Memorandum No. 1/211/68-I & EC, dated the 31st August, 1968, the then Ministry of Commerce had stated that licences for importing printing machinery worth Rs. 25.33 lakhs were given to M/s. Thomson Press (India) Limited, Faridabad, during the period from 1964 to 1967 for printing and re-printing of text books ;

(b) whether it was also stated therein that the said licences were given for printing of text books only and that it had been reported that the said Company had now entered the field of printing brochures, booklets, calendars, folders etc. ;

(c) the nature of action being taken by Government against the said Company for violation of the conditions laid down for the import of printing machinery ;

(d) whether it is also a fact that this whole case has been entrusted to the Central Bureau of Investigation ;

(e) if so, the main findings of the inquiry made by the Central Bureau of Investigation ; and

(f) in case the report of the Central Bureau of Investigation has not been received so far, the time by which it is likely to be received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) . Yes, Sir.

(c) Suitable action under Imports (Control) Order has been initiated against the firm and the investigation is still in progress.

(d) No, Sir.

(e) and (f) . Do not arise.

अफगानिस्तान को चाय का निर्यात

6618. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के रास्ते भेजने में देरी होने के कारण अफगानिस्तान को चाय भेजने में अमृतसर के चाय व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) माल को हवाई मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के जब्त किये वेतन बहाल करना

6619. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज एसोसिएशन ने भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के जब्त किये गये सम्पूर्ण वेतन तथा भत्तों को बहाल करने के सम्बन्ध में संसद् में दिये गये अपने वचन को पूर्णत: क्रियान्वित करने के लिए सरकार से पुन: अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). आजाद हिन्द फौज संस्था ने एक अपील की है जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं ।

(1) आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की जब्त किये गये वेतन का हिसाब लगाते समय उनके ग्रेड-वेतन, ट्रेड वेतन और समुद्र-पार भत्ते, बाटा आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

(2) जिन सैनिकों के वैयक्तिक रनिंग लेजर अकाउंटस उपलब्ध है उनके द्वारा भेजे गये परिवार अलाटमेंट को औसत के आधार पर गणना से परिवार अलाटमेंन्ट में कमी करने का निर्णय ठीक नहीं है क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को हानि होगी जिन्होंने कोई परिवार अलाटमेंन्ट नहीं किया था ।

(3) सरकार द्वारा तदर्थ आधारों पर 1948 और 1963 में दी गई सुविधाओं के आधार पर कटौती किया जाना उचित नहीं है क्योंकि 1946 से उनके जब्त किये गये वेतन और भत्ता पर अर्जित किया ब्याज उनको दी गई राशि से अधिक बनता है और क्योंकि दो बार अवमूल्यन भी हुआ है, मूल्यों में वृद्धि भी हुई है ।

इन बातों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के जब्त किये गये वेतन का हिसाब लगाते समय उनके ग्रेड वेतन, ट्रेड वेतन पर विचार किया जा रहा है । 'एक्सपेट्रियेशन' भत्ते, जापान अभियान वेतन और बाटा को शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(2) क्योंकि ये मामले 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं अतः वैयक्तिक रनिंग लेजर अकाउंटस अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं हैं । इन लेजर अकाउंटस की अनुपस्थिति में इस बात की पुष्टि के साधन नहीं हैं कि कोई सैनिक परिवार अलाटमेंन्ट कर रहा था अथवा नहीं । युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिक के लिए परिवार अलाटमेंन्ट करना एक आम बात है । अतः प्रत्येक रैंक में जिन वैयक्तिक रनिंग लेजर अकाउन्टस उपलब्ध है सैनिकों द्वारा किये गये कुल परिवार अलाटमेंन्ट के आधार पर गणना करके औसतन कटौती करने का सूत्र ठीक समझा गया ।

(3) इतनी अवधि के बाद आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को जब्त किये गये वेतन को लौटाने का सरकार का निर्णय अपने आपमें एक रियायत है और समूचे मामले पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क की खरीद

6620. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम अब अधिकांश मैंगनीज अयस्क एक बिचौलिये से खरीद रहा है जिसकी अपनी कोई खान नहीं है ; और

(ख) औसतन किस दर पर मैंगनीज अयस्क खरीदा जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चैकोस्लोवाकिया और रूमानिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

6621. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चैकोस्लोवाकिया और रूमानिया को 1,20,000 मीटरी टन मैंगनीज अयस्क निर्यात करने के लिये इन देशों के साथ हाल में नया करार किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम यह सारा निर्यात राम बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी के माध्यम से कर रहा है, जो कि उत्पादक नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो गत छः महीनों में इस फर्म के माध्यम से कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया है ; और

(घ) इस फर्म विशेष के साथ पक्षपात किये जाने के क्या कारण हैं जबकि अनेक उत्पादकों की खानें बन्द पड़ी हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैसर्स राम बहादुर ठाकुर के माध्यम से गत 6 महीनों में मैंगनीज अयस्क की निम्नलिखित विक्रियों को अंतिम रूप दिये गये है :—

क्रमांक	परिमाण मे० टन	निर्यात का देश
1.	1,00,000	चैकोस्लोवाकिया
2.	20,000	रूमानिया
3.	10,000	कोरिया

मैसर्स राम बहादुर ठाकुर मैंगनीज अयस्क के खान स्वामी-सह-निर्यातक हैं। यह पार्टी वर्ष 1963 से नियमित रूप से मैंगनीज अयस्क का निर्यात करती रही है ।

12 जुलाई, 1965 से मैंगनीज अयस्क का निर्यात केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से होने लगा है। उससे पूर्व मैसर्स राम बहादुर ठाकुर ने 9 जुलाई, 1965 को मैसर्स मैटलिमेक्स, प्राह के साथ एक तीन वर्षीय संविदा की थी जो भारी परिमाण की थी, अतः खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उसके लिये 3 वर्ष की मंजूरी दे दी।

इस वर्ष के आरम्भ में नई दिल्ली स्थित चैकोस्लोवाकिया के व्यापार प्रतिनिधि ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया था कि मैसर्स मैटलिमेक्स ने वर्ष 1969 में मैंगनीज अयस्क खरीदने के लिये एक संविदा की है जिसके आधार पर संभरण मैसर्स राम बहादुर ठाकुर द्वारा ही किया जाना चाहिये। 31 जनवरी, 1969 को मैसर्स मैटलिमेक्स ने मैसर्स राम बहादुर ठाकुर के माध्यम से 9.7.1965 को की गई संविदा का एक अतिरिक्त अनुशिष्ट भेजा जिसमें वर्ष 1969 के लिये उनकी आवश्यकताएं शामिल हैं। प्रस्तावित मूल्य, मैंगनीज अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति, संभरणस्रोतों के संबंध में उपभोक्ता की पसंद को स्वीकार करने की नीति को ध्यान में रखते हुए निगम ने वर्ष 1969 के लिये बिक्री को मंजूर कर लिया है।

रूमानिया की संविदा के सम्बन्ध में मामले की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध के एक विवरण यथासमय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

6622. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल देशों से ब्रिटेन में आयात किये जाने वाले कपड़े पर ब्रिटिश सरकार 15 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत से ब्रिटेन को होने वाले कपड़े के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या ब्रिटेन की सरकार से कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो उसके बारे में ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में ब्रिटेन में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के माल का आयात किया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). अखबारों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि ब्रिटेन की वस्त्र परिषद ने ब्रिटिश सरकार को मार्च, 1969 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि राष्ट्रमंडल देशों से ब्रिटेन में आयातित सभी प्रकार के कपड़े पर 15 % प्रशुल्क लगाया जाये। पूर्ण ब्योरे मांगे गये हैं और ब्योरों के अध्ययन करने पर जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी, वह की जायेगी।

(ङ) वर्ष 1967-68 में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़ों के निर्यातों का मूल्य 30.56 करोड़ रु० था और अप्रैल, 1968 से दिसम्बर, 1968 में 20.38 करोड़ रु० था। चूंकि परिधान, होजरी तथा अन्य निर्मित माल जैसी कपड़े की अनेक मदों के सम्बन्ध में निर्यात आंकड़े केवल मूल्य में प्राप्य हैं, अतः निर्यातों की मात्रा बताना संभव नहीं है।

मंगोलिया के प्रतिनिधिमण्डल के साथ वार्ता

6623. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगोलिया का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। मंगोलिया लोक गणराज्य के विदेश मंत्रालय से, एक प्रतिनिधिमण्डल, 31 मार्च और 5 अप्रैल, 1969 के बीच भारत आया।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने विदेश मंत्रालय के साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और आपसी हित के मामलों पर विचार विनिमय किया। प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के अन्त में जो सम्मिलित वक्तव्य जारी किया गया, उसकी एक प्रति सदन में रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 781/69]**

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री

6624. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल में की गई एक नीलामी में मरसडीज बेंज 250 माडल की कार का भारी मूल्य प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कितना मूल्य मिला है ;

(ख) क्या इस बार की बिक्री अनेक पहलुओं से अनोखी थी, विशेषकर इस दृष्टि में,

कि इस बार राजकीय व्यापार निगम ने न्यूनतम मूल्य डेढ़ लाख रुपया नियत किया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) 1968-69 में एक लाख से अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली कारों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में की गई नीलामी में एक मरसडीज बेंज 250 का 1,70,550 रुपये मूल्य प्राप्त हुआ ।

(ख) यह पहला अवसर था जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा एक अकेली कार की नीलामी की गई थी । निगम द्वारा 1.5 लाख रुपये का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था जिससे बिना सोचे समझे टेंडर न भेजे जायें तथा दुर्लभ कारों की खरीद में निरन्तर रुचि बनी रहे ।

(ग) 1968-69 में चार मरसडीज बेंज कारें एक-एक लाख रुपये से अधिक मूल्य पर बेची गईं । उनमें एक मरसडीज बेंज 220 एस' दो मरसडीज बेंज 230 एस और एक मरसडीज बेंज 250 एस थी ।

'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' बम्बई के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE 'FINANCIAL EXPRESS', BOMBAY

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : 1 अप्रैल 1969 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुए लेख, "सक्सेस स्टोरी आफ ट्राम्बे फर्टीलाइजर", के सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1969 को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते समय श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा था कि एक संसदीय समिति पर आक्षेप करने में भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट के अधिकारियों के योगदान के बारे में विशेषाधिकार समिति को विचार करना चाहिए । मेरी पूछताछ के अनुसार निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए हैं । 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के औद्योगिक संवाददाता 24 अन्य संवाददाताओं और अमरीकी सूचना सेवा के 11 सदस्यों सहित 24 मार्च, 1969 को ट्राम्बे कारखाना देखने गये थे । उन्हें मध्यान्ह भोज दिया गया था और उस समय कारखाने के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । 31 मार्च को महा प्रबन्धक ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' सहित 18 पत्र समाचारपत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 1968-69 में ट्राम्बे यूनिट की सफलताओं का प्रचार करना था, जिसके लिये एक सूचना पुस्तिका जारी की गई थी । इसमें सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का कोई उल्लेख नहीं था । महाप्रबन्धक ने स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने 24 मार्च अथवा 31 मार्च अथवा किसी अन्य समय 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के संवाददाताओं के साथ सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की

थी । मुझे प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं कि न तो महाप्रबन्धक ने और न ही उनके अधिकारियों ने इस लेख के लिखने में योगदान किया अथवा कोई वक्तव्य दिया जिसे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के माननीय सदस्यों पर आक्षेप माना जाये ।

अब मैं श्री फरनेन्डीज द्वारा उल्लिखित विशिष्ट अंशों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा :—

(1) यह कहा गया कि कारखाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के संवाददाता को बताया था कि कारखाने में विभिन्न विदेशी ठेकेदारों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को भ्रांति दी गई होगी । समिति के प्रतिवेदन में कहीं भी यह नहीं किया गया है कि कैमिको एक अनुभवहीन फर्म है । समिति के प्रतिवेदन में ठेकेदार की अनुभवहीनता का उल्लेख कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के बारे में है, जो नाइट्रो फास्फेट संयंत्र के लिये ठेकेदार थे, न कि कैमिकल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (कैमिकल) के बारे में, जो कि अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के लिये ठेकेदार थे । इस प्रकार समिति के प्रतिवेदन में कोई भ्रांति नहीं है और यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि ट्राम्बे यूनिट का एक वरिष्ठ अधिकारी कभी भी ऐसा वक्तव्य दे सकता था ।

(2) महाप्रबन्धक, ट्राम्बे ने संवाददाता को यह कहा बताते हैं कि कारखाने में 1969-70 में संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन होगा । महाप्रबन्धक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । उन्होंने संयंत्रों में डिजाइन सम्बन्धी खराबियों की ओर ध्यान दिलाया था और ठेकेदारों से लिये जाने के बाद संयंत्रों में उत्पादन को सुधारने के लिये किये गये उपायों का उल्लेख किया था ।

(3) महाप्रबन्धक का यह कथित वक्तव्य कि उर्वरक टैक्नालौजी में अमरीका बहुत आगे है और हम अपने अनुभव से सीखेंगे, काफी हद तक सही है । ऐसे वक्तव्य से समिति पर गंभीर आक्षेप करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(4) ये कथन कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के कुसमय पर प्राप्त होने पर क्षुब्ध हुए और उनमें से एक ने कहा कि यह प्रतिवेदन मैली चद्दर को दोबारा धोने के लिये जनता के सामने तो आया है, निराधार है । महाप्रबन्धक, ट्राम्बे और उनके अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था ।

मेरा निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के महाप्रबन्धक अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध सभा का विशेषाधिकार भंग करने अथवा अवमान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Hon. Minister has relied on the reports of the officers in making two statements.

अध्यक्ष महोदय : यह केवल अधिकारियों का ही प्रश्न नहीं है, एक समाचारपत्र ने सभा की एक समिति के बारे में कुछ लिखा है। मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति के विचार जानना चाहूंगा।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस तथा अन्य समाचारपत्रों में यह समाचार देखा है। मुझे कैमिको के उपाध्यक्ष से भी हाल में एक पत्र मिला है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित आलोचना और इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पोस्टर लगभग समान विचार पर आधारित हैं। मेरे विचार में यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये, तो सब बातों पर विचार किया जा सकता है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I beg to move :

"that the whole matter be referred to the Privilege Committee."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिनांक 1 अप्रैल, 1969 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस', बम्बई में प्रकाशित "सक्सेस स्टोरी आफ ट्राम्बे फर्टीलाइजर" नामक लेख के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न को जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के बारे में अधिसूचना

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उप-धारा (2) के अधीन प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अमलनेर (महाराष्ट्र)की प्रबन्धक व्यवस्था के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 922 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 3 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 762/69]**

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

समाज कल्याण विभाग—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कुछ सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रतिनिधित्व

देने के बारे में उठाई गई कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए बीच में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के हमारे प्रयत्न जारी हैं।

जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, इस सभा को मालूम है कि हमने खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर पदों पर सीधी भर्ती के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित कर रखे हैं और जिन पदों के लिये प्रतियोगिता नहीं है, यह आरक्षण $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत है। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये यह आरक्षण 5 प्रतिशत है। प्रादेशिक आधार पर भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या का अनुपात ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यह 5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है। हमने आयु-सीमा में छूट दी है और शुल्क में भी रियायत दी है। हमने उनके लिये स्तर भी उदार बना दिया है और अब तो यदि उदार बनाये गये स्तर के अनुरूप प्रत्यासी न मिलने पर आवेदन-कर्त्ताओं में से अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त सर्वोत्तम व्यक्तियों को आरक्षित रिक्त स्थानों पर चुन लिया जायेगा ताकि इन रिक्त स्थानों पर सामान्य वर्गों के लोगों को नियुक्त न करना पड़े। इसके अतिरिक्त हमने रेलवे यात्रा में भी रियायतें दी हैं ताकि अनुसूचित जातियों के निर्धन उम्मीदवार उनसे लाभ उठा सकें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या इन अनुदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त हैं, जो संसद् को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। कहीं पर अनुदेशों, आदेशों का पालन न होने पर हम सम्बन्धित विभागों और मंत्रालयों को लिखते हैं और देखते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति न हो और समय पर इस स्थिति में सुधार कर लिया जाये।

हम स्थिति में सुधार करने का निरन्तर प्रयास करते रहे हैं। हमने श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था ताकि केन्द्र में तथा राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के भर्ती में सुधार किया जा सके। उसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उनके आधार पर हमने कुछ और रियायतें दे दी हैं। एक तो यह है कि भरे न जा सकने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों को अगले दो वर्षों में ले जाया जा सकता है परन्तु किसी एक वर्ष में आरक्षित रिक्त स्थानों को कुल संख्या 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे हमने यह उपबन्ध कर दिया है कि स्थायी और ऐसे पदों में, जिनके स्थायी किये जाने अथवा अनिश्चित काल के लिये जारी रहने की सम्भावना है, आरक्षित रिक्त स्थानों को अनारक्षित करने के पहले उपयुक्त अधिकारी द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये विभिन्न प्रकार से व्यापक प्रचार किया जाता है। हमने प्रत्येक विभाग तथा मंत्रालय में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का

पालन सुनिश्चित करने के लिये उप-सचिव के पद का एक-एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है ।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अस्थायी आधार पर प्रारम्भिक नियुक्ति और स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण करना आवश्यक है । पदोन्नति के मामले में भी इन वर्गों के लोगों को और रियायतें दी गई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि पदोन्नति के मामले में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमशः $12\frac{1}{2}$ और 5 प्रतिशत रिक्त स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है । श्रेणी 1 और 2 के पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में, जिनके लिये कोई आरक्षण नहीं है, इन दो वर्गों के व्यक्तियों को अब कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं । 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों के लिये इन वर्गों के व्यक्तियों के अत्युत्तम (वैरी गुड) वर्गीकरण को असाधारण (आउट स्टैंडिंग) और उत्तम (गुड) को अत्युत्तम माना जायेगा तथा चयन सूची में उनका स्थान उनका वर्गीकरण बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा ।

योग्य होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के बारे में कोई आरक्षण नहीं है परन्तु श्रेणी 1 और 2 के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के अधिलंघन के मामले पूर्व अनुमति के लिये मंत्री अथवा उपमंत्री को भेजे जायेंगे । इसी प्रकार श्रेणी 3 और 4 के मामले भी एक महीने की अवधि में सम्बन्धित मंत्री अथवा उपमंत्री को सूचित किये जाने चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

1 जनवरी, 1960 को अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों (मेहतरों को छोड़कर सभी श्रेणियों में) की संख्या 2,23,124 थी, जो 1 जनवरी, 1968 को 3,01,035 हो गई । इसी प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों (मेहतरों को छोड़कर सभी श्रेणियों में) की संख्या, जो 1 जनवरी, 1960 को 35,652 थी, 1 जनवरी, 1968 को 54,400 हो गई । हमें आशा है कि इन विशेष रियायतों के पूर्ण उपयोग के बाद स्थिति में और सुधार हो जायेगा । अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती का प्रश्न कुछ असंतोषजनक था ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या वे उनकी भर्ती के बाद, पहले एक अथवा दो वर्षों में, विशेष अध्ययन और तैयारी की व्यवस्था कर सकेंगे ताकि वे भी अन्य अधिकारियों के स्तर के बराबर आ सकें और उसके बाद पदोन्नति के बारे में कोई परेशानी न हो ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां कहीं हमने रियायतें दी हैं, वहां पर सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था है ताकि वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकें और उनकी पदोन्नति के अवसरों पर प्रभाव न पड़े। इलाहाबाद और मद्रास में स्थित दो संस्थानों में परीक्षा से पूर्व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप हम गत 6-7 वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आरक्षित पदों को भर सके हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दो व्यक्तियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किये हैं।

भारतीय वन सेवा में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा के बाद नियुक्त किये गये 50 व्यक्तियों में से 6 अनुसूचित जातियों के हैं और 3 अनुसूचित आदिम जातियों के हैं। हमने सेवाओं में, भारत सरकार के अधीन पदों पर संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी उपक्रमों में इन वर्गों के लोगों की भर्ती की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये गृह-मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ताकि सुधार के लिए यदि कोई गुंजाइश हो, तो पता लग सके और उन्हें और रियायतें दी जा सकें।

हमने विभिन्न राज्य सरकारों से भी यार्डी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार अपने-अपने राज्यों में समितियां स्थापित करने के लिए कहा है और अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू और महाराष्ट्र की सरकारों ने समितियां स्थापित कर दी हैं। आशा है कि अन्य राज्य सरकारें भी शीघ्र ही ये समितियां नियुक्त कर देंगी। 174 सरकारी उपक्रमों, संविहित तथा अर्ध-सरकारी निकायों में से 157 उपक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण करने के लिए सहमत हो गए हैं। आशा है कि शेष उपक्रम भी इसके लिए सहमत हो जायेंगे। हमें आशा है कि हम समाज के इन दलित वर्गों के लोगों को दिए गए वचनों को पूरा कर सकेंगे।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : दिल्ली नगर निगम में दो कांग्रेसी सदस्यों को पीटा गया, जो अस्पताल में पड़े हैं। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : The Hon. Home Minister is present here. You should ask him to make a statement about it.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : यह केवल कानून और व्यवस्था का ही नहीं बल्कि मूलभूत अधिकारों का भी प्रश्न है। हम श्री शुक्ल और विधि मंत्री से उत्तर चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को गृह मंत्री के ध्यान में ले आए हैं। मैं समझता हूं कि समय आने पर वे उत्तर देंगे।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मेरे साथी श्री शुक्ल के भाषण के बाद मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। समाज कल्याण विभाग ने केवल 25½ करोड़ रुपये की राशि मांगी है, जो भारत सरकार के कुल व्यय का केवल 1 प्रतिशत होती है। मैं आशा करता हूं कि यह विभाग शीघ्र ही एक सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय बन जायेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के अतिरिक्त यह विभाग विकलांग लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास आदि अन्य विषयों का कार्य भी करता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत करने का उल्लेख किया गया। इस बारे में कुछ गलतफहमी है। लोक लेखा समिति द्वारा अपने 52वें प्रतिवेदन में की गई आलोचना के कारण ऐसा किया गया है। उनका कहना था कि किसी ऐसी संस्था को अनुदान नहीं दिये जाने चाहिये, जिसे कोई कानूनी मान्यता प्राप्त न हो। मैं समझता हूं कि हमारे लिये तीन उपाय थे, संस्था पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीयन अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीयन अथवा संसद् में एक विधेयक पारित करके एक पृथक निगम बनाना। तीनों कां परिणाम एक ही होता। हमने महा-अधिवक्ता, राज्य सरकारों तथा अन्य लोगों से परामर्श करके कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीयन करना ही अधिक व्यवहार्य समझा। यह सामान्य अर्थों में कम्पनी नहीं है, यह तो एक निगम ही हो गया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने इससे सहमति प्रकट की थी। इंगलैंड और भारत में यह सुप्रसिद्ध तरीका है। कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रायः धर्मार्थ संस्थाएं पंजीकृत की जाती हैं। इसके निगमित हो जाने से इसके कार्यकरण में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों की सुविधाओं आदि में भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच बिहार) : जब रेशम बोर्ड हस्तशिल्प बोर्ड और ऐसे अन्य निकायों को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है, तो इस बोर्ड का पंजीयन करने का क्या कारण था ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं कारण बता चुका हूं। लोक लेखा समिति निरन्तर आलोचना करती रही है। उसकी सिफारिश को न मानना इस सभा के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना होता क्योंकि वह सभा द्वारा बनाई गई समिति है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अनुदान के रूप में केवल 1-2 करोड़ रुपये की राशि राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों को देता है, जो राज्यों में इसी प्रकार के संगठनों के परामर्श से दी जाती है। जिन राज्यों में राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड है, वहां पर उनके 50 प्रतिशत सदस्य राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और अध्यक्ष का नामांकन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसके कार्यकरण और अनुदान देने में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अधिकांश भाषणों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्तर का उल्लेख किया गया। उनके बारे में संविधान में, मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी अध्याय में भी, अनेक

उपबन्ध हैं। हमने अनुच्छेद 17 में यह सुनिश्चित करने की सावधानी रखी है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाय। इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता दण्डनीय है। संविधान के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का एक आयुक्त है। लोक सभा और राज्य सभा के गत सत्र में, हमने एक संसदीय समिति भी नियुक्त कर दी है, जो चौथी स्थायी संसदीय समिति है और एक आदिम जाति के प्रसिद्ध संसद्विज्ञ श्री बासुमतारी को इसका सभापति नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का माननीय गृह मंत्री उल्लेख कर चुके हैं। गारन्टी कहां तक पूरी की गई हैं, इसके बारे में वर्ष में इस समिति के एक से अधिक प्रतिवेदन सभा के सामने आयेंगे।

ये जातियां हजारों वर्षों से उपेक्षित स्थिति में रही हैं, मेरा यह कहना एक झूठा दावा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 22 वर्ष की अवधि में इस दलित वर्ग की इस स्थिति को दूर करने के लिये सब कुछ किया जा चुका है। मैं यह दावा नहीं करूंगा। संसद् और राज्य विधान मण्डलों में इन जातियों के आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया था। अब संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ताकि आरक्षण की अवधि और बढ़ाई जा सके। इस बारे में सरकार की आलोचना करना आसान है परन्तु इन जातियों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्यवाही करना कठिन है। इसके लिये हमें साहस से निरन्तर और सतत कार्य करना है। मैं यह वचन देता हूं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी समिति के सभापति को, कि इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये जायेंगे, उन्हें स्वीकार किया जायेगा और क्रियान्वित करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अस्पृश्यता की शिक्षा देने को रोकने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : कृपया संतोष रखिये। मैं एक-एक करके सब बातों को लूंगा। पुरी के शंकराचार्य के बारे में कहने से पहले मैं कुछ अन्य ठोस बातों के बारे में कहना चाहता हूं।

1950-51 में जो गणराज्य का पहला वर्ष था, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या 1,316 थी, जो 1966-67 में बढ़कर 90,264 हो गई। 1950-51 में अनुसूचित आदिम जातियों के केवल 348 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां मिलती थीं परन्तु 1966-67 में यह संख्या 17,760 हो गई। मैं समझता हूं कि यह उल्लेखनीय प्रगति है, लेकिन इन जातियों की दशा को देखते हुए यह अधिक होनी चाहिये और हम इसके लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

इलयापेरुमल समिति के प्रतिवेदन के बारे में कुछ बातें कही गईं। यह समिति अप्रैल 1965 में नियुक्त की गई थी। श्री इलयापेरुमल, जो उस समय इस सभा के सदस्य थे बीच में बीमार रहे और हमें प्रतिवेदन 30 जनवरी, 1969 को प्राप्त हुआ। श्री अच्युतन ने—वे भी इस

सभा के सदस्य थे—एक विमति टिप्पण दिया है परन्तु इसका मुख्य प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने श्री इलयापेरुमल से पूछा परन्तु उन्होंने कोई ठीक स्पष्टीकरण नहीं दिया।

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : मुख्य प्रतिवेदन में विमति टिप्पण शामिल नहीं करने का कारण मंत्रालय को भेजा गया है।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : क्या यह सच है कि श्री अच्युतन ने 5 लाख रुपए के ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिया था और उसके बदले में समाज कल्याण के निदेशक के दबाव में आकर उन्होंने विमति टिप्पण दिया है ?

श्री गोविन्द मेनन : दबाव का कोई प्रश्न नहीं है। इससे हमें कोई लाभ नहीं है। उन्होंने ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिया था परन्तु उन्हें एक रुपये का भी ऋण मंजूर नहीं किया गया है। अन्य बहुत लोग ऋण के लिये आवेदन-पत्र देते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को, भूमि देने में सरकार की असफलता की आलोचना की गई है। मुझे बार-बार कहना पड़ता है कि यह राज्य सरकारों का विषय है। इन जातियों के बारे में जब संसदीय समिति नियुक्त की जा रही थी तो कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य विधान सभाओं में भी ऐसी समितियां बनाई जायें। मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं सुझाव देता हूं कि यदि राज्यों में भी ऐसी समितियां नियुक्त कर दी जायें, तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में क्या है। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे सम्बधित राज्यों से इस बात की सिफारिश करें।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : क्या उन्होंने राज्य सरकारों और समाज कल्याण विभागों को लिखा है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के समान ऐसी समितियां नियुक्त करें ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने लिखा तो नहीं है परन्तु संसद् में कहा था। यदि इससे कोई लाभ हो, तो मैं मुख्य मंत्रियों को लिख भी दूंगा।

Shri S. M. Joshi (Poona) : You may call the State Governments that it should be their policy to give priority to scheduled castes in allotment of land.

श्री गोविन्द मेनन : मैं ऐसा करूंगा।

सदस्य, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों के, अस्पृश्यता के बारे में बहुत क्रुद्ध थे। इस देश में किसी व्यक्ति द्वारा यह कहने पर कि शास्त्र अस्पृश्यता की स्वीकृति देते हैं, उनका क्रुद्ध होना ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 17 के निदेशानुसार इस सभा ने अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया है, इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया है और इलयापेरुमल समिति ने अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। हम अस्पृश्यता अधिनियम में संशोधन

करेंगे। पुरी के शंकराचार्य मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं के हितों के बारे में अधिक सोचते हैं। श्री सिद्दय्या का. यह कथन कोई गलत नहीं कहा जा सकता कि जब तक वर्णभेद समाप्त नहीं होता, अस्पृश्यता समाप्त नहीं की जा सकती है, यदि ऐसा कोई संकल्प लाया जाता है, तो फिर हमारे पास अनुसूचित जातियों से ज्ञापन प्राप्त होते हैं कि ईसाई हो जाने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों का ही समझा जाये। अब उन्हें पिछड़े वर्ग माना जाता है। मैं पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य के कथन का विरोध करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें स्वामी विवेकानन्द की याद दिलाना चाहता हूं, जो एक महान आत्मा थे। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, हिमालय में अल्मोड़ा स्थित अद्वैत आश्रम, मायावती द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है, 'इण्डिया एण्ड हर प्राबलम्स' भारत और उसकी समस्यायें।

मेरे मन में आदि शंकराचार्य के प्रति बहुत सम्मान है। अस्पृश्यता के बारे में आदि शंकराचार्य के वक्तव्य का कुछ अंश मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"एक सज्जन व्यक्ति का मुख्य गुण यह है कि वह सेवा के अनेक तरीकों से समस्त विश्व को प्रसन्न करे।"

परन्तु अब यह स्थिति है कि मैं पवित्र हूं और सारा संसार अपवित्र है। "मुझे मत स्पर्श करो, मुझे मत स्पर्श करो"। इस बात का नारा है।

स्वामी विवेकानन्द ने अपने बारे में और अपने भाइयों के बारे में कहा है :

"हम कट्टर हिन्दू हैं परन्तु हम अस्पृश्यता की बात करते हैं। यह हिन्दुत्व नहीं है। हमारी किसी भी पुस्तक में इसका समर्थन नहीं किया गया है।"

आदि शंकराचार्य के भी यही विचार हैं : "मुझे स्पर्श मत करो" की भावना एक मानसिक रोग है। प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। वे व्यक्ति भला मुक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं, जो किसी भूखे व्यक्ति को रोटी का एक टुकड़ा नहीं दे सकते। प्रत्येक हिन्दू एक दूसरे का भाई है। हमने ही कुछ लोगों को अधोगति को पहुंचाया है। अतः समूचे देश में गिरावट, कायरता और अनभिज्ञता का गहरा अंधकार छा गया है। हमें इन लोगों को ऊपर उठाना है। उनमें आशा और विश्वास भरना है। हमें उनसे यह कहना है कि आप हमारे जैसे ही हैं और आपको हमारे बराबर ही अधिकार प्राप्त हैं।

अस्पृश्यता के बारे में श्री शंकराचार्य के वक्तव्य की मैं जितनी भी निन्दा करूं, वह कम होगी।

कानूनी कार्यवाही के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय ने मुझसे विधि मंत्री के रूप में परामर्श मांगा था और मैंने कहा है कि बिहार सरकार को मुकदमा दायर करने की सलाह दी जाय और पूछताछ करने से मुझे पता चला है कि यह मामला अब एक उपयुक्त मजिस्ट्रेट के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वे मंत्री महोदय को लिखें । अब मैं सभा की अनुमति से समस्त कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री सोनावने : मैं श्री शंकराचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने की ढिलमिल नीति के विरोध में सभा छोड़कर जाता हूं ।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I walk out from the House. We do not agree with you.

इसके पश्चात् श्री सोनावने, श्री प० ला० बारूपाल और कुछ अन्य सदस्य सभा छोड़कर चले गये

Shri Sonavane, Shri P. L. Barupal and some other Members then left the House

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut Motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये समाज कल्याण विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Department of Social Welfare for the year 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
97	समाज कल्याण विभाग	16,48,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,78,32,000

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय

वर्ष 1969-70 के लिये वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
34	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय	1,16,63,000
35	पूर्ति और निपटान	3,55,41,000
36	विदेश व्यापार	77,38,82,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
37	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,24,01,000
115	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय	1,73,85,000

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	3	श्री कमला मिश्र मधुकर	चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
34	4	श्री पी० विश्वम्भरन	निर्यात को बढ़ाने के लिए कारगर कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	14	श्री कमला मिश्र "मधुकर"	असैनिक पूर्ति विभाग में अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
35	15	श्री पी० विश्वम्भरन	रोड रौलरों के सौदे में यूनाइटेड प्राविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन को पेशगी रकम देने के लिए पूर्ति और निपटान विभाग के जो उच्च अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपये की हानि हुई है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
37	16	श्री पी० विश्वम्भरन	नारियल जटा उद्योग के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को स्वीकार करने और उसकी क्रियान्विति के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
115	17	श्री पी० विश्वम्भरन	कांडला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	18	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका के देशों तथा मौरिशस में भारतीय माल को प्रचलित करने में असफलता ।	100 रुपये
34	19	श्री ओम प्रकाश त्यागी	निर्यात-योग्य भारतीय माल की किस्म तथा मूल्य में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
34	20	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेश में भारतीय माल के प्रति आकर्षण तथा विश्वास पैदा करने में असफलता ।	100 रुपये
34	21	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेश व्यापार के सम्बन्ध में भारत का रूस पर निर्भर रहना ।	100 रुपये
34	22	श्री ओम प्रकाश त्यागी	मंत्रालय में फिजूलखर्ची के रोकने में असफलता ।	100 रुपये
34	23	श्री ओम प्रकाश त्यागी	आयात लाइसेंस देने में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	24	श्री ओम प्रकाश त्यागी	राज्य व्यापार निगम में व्याप्त फिजूल खर्ची तथा दुराचरणों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
35	25	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अमेरिका तथा ब्रिटेन स्थित भारतीय सप्लाई मिशनों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	26	श्री ओम प्रकाश त्यागी	कच्चे माल के निर्यात की अपेक्षा निर्मित माल के निर्यात पर जोर देने में असफलता ।	100 रुपये
36	27	श्री ओम प्रकाश त्यागी	निर्यात-योग्य माल की किस्म के परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया को सुधारने में असफलता ।	100 रुपये
36	28	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेश स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्य-दूतों की अकर्मण्यता ।	100 रुपये
36	29	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेशों में भारतीय माल की झांकी प्रदर्शन का अभाव ।	100 रुपये
36	30	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेशों में भेजे जाने वाले शिष्टमण्डलों में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
36	31	श्री ओम प्रकाश त्यागी	इंगलैंड स्थित वाणिज्य विभाग को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
36	32	श्री ओम प्रकाश त्यागी	माल का समय पर निर्यात सुनिश्चित करने में असफलता।	100 रुपये
36	33	श्री ओम प्रकाश त्यागी	जूट के निर्यात में आने वाली गिरावट को रोकने में असफलता।	100 रुपये
36	34	श्री ओम प्रकाश त्यागी	आयात और निर्यात के विषय में देश के अनुभवी व्यापारियों की सलाह न लेना।	100 रुपये
36	35	श्री ओम प्रकाश त्यागी	आयात लाइसेंसों में चोर-बाजारी को रोकने में असफलता।	100 रुपये
37	36	श्री ओम प्रकाश त्यागी	शत्रु सम्पत्ति नियंत्रण में ढील।	100 रुपये
37	37	श्री ओम प्रकाश त्यागी	प्रतिशोध के रूप में पाकिस्तान के व्यापार और सम्पत्ति को जब्त करने में असफलता।	100 रुपये
37	38	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सूती-वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने में असफलता।	100 रुपये
115	39	श्री ओम प्रकाश त्यागी	काण्डला में अबाध-व्यापार को सफल बनाने में असफलता।	100 रुपये
115	40	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अबाध व्यापार को प्रोत्साहन देने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	41	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमंडल के देशों से आयात में प्रस्तावित भारी कटौती को देखते हुए हमारे निर्यातोन्मुख उद्योगों को संरक्षण देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	42	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	दक्षिण-अमरीकी देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों पर ध्यान देने और उसे बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	43	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवानियों को निर्यात लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में संशोधन करने की आवश्यकता ताकि पुर्तगाली राज्य में अवांछनीय समझे जाने वाले व्यक्तियों को लाभ हो सके ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	44	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा से खनिजों का निर्यात, जो इस समय भी भारत को 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दिलाता है, बढ़ाने के लिये उपाय सुझाने के लिये, रेलवे, नौवहन तथा परिवहन, श्रम और विदेश व्यापार मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	45	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	आस्ट्रेलिया और ब्राजील से कड़ी प्रतियोगिता को देखते हुए खनिज लोहे और मैंगनीज के निर्यात की संभावनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	46	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा से लोहे और मैंगनीज खनिजों के हमारे निर्यात को उत्पन्न खतरे के कारणों का पूर्णरूपेण अध्ययन करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	47	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	विदेशों में गैर-सरकारी फर्मों के साथ गोवानी स्लाइन मालिकों और निर्यातकों द्वारा खनिज के सौदों की छानबीन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	48	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा के खनिज निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा के अपव्यय की छानबीन करने की आवश्यकता जो उन्हें निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में, इस शर्त के साथ दी जाती है कि वह खान उद्योग के लिये उपयोगी मशीनें अथवा फालतू पुर्जों का आयात करें ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	49	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	कोरलिम-गोवा स्थित सिंद्धूर (रेड आक्साइड) और 'ओकर' उत्पादन कारखाने को सहायता अथवा ऋण देने की आवश्यकता क्योंकि इन वस्तुओं के निर्यात व्यापार की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं।	100 रुपये
34	50	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	मरमागोवा पत्तन के विस्तार की आवश्यकता के बारे में योजना आयोग को समझाने में असफलता, जो गोवा से खनिजों के निर्यात में सहायक होगा।	100 रुपये
34	51	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	दक्षिण अमरीकी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिये प्रदर्शन-कक्ष खोलने की आवश्यकता और यदि आवश्यक हो तो यह कार्य एयर-इण्डिया के कार्यालयों अथवा एजेंसियों को सौंप दिया जाये।	100 रुपये
34	52	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	लोहे और मैंगनीज खनिजों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
34	53	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	ब्राजील को निर्यात बढ़ाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	54	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	धातु तथा खनिज व्यापार निगम का कार्यचालन जिससे गोवा के छोटे खान-मालिकों को कठिनाई हो रही है ।	100 रुपये
34	55	श्री कमला मिश्र मधुकर	कच्चे जूट का आयात पूर्णतः बन्द करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	56	श्री कमला मिश्र मधुकर	आम तथा आम के रस का निर्यात सुव्यवस्थित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	57	श्री कमला मिश्र मधुकर	देश में तैयार किये जाने वाले या किये जा सकने वाले माल का आयात बन्द करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	58	श्री कमला मिश्र मधुकर	जिन देशों से माल आयात होता है उनके साथ वस्तु आदान-प्रदान की नीति अपनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	60	श्री कमला मिश्र मधुकर	विदेश व्यापार का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	61	श्री कमला मिश्र मधुकर	कच्चे माल का निर्यात बन्द कर उसके बदले में तैयार माल का निर्यात करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय
34	63	श्री कमला मिश्र मधुकर	रुपये में व्यापार को हमारे विदेश व्यापार का प्रबल अंग बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	64	श्री कमला मिश्र मधुकर	समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
34	66	श्री कमला मिश्र मधुकर	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
34	67	श्री कमला मिश्र मधुकर	सभी देशों के साथ एक समान व्यापार बढ़ाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
34	68	श्री कमला मिश्र मधुकर	केरल के जटा उद्योग के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना को स्वीकार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	69	श्री कमला मिश्र मधुकर	जटा उद्योग के विकास के लिये आर्थिक सहायता देने में असफलता ।	100 रुपये
34	70	श्री कमला मिश्र मधुकर	जटा उद्योग के लिये निर्यात गृह (एक्सपोर्ट हाउस) स्थापित करने के लिये केरल सरकार को सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	71	श्री कमला मिश्र मधुकर	भारत सरकार के विभागों द्वारा जटा की बनी चटाइयों तथा पायदान खरीदने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	72	श्री कमला मिश्र मधुकर	पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में जटा उद्योग के विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	73	श्री कमला मिश्र मधुकर	जटा उद्योग में लगे लाखों मजदूरों की दशा सुधारने, उन्हें शोषकों के चंगुल से बचाने तथा उनके लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	74	श्री कमला मिश्र मधुकर	केरल में जटा उद्योग को अपने नियंत्रणाधीन लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	75	श्री कमला मिश्र मधुकर	क्यूबा से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	76	श्री कमला मिश्र मधुकर	उत्तर वियतनाम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	77	श्री कमला मिश्र मधुकर	विदेशों में वाणिज्य दूतावासों का असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये
36	78	श्री कमला मिश्र मधुकर	हमारे निर्यात व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	79	श्री कमला मिश्र मधुकर	दक्षिण वियतनाम को भारत से ट्रकों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
34	80	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार ।	100 रुपये
34	81	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	आयात तथा निर्यात लाइसेंस देने में किया जाने वाला पक्षपात ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	82	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने में असफलता।	100 रुपये
34	83	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ब्रिटेन को निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर भारत के कपड़ा उद्योग के प्रति अन्याय।	100 रुपये
34	84	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इसरायल के साथ अच्छे व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता।	100 रुपये

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Quarter past Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 18 मिनट म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[**श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : यह वास्तव में सराहनीय है कि वर्ष 1968-69 के प्रथम दस महीने में निर्यात बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गया है और आयात घटकर 1,519 करोड़ रुपये रह गया है जिसके फलस्वरूप प्रथम बार व्यापार का प्रतिकूल अन्तर घटकर केवल 358 करोड़ रुपये रह गया है जब कि पिछले वर्ष यह औसत दुगनी थी। मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति में बराबर सुधार होता रहना चाहिये। आत्मतुष्टि की भावना से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आयात-निर्यात नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे हमारी सीमाएं न केवल मजबूत हो अपितु वे और बढ़ें। मैं मंत्री जी को इस बात के लिये सचेत करना चाहूंगा कि वह वे गलतियां न करें जो उनके पूर्वाधिकारी ने की है।

मैं सर्व प्रथम वस्त्र-उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे देश में 640 से अधिक सूती कपड़ा मिलें हैं। इस समय 17.4 मिलियन तकुए हैं और 2 लाख से अधिक करघे हैं जिनमें लगभग

7.75 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग का संकट इतना गम्भीर हो गया है कि उद्योग और सरकार दोनों के लिये इसका हल निकालना कठिन हो गया है। ऐतिहासिक और वैधानिक परिस्थितियों के कारण लगभग 84 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं और प्रतिदिन 10 लाख मीटर कपड़े के उत्पादन की हानि हो रही है। इससे 65,000 कर्मचारी बेकार हो गये हैं। सरकार भी काफी सीमा तक इसके लिये जिम्मेदार है। जो मदद सरकार ने दी है वह कम है और समय की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

श्री मनुभाई शाह ने अपने कार्यकाल में बिगड़ती हुई स्थिति का अवलोकन नहीं किया और अब महत्वपूर्ण तथा कारगर सिफारिशें की हैं जिनकी ओर वर्तमान मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। श्री शाह ने गुजरात सरकार की ओर से और कोगेकर समिति ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो दो प्रतिवेदन पेश किये हैं उनमें इस उद्योग की बुराइयों का और इसकी आवश्यकताओं का विशद् अध्ययन किया गया है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी सब बातों से ऊपर उठकर इस उद्योग को सहायता प्रदान करें जिसकी इसको सख्त आवश्यकता है।

कपड़ा उद्योग में नियंत्रणों की वर्तमान योजना की कतई आवश्यकता नहीं है। बम्बई में कपड़ा आयुक्त के कार्यालय को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। भारत सरकार सूती कपड़े की शेष किस्मों का विनियंत्रण करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री शाह की सिफारिश के अनुसार घाटे वाले और संकटग्रस्त एककों को बड़े एककों द्वारा जो ठीक चल रहे हैं, अपने अधीन कर लिया जाना चाहिये। विलय आयुक्त का क्षेत्राधिकार केवल कपड़ा उद्योग पर ही नहीं होना चाहिये अपितु इसके अन्तर्गत उद्योग के अन्य क्षेत्र भी आने चाहिए जो अपनी गलतियों और सरकार की बेकार की नीतियों के कारण ठप्प हो गये हैं, जिस मामले में लाभप्रद और बड़ा एकक छोटे और अलाभप्रद एकक का ठीक प्रकार से संचालन न करे, उस मामले में आप आयकर अधिकारी को यह अधिकार दे दें कि वह उस एकक को कर की रियायतें न दे। इन सब बातों की व्यवस्था करते हुए, सरकार को मिलों के पुन.संस्थापन के सन्दर्भ में गत वर्ष पारित किये गये विधेयक के अलावा और उपाय करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उपाय तत्काल किये जाने चाहिए ताकि समय पर सहायता की व्यवस्था की जा सके। बेरोजगार हुए कर्मचारियों को खपाने का यह सुझाव बहुत अच्छा है कि अच्छे और लाभप्रद मिल वर्ष में 365 दिन काम करें, कोई छुट्टी न हो और इस प्रकार से कुल कर्मचारियों का $\frac{1}{7}$ भाग मिलों में काम पर लगाया जा सकता है।

वस्त्र-उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनःसंस्थापन के लिये 10 वर्ष के अन्दर 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ताकि इन मिलों को स्वावलम्बी बनाया जा सके और समिति ने यह सिफारिश की है कि आधे धन की व्यवस्था महाराष्ट्र, मैसूर और गुजरात जैसी राज्य सरकारें करें और आधे धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करे।

शाह समिति की सिफारिशों को अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है। भारत सरकार को इस प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने आवश्यक कार्यवाही कर ली है अथवा नहीं। यदि वर्तमान मंत्री ऐसा नहीं कर सकते तो श्री शाह को को इस मामले को उच्चत्तर स्तर पर उठाना चाहिए।

प्रतिवर्ष 90-100 करोड़ रुपये कपास के आयात पर व्यय किये जाते हैं। विश्व में प्रति एकड़ 304 पौंड कपास का उत्पादन होता है जब कि भारत में प्रति एकड़ 114 पौंड का ही उत्पादन होता है। रूस में प्रति एकड़ औसतन 692 पौंड का उत्पादन होता है। इस समस्या को हल करने के लिये कपास विकास परियोजना द्वारा इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने प्रयत्न किये हैं। राष्ट्रीय हित को देखते हुए तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए तथा सूती कपड़ा उद्योग के हित में भी हमें इस समस्या को हल करने के लिए और प्रयत्न करने चाहिए।

पिछले तीन अथवा चार महीनों में भारतीय कपास के मूल्य 20-30 प्रतिशत बढ़ गये हैं। मैं नहीं समझता कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से कपास की 250,000 गांठें आयात करने सम्बन्धी करार में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। विलम्ब करने से इस उद्योग के कच्चे माल की उपलब्धता में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है।

मैं 'केरट एण्ड स्टिक' नीति का स्वागत करता हूं परन्तु इसकी क्रियान्विति के बारे में मुझे गम्भीर सन्देह है। 341 एककों में से केवल 37 एककों ने दस प्रतिशत निर्यात सम्बन्धी शर्तों को पूरा किया है। जिन एककों ने इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है उनको दण्ड दिया जाना चाहिये। उनको विदेशी मुद्रा में हक नहीं दिया जाना चाहिए। जिन एककों ने अपने वार्षिक उत्पादन के दस प्रतिशत से अधिक निर्यात किया है उनको विदेशी मुद्रा तथा अन्य सुविधाओं के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शुल्क में त्रुटियां, लाल फीताशाही, आयात हकदारी तथा नकद राजसहायता के भुगतान आदि में विलम्ब जैसी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री जानते हैं कि परम्परागत तथा गर-परम्परागत दोनों प्रकार की वस्तुओं के मूल्य विश्व के किसी भी भाग में स्थिर नहीं रहते और कि यह मांग और सप्लाई पर निर्भर करते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री विभिन्न देशों में अपने राजदूतावासों से संलग्न अताशियों पर इस बात का जोर दें कि वे प्रत्येक सप्ताह मूल्यों की प्रवृति का अध्ययन किया करें और बड़ी मात्रा में आयात तथा निविदाओं जिनमें कि भारतीय व्यापारी रुचि रखते हों, उन्हें अपने टिप्पण भेजने चाहिये।

विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजने की प्रथा बहुत अच्छी है। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में भेजे जाने चाहिये।

ऐसे व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों में व्यावसायिक प्रबन्धकों, सार्वजनिक सम्पर्क प्रबन्धकों, विपणन प्रबन्धकों, परामर्शदाताओं आदि को भी शामिल किया जाना चाहिये।

यह बड़े खेद की बात है कि विश्व में विभिन्न स्थानों पर होने वाले औद्योगिक मेलों की ओर सरकार उचित ध्यान नहीं देती है। ओसाका में होने वाले मेले के बारे में सरकार तथा इस मंत्रालय को पिछले चार वर्ष से पता है परन्तु अभी पिछले महीने तक आर्किटैक्ट को वहां पर स्थान चुनने के लिये भेजा गया है। परन्तु अब क्योंकि समय बहुत कम रह गया है अच्छा स्थान मिलना सम्भव नहीं और न ही हमारे उद्योगपति अच्छी प्रकार अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि यह विलम्ब किस कारण हुआ है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है।

आयात तथा निर्यात सम्बन्धी पुस्तक में बहुत कठिन तथा जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है। साधारण अंग्रेजी तथा हिन्दी में एक हस्तपुस्तिका प्रकाशित की जानी चाहिये ताकि साधारण लोग भी समझ सकें कि आपकी नीति का प्रयोजन क्या है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति अपनाने का भी आपसे निवेदन करूंगा। प्रत्यक्ष आयकर बोर्ड ने करदाताओं के लाभ के लिये आसान भाषा में एक हस्तपुस्तिका प्रकाशित की है। इस मंत्रालय को भी ऐसा करना चाहिये।

बंगलौर की एक पार्टी को लाखों रुपयों के मूल्य के दुग्ध चूर्ण के 'नामिनेशन' क्रय करने की हाल में अनुमति दी गई थी जबकि सबको यह पता है कि यह कारखाना अपने तमाम उत्पादों के लिये केवल एक अथवा दो लाख रुपये के मूल्य के दुग्ध चूर्ण का प्रयोग करता है। मंत्री महोदय को इस प्रकार के मामलों की जांच करनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार कुछ असामाजिक तत्व अवैधरूप से लाभ कमाते हैं।

इसी प्रकार लुधियाना के एक व्यापारी को 40 लाख रुपए के मूल्य का पोलिस्टर फाइबर तथा बूलटाप्स आयात करने की अनुमति दी गई जबकि वह स्वयं 2 अथवा 3 लाख रुपये के मूल्य के पोलिस्टर फाइबर का ही प्रयोग करता है। मंत्री महोदय को इन सब बातों की जांच करनी चाहिये।

जहां तक वैदेशिक व्यापार नीति का सम्बन्ध है सरकार को विकसित देशों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। विकसित देशों में वस्तुओं का निर्यात करने से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अमरीका और यूरोप के देशों में हम अपनी वस्तुओं के लिये अच्छे बाजार ढूंढ सकते हैं।

हमारे देश में 1957 से 1967 के दस वर्षों में टेटरासाइक्लीन के लगभग 800 मिलियन केपसूल खरीदें हैं। ऐसा पता लगा है कि अमरीकी फर्मों ने अधिक मूल्य लिया है और उन्होंने भारतीय फर्मों को 9 करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप में देने हैं। मंत्रालय को इस मामले

की जांच करनी चाहिये। सरकार को इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाना चाहिये।

खान तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये एक ही फर्म मैसर्स राय बहादुर ठाकुर को एकाधिकार दे रखा है। इस काम को राज्य-वार अथवा खान की क्षमता के आधार पर बांटा जाना चाहिये।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट) : सरकार ने निर्यात बढ़ाने तथा भुगतान के संतुलन की समस्या को हल करने में शानदार काम किया है। 1967 के 885 रुपये के प्रतिकूल व्यापार शेष की तुलना में 1968 में यह केवल 55 करोड़ रुपये था।

निर्यात को बढ़ाने के लिये हमें निरन्तर प्रयत्न करने होंगे। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारें भी पूरा सहयोग दें। मुझे पता लगा है कि वे निर्यात की जाने वाली मदों पर शुल्क आदि लगाकर उनके निर्यात में बाधायें डाल रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में निर्यात को काफी धक्का लगा था। उसका एक कारण यह भी था कि निरन्तर कई वर्ष देश में सूखा पड़ा है और इससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ था। इसी कारण हमारे निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब हमने पांसा पलट दिया है और निर्यात के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है।

1968-69 में 85 करोड़ रुपये की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा। इन वस्तुओं का इतना निर्यात पहले कभी नहीं किया गया। इसी प्रकार लगभग 75 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात का भी इस वर्ष निर्यात किया जायेगा। हीरों तथा अन्य कीमती पत्थरों के निर्यात से लगभग 38 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी। अन्य भारतीय पार्टियों को सरकार की सहायता से विदेशों में ठेके मिले हैं और इससे विदेशों में भारत की एक अच्छी किस्म की वस्तुओं के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा बनती जा रही है।

गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के मामले में सरकार ने नकद सहायता आदि की व्यवहारिक नीति अपनाई है।

इसका यह अर्थ नहीं कि सब ठीक है। वास्तव में यह बहुत गम्भीर समस्या है। निर्यात से होने वाली आय का 30 प्रतिशत ऋणों के भुगतान के लिए रखना पड़ता है। अतः हमारा लक्ष्य न केवल भुगतान शेष के अन्तर को पूरा करने का होना चाहिए बल्कि फालतू आय करने का भी होना चाहिए। इसके लिये हमें प्रयत्न करने होंगे ताकि विदेशी सहायता पर देश की निर्भरता को कम तथा अन्ततः बिल्कुल समाप्त किया जा सके।

निर्यात के ऊपर बोझ को यथासम्भव कम किया जाना चाहिये। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय

बाजारों में प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो निर्यात शुल्क को समाप्त अथवा बहुत कम किया जाना चाहिए। इस वर्ष भी निर्यात वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के रूप में 74 करोड़ रुपये का बोझ डाला गया है। अतः यदि सरकार परम्परागत उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहती है तो निर्यात शुल्कों को कम किया जाना चाहिए। तम्बाकू पर लगे निर्यात शुल्क में कमी करने की बहुत आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करार करने अथवा विकसित देशों से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रशुल्क के मामले में प्राथमिकता प्राप्त करने के मामले में बहुत ही धीमी प्रगति हो रही है। इन मामलों पर विचार करने के लिये वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय की एक स्थायी समिति होनी चाहिए। इस प्रकार संसद्सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत रखा जा सकेगा।

मैं नई आयात नीति का स्वागत करता हूं जो वास्तव में हमारे देश की विदेश नीति है। आयात प्रतिस्थापन के लिये कार्यक्रम बनाने की इसमें पर्याप्त गुंजायश है। उद्योग-वार विश्लेषण न केवल कार्यवाही-प्रधान कार्यक्रम करने तथा क्रियान्वित करने बल्कि अध्ययन के रूप में किया जा सकता है।

जहां तक रुपया भुगतान देशों से व्यापार का सम्बन्ध है इसमें वृद्धि हुई है परन्तु हमें इस बात का भी अनुमान लगाना चाहिए कि हमें इन देशों से आयात के लिए वस्तुओं का अन्य देशों की तुलना में अधिक मूल्य तो नहीं देना पड़ता। क्या राजनैतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने के लिये कुछ भारतीय दलों को कुछ मामलों में रुपये में अधिक मूल्य तो नहीं दिया जाता है? मंत्री महोदय को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखा गया है कि तम्बाकू, चाय, काजू आदि के ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें रुपया भुगतान देशों द्वारा इन वस्तुओं के बाजार भाव से अधिक मूल्य दिये गये ताकि फालतू रुपयों को ऐसे कार्यों हेतु प्रयोग किया जाये जो हमारे लोकतंत्र और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हैं।

मैं माननीय मंत्री को विदेशों में संयुक्त उपक्रम लगाने के ढंग आदि ढूंढने का भी सुझाव दूंगा। निर्यात बढ़ाने का यह एक नया तरीका है। कुछ नकदी भेजने की अनुमति होनी चाहिए और भारतीय फर्मों द्वारा लगाई गई पूंजी की सुरक्षा के लिये योजना बनाई जानी चाहिए।

जहां तक लातीनी अमरीकी देशों को व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रश्न है यह प्रतिनिधिमण्डल वहां पर कुछ उद्योग स्थापित करने हेतु वहां के उद्योगपतियों से सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये वहां पर भेजा गया था। यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक साधन हो सकता है। अब हमारे देश को आगे कार्यवाही करनी चाहिए और यह इसके लिए बहुत अच्छा समय है।

सप्लाई विभाग में बहुत से सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

उत्पादन बढ़ाने में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। उत्पादन में होने वाली हानि को हर हालत में खत्म किया जाना चाहिए अन्यथा हमारे लिये निर्यात को प्रोत्साहन देना सम्भव नहीं है।

सरकारी उपक्रमों को अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग निर्यात करना चाहिये जिससे वे विदेशी मुद्रा अर्जित करके अपने रख-रखाव तथा विकास का खर्च वहन कर सकें। यह बात गैर-सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

उत्पादन के मानक को बढ़ाने के लिये सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हमारे राजदूतावासों के जो आर्थिक विभाग हैं वे व्यापारिक लाइनों पर काम नहीं करते क्योंकि उनमें कुछ सिविल कर्मचारी हैं। उनको व्यापार का अनुभव नहीं है। अतः उन विभागों में ऐसे व्यक्ति लगाये जाने चाहिए जिनको व्यापार का अनुभव हो।

हम अपनी वस्तुओं के लिये अफ्रीका तथा लातीनी अमरीकी देशों में मण्डियां ढूंढ सकते हैं। विकसित देशों में भी 'इन्टरमिडियरी' वस्तुओं के लिये पर्याप्त बाजार मिल सकते हैं। अतः यह समय है जबकि सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों तथा प्रक्रिया को सरल बना सकती है।

हमारे देश से लातीनी अमरीका के देशों अथवा अन्य देशों को वस्तुओं को निर्यात के लिये अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक भाड़ा लिया जाता है। इसको कम किया जाय।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिए सरकार ने अब तक जो प्रयत्न किये हैं उनसे पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस मामले में बहुत कम प्रगति की है। लगभग 85,000 प्रशिक्षित मजदूर बेरोजगार पड़े हुए हैं, अतः तेजी से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। गुजरात के मनुभाई शाह समिति की कमजोर एककों के विलय सम्बन्धी सिफारिश को तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु स्वस्थ एककों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नानि) : हमें देश में बहुत ही गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना है। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है।

स्वतन्त्रता के पश्चात स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि स्थिति और बिगड़ी है। वास्तविकता यह है कि हम अधिक से अधिक विदेशी धन तथा विदेशी सहायता ले रहे हैं। चाय,

पटसन, पेट्रोलियम, खनन तथा रसायन उद्योगों पर विदेशी निजी पूंजीपतियों का नियन्त्रण है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इस शोचनीय स्थिति से निकालना है।

स्वतन्त्रता के पश्चात देश में ब्रिटेन तथा अमरीका की पूंजी में वृद्धि हुई है। सभी प्रयोजनों के लिए हम विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। विदेशी धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। अवमूल्यन के समय सरकार ने घोषणा की थी कि हमारे निर्यात में वृद्धि होगी परन्तु इसमें वृद्धि नहीं हुई है।

विदेशों द्वारा हमारे ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम क्यूबा, उत्तर वियतनाम तथा उत्तर कोरिया के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। यद्यपि जी० डी० आर० से हमारे कुछ व्यापार सम्बन्ध हैं तथापि हमने उसको राजनयिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। उसको मान्यता दी जानी चाहिए।

निर्यात संवर्धन सलाहकार समिति, वैदेशिक व्यापार बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषद, काफी बोर्ड, आदि जितने बोर्ड हैं वो सब श्वेत हाथी हैं। केरल में एक नारियल जटा बोर्ड है। यह बोर्ड उस उद्योग को बिल्कुल कोई सहायता नहीं देता हालांकि उद्योग को संकट का सामना करना पड़ता है। रबड़ से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अतः रबड़ बोर्ड को रबड़ उद्योग की सभी प्रकार से सहायता करनी चाहिए।

हम स्वतन्त्र देश के रूप में विकास नहीं कर सकते क्योंकि सरकार अधिक से अधिक विदेशी सहायता पर निर्भर होती जा रही है। इस प्रकार के निर्यात के कारण हमारी स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जायेगी।

जहां तक विदेश व्यापार का सम्बन्ध है कठिन स्थिति से निकलने का यह अच्छा समय है जब तक आर्थिक नीति में पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता हम वर्तमान संकट पर काबू नहीं पा सकते। हमें क्यूबा, उत्तर वियतनाम और उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (बेतूल) : 1968-69 में हमारे निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है। वास्तव में युद्ध का पांसा पलट गया है। 1965-66 और 1966-67 में स्थिति बहुत गम्भीर हो गई थी और निर्यात में कमी के कारण भुगतान शेष तथा विदेशी मुद्रा आदि की स्थिति भी गम्भीर हो गई थी। हमारे देश के लोगों ने निरन्तर प्रयत्न कर इस स्थिति पर काबू पा लिया है और 1968-69 में हमारे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उसका श्रेय हमारे देश के लोगों को है जिन्होंने निर्यात में आने वाली सभी बाधाओं को अपने प्रयत्नों से दूर कर दिया है।

यद्यपि हमारा निर्यात उत्साहवर्धक है तथापि हमें अभी काफी प्रयत्न करने हैं और इसमें पर्याप्त सुधार भी करने हैं। यदि हम विदेश व्यापार में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं करते तो देश के

आर्थिक विकास पर इसका वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी देश की समृद्धता तथा आर्थिक विकास के लिये विकसित तथा अत्यधिक विदेश व्यापार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। जापान ने अपने विदेश व्यापार में आश्चर्यजनक प्रगति की है। उसका नम्बर विश्व में छठा है। इसका अर्थ यह है कि हमें अभी बहुत आगे जाना है। इस बारे में कोई सुस्ती नहीं की जा सकती। हमारा विदेश व्यापार एशियाई तथा कुछ अन्य देशों के साथ बढ़ा है, स्वेज नहर के बन्द होने का भी इसमें बड़ा हाथ है। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी वस्तुओं ने स्थायी मण्डियां ढूंढ ली हैं।

इन्जीनियरिंग वस्तुओं, लौह तथा इस्पात, हस्तशिल्प, हीरों तथा कीमती पत्थरों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लोह अयस्क, काफी, काजू और अर्ध-निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भी मामूली वृद्धि हुई है।

यह दुख की बात है कि परम्परागत वस्तुओं अर्थात पटसन से बनने वाली वस्तुओं, चाय, दालों, मैंगनीज अयस्क, तम्बाकू तथा अभ्रक के निर्यात में कमी हुई है। इन वस्तुओं के लिए बाजार ढूंढने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रति एकक मूल्य वसूली को कम करने के विदेशी दबाव का हम सामना नहीं कर सके। इन परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये पटसन, लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा चाय पर लगे निर्यात शुल्क का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है अभी कुछ वर्ष पूर्व तक हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। परन्तु अब हमें श्रीलंका तथा अन्य देशों से गम्भीर प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। जब तक हम भारतीय चाय के निर्यात को अन्य निर्यातकर्त्ताओं के समान नहीं लाते यह सम्भावना है कि चाय के निर्यात में और कमी हो जायेगी।

जहां तक पटसन से बनी वस्तुओं का सम्बन्ध है उनका निर्यात 1947 से लेकर अब तक इस वर्ष में सबसे कम हुआ है। इस पर लगे निर्यात शुल्क को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। निर्यात शुल्क के कारण लौह अयस्क के निर्यात से खान तथा धातु व्यापार निगम को हानि उठानी पड़ रही है।

मैंगनीज का व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 1960 में 1.30 मिलियन टन मैंगनीज का निर्यात किया गया था जो 1967 में कम होकर 1.08 मिलियन टन तथा 1968 में 1.18 मिलियन टन रह गया है। खान तथा धातु व्यापार निगम को मैंगनीज अयस्क की बिक्री बढ़ानी चाहिए। निर्यात शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को इस उद्योग को और समर्थन तथा सहायता देनी चाहिए।

सरकार को 75 करोड़ रुपये की एक निर्यात विकास निधि बनानी चाहिए। बजट में इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिए। इस निधि का चाय, काजू, मछलीपालन, लोह अयस्क,

मैंगनीज अयस्क तथा इंजीनियरिंग कारखानों को ऋण देने तथा उनमें पूंजी लगाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन उद्योगों को उदार तथा नर्म शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इनके निधि के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाना चाहिए। इस निकाय को एक व्यापारिक फर्म के रूप में काम करना चाहिए।

व्यापार विकास निधि के लिये बजट में और व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि फेरो—मैंगनीज के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु इसमें से एक टन माल का निर्यात भी खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नहीं किया गया है। इस निगम ने तो कुछ एककों को बन्द करने का परामर्श दिया था परन्तु उत्पादकों ने चुनौती को कबूल किया और ऐसी नीति अपनाई जिससे इसके निर्यात में पर्याप्त बृद्धि हो गई, नये मंत्री महोदय को भी ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

पिछले 20 वर्षों में प्रतिकूल व्यापार संतुलन के आधार पर रुपये का अवमूल्यन किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी भूमि पर विदेशी एकाधिकारपतियों द्वारा कितना दबाव डाला गया।

ब्रिटिश शासन के दौरान हम दालों तथा खालों आदि का निर्यात करते रहे हैं परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् हमने कुछ नये कदम भी उठाये हैं। परन्तु इनके लिये हमें विकसित देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उद्योगों के विकास के साथ-साथ विकसित पश्चिमी देशों के साथ निर्यात-व्यापार के क्षेत्र में हमारी प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों से हमें सशर्त ऋण मिलते हैं, जिनके अनुसार हमें उनके संकेतों पर चलना पड़ता है तथा अपना कच्चा माल निर्यात करना पड़ता है। स्थिति को ठीक समझते हुए हमें उस पर काबू पाना चाहिए।

जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका के साथ, वैदेशिक व्यापार तथा निर्यात के क्षेत्र में, हमारी वास्तविक प्रतिस्पर्धा हो रही है, हम उनकी मण्डियों में कैसे पदार्पण कर सकते हैं। उनकी अपनी मण्डियां भी संकुचित होती जा रही हैं। इसीलिए पूर्व योरूपीय समुदाय (E.E.C.) की स्थापना हुई थी। क्या यह सत्य नहीं है कि वैदेशिक व्यापार पर भी हम विदेशों से सहयोग प्राप्त कर रहें हैं। इस बारे में 29 फरवरी, 69 को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ने बताया था कि विदेशी व्यापार संबंधी कारोबार पर विदेशी सहयोग, केवल अपने निर्यात-व्यापार को बढ़ावा देने के लिये, प्राप्त किया जा रहा है।

यदि ऐसी बात है तो राज्य-व्यापार निगम किसलिए स्थापित किया गया था ? हमारी उस घोषित नीति का क्या बना जिसमें कहा गया था कि शनैः शनैः आयात-निर्यात व्यापार राज्य व्यापार निगम के अधीन करते हुए उसका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। राष्ट्रीयकरण के स्थान पर हम वैदेशिक व्यापार पर भी विदेशी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। इस नीति परिवर्तन की व्याख्या करें।

इस समय निजी व्यापारियों एवं एकाधिकारियों द्वारा 3981.9 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया जाता है जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाने वाला व्यापार उसका शतांश ही है। इस नीति से देश को कैसे लाभ मिल सकता है। विदेशों से 118 करोड़ रुपये का कच्चा माल तथा मिट्टी का तेल बर्मा शैल, एस्सो तथा अन्य विदेशी कम्पनियों के द्वारा, आयात किया जाता है। हाल ही में राज्य-व्यापार निगम ने भी वह कार्य अपने हाथ में लिया है। मैं निवेदन करता हूं कि तेल के आयात का पूरा कार्य सरकार अपने अधिकार में ले ले जिससे लाभ भी होगा और विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से पटसन उद्योग को राहत दी गई है। परन्तु वास्तव में पटसन उपजाने वालों को सरकार द्वारा नियत मूल्य से भी कम मूल्य मिलता है। फलतः पटसन की उपज घट गई है और उसका आयात करना पड़ रहा है। सरकार को उन पर आग्रह करना चाहिए कि वे नियत मूल्य पर ही पटसन का क्रय करें।

कई पटसन मिलों को बंद होने के कारण बिहार में सहस्रों कर्मचारी बेकार हो गये हैं। सरकार दृढ़ कदम उठाते हुए पटसन-निर्माता-संघ को विवश करे कि वे सरकार के नियमों और शर्तों को स्वीकार करें अन्यथा उनकी सभी राहतें वापिस ले ली जायें।

टी-बोर्ड कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है। उसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए तथा उसके स्थान पर 'चाय-बिक्री-निगम' अथवा किसी और नई संस्था की स्थापना की जाये। मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की इस बात का समर्थन करता हूं कि भारतीय चाय ब्रिटेन अथवा यूरोप में भारतीय चाय के नाम से नहीं बेची जाती अपितु कलकत्ता की निलामी से 2 रुपए पौण्ड के हिसाब से खरीद कर इंगलैंड की महिलाओं द्वारा सम्मिश्रण एवं पैंकिक के पश्चात वही चाय 20 रुपए पौण्ड बेची जाती है। चाय के व्यापार में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के इस प्रकार के कृत्य समाप्त होने चाहिए। भारत सरकार को इस बारे में दृढ़ कदम उठाना चाहिए।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I congratulate Shri Bhagat, on his appearing for the first time in the capacity of Minister of Foreign Trade and Supply, to reply to this debate. I feel that he should take the criticism in the proper spirit.

I now take up the report of the Ministry. The difference between the exports and imports which was 885 crores in 1967 has been reduced to Rs. 551 crores of rupees in 1968. The Prime Minister's tour of eight countries has helped in the improvement of trade relations. Both these things deserve to be praised.

The report contains all our achievements and there is nothing in it on our failures. I request the Hon. Minister that such report should also contain details of our draw-backs and failures.

Similarly the achievements of the Public Sector undertaking have been included in the report, whereas it has not been mentioned as to what it ought to have done, and what were their profits or losses. I hope that the next report will be made more comprehensive indicating the jobs done by these undertakings in previous five or two years.

In the P.A.C. report on Directorate General of Supplies and Disposals losses worth Rs. 5 lakh 51 thousand have been mentioned. These losses occurred only because the Director General did not take a timely decision.

It is mentioned at page 25 of the report that a firm offered to supply an item @Rs. 3,500 per tonne and the offer was rejected but latter after 4 months the item was purchased from the same firm @ Rs. 4,400 per tonne and thus that party was deliberately allowed to earn a profit of 1½ lakhs of rupees. A loss of £ 5,045 has been indicated at page 51 of the report. I like that suitable action be taken against the officers responsible for it.

We export bananas, tyres, tubes and shoes through State Trading Corporation and we incurred losses in all these deals. The losses incurred in the export of shoes to Russia in 1965-66 was 60 thousands, in 1966-67 it was 70 thousand and in 1967-68 it was 3½ lakhs. It is worth noting here that the amount of the order was the same but the loss went on increasing every year. Useless pairs of shoes were exported to Russia. We should see that the quality of goods being exported is checked up so that it may not give bad name to India.

The PAC report also mentions about the sulphur scandal. The Chairman of STC had paid fourteen visits abroad and foreign exchange to the extent of Rs. 2½ lakhs was spent on these tours.

The article being sold here @ Rs. 5/- is exported @ Rs. 2/50 or even less. Due to export of these articles their prices in the country rise further. Such malpractices should be checked.

STC has shown a balance of 33 crores of rupees and this amount can yield a sum of 3 crores of rupees by way of interest. It should be investigated as to how it happened.

STC should be cleaned of a few black sheets and it should be entrusted with the entire foreign trade, so that we may get rid of the private businessmen.

The goods manufactured here should not be allowed to be imported in lieu of the goods exported from here. It is contained at page 123 of the red book that in lieu of the first and ready made garments, certain types of papers are allowed to be imported, whereas these are manufactured in the country.

In the exhibitions organised by the Indian Council of International Fairs in Sydney, London and West Germany, lakhs of rupees were spent without any gain whatsoever.

The printing machinery we import from West Germany is being sold to us by Agents @ Rs. 81,793 whereas its c.i.f value is Rs. 61,760. Due attention should be paid as to why this twenty thousand of rupees are paid in excess.

This red book has helped 75 capitalists of the country at the cost of the poor shopkeepers. I suggest that this red book may be renamed as blue book so that the exploitation of the poor people may come to an end.

श्री रा० कृ० बिड़ला : जो वस्तु दी जाती है वह निर्यात के अन्तर्गत आती है। मैं जो भाषण दे रहा हूं वह निर्यात का व्यापार है अतएव उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

अवमूल्यन से पूर्व 1964-65 में भारत का निर्यात व्यापार 1285 करोड़ रुपये का था। यह 1966-67 में 1157 करोड़, 1967-68 में 1200 करोड़ तथा 1968-69 में 1340 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार अवमूल्यन द्वारा निर्यात में सुधार नहीं लाया जा सका।

पटसन उद्योग में जो ह्रास आया है उसके लिए सरकार उत्तरदायी है। जब पटसन थाईलैंड तथा पाकिस्तान में कम दरों पर उपलब्ध था उस समय सरकार के लिये आवश्यक था कि लाखों गांठें सुरक्षित रखती। सरकार ने इस ओर तो ध्यान दिया नहीं और साथ ही पटसन पर लगे निर्यात करों से इस उद्योग की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के निर्यात-व्यापारी पटसन के व्यापार से लाभ उठा रहे हैं। कृसियन पर 121 डालर, सैंकिंग पर 25 डालर प्रति टन वे कमा रहे हैं जबकि भारतीय निर्यातिक उन पर 37 तथा 11 प्रति टन हानि उठा रहें हैं।

अपनी खोई हुई मण्डियों को पुनः हस्तगत करने के लिए पटसन पर लगा निर्यात-कर हटाया जा रहा है तथा उद्योग के संरक्षण के लिए उपदान भी दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने रक्षित भण्डार स्थापित करने का आश्वासन भी दिया है। परन्तु मंत्री लोग जो भाषण देते हैं वह बहुधा कार्य रूप में परिणत नहीं होता।

माननीय दिनेश सिंह जी जब इस मंत्रालय के मंत्री थे तब उन्होंने 10% निर्यात करने वाले कारखानों को अग्रता देने का आश्वासन दिया था। परन्तु उससे भी अधिक निर्यात करने वाले कारखानों को मात्र प्रमाण-पत्र ही मिल पाया।

हम 400 करोड़ रुपए की कपास उगाते हैं तथा 80 से 100 करोड़ रुपए की कपास का आयात करते हैं। कपास के मूल्य बढ़ रहे हैं तथा उसकी कमी बनी हुई है। कुछ मिलें काम करने योग्य नहीं रही हैं तथा कुछ अन्य क्षमतापूर्वक कार्य नहीं कर पातीं। मध्य प्रदेश के सहयोगी क्षेत्र की एक मिल 25% हानि क्षति के रूप में दे रही है जबकि क्षति 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। निदेशकों की बैठक में क्षति को घटाने का उपाय यह सुझाया गया है कि कार्य में आ रहे तकुओं की संख्या आधी कर दी जाए।

बनावटी कपड़ा उद्योग, न केवल भारत के लिए अपितु विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विकास से हम बची हुई भूमि पर अधिक अनाज उपजा सकते हैं। विस्कोज रेशा सूत्र अत्यन्त सस्ता पड़ता है अतएव उसका अधिक उत्पादन होना चाहिए। टोकियो में 1966 में हुई कृत्रिम वस्त्र पर विश्व विचार-गोष्ठी मे यही निष्कर्ष निकाले गये थे। इसके लिए कच्चा माल तथा तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है।

मैं आशा रखता था कि रेशा-वस्त्र पर उत्पाद-शुल्क घटा दिया जाएगा, परन्तु वह 20% ढ़ा दिया गया है, इससे निर्धन लोगों को कपड़ा मंहगा मिलेगा।

ऊनी वस्त्र का लक्ष्य निर्यात नहीं अपितु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। योजना आयोग ने ऊनी उद्योग में दोहरी पारी चलाने के लिये 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की सिफारिश की थी।

देश में 3 करोड़ 50 लाख किलो ऊन की उपज होती है और उसमें से 50% निर्यात की जाती है तथा शेष की खपत देश में हो जाती है। विदेशी लोग हमारे यहां से ऊन का आयात करके कीमती ऊनी दरियां बनाकर विदेशी मुद्रा कमाते हैं। कुछ बर्ष पूर्व इण्डियन वूलन मिल्स फेडरेशन ने देश में ऐसी दरियां बनाने की योजना बनाई थी। यदि वह योजना कार्यान्वित हो जाती तो हम 10 करोड़ के स्थान पर 40 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमा पाते। वस्त्र-आयुक्त के विशेषाधिकारी श्री धर्मदेव ने इस बारे में पूर्ण तथा सविस्तार योजना का निर्माण किया था। उसका ज्ञान उन अधिकारियों के समान थोथा न था जिन्होंने "वूल टाप" से "भेड़ के ऊपर की ऊन" अर्थ लिया था।

हम फेल्ट क्लाथ का आयात करते हैं। हम न्यूजीलैंड से उपयुक्त ऊन का आयात करके फेल्ट क्लाथ का उत्पादन देश में ही क्यों नहीं कराते ?

केबल और तारों के निर्माण के बारे में हमें अपने निर्माताओं पर विश्वास रखना चाहिए। विदेशी लोग उन्हें बड़े बड़े आर्डर दे रहे हैं। हमें टेलीफून तारों पर न तो विदेशी मुद्रा को व्यय करना चाहिए और न ही टेलीफून उद्योग को ह्रास पहुंचाना चाहिए अपितु देश में ही टेलीफोन तारों का निर्माण देशी कम्पनियों द्वारा करना चाहिए।

आधारभूत उद्योगों की तकनीकी जानकारी के निर्यात के प्रयत्न हम कर रहे हैं, उनके लिए 10 से 15% विदेशी मुद्रा प्रदान की जानी चाहिए जोकि दस वर्षों में वापिस मिल सकेगी।

हमारे राजदूतावास के आर्थिक स्कंधों में बुद्धिमान व्यक्ति कार्य कर रहें हैं परन्तु उनमें व्यापारिक जानकारी एवं व्यवहारशीलता का अभाव है।

राज्य-व्यापार निगम का प्रबन्ध अनुभवी एवं समझदार व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए।

हमने 450 वेल्डर पश्चिमी जर्मनी भेजे थे, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमने कुछ अच्छे अभियंताओं एवं वैज्ञानिकों को कैनेडा, इंग्लैंड तथा अमरीका भी भेजा था।

ऐसे व्यक्तियों को जो विनाश द्वारा निर्माण के सिद्धान्त को मानते हैं, उन्हें विदेशों में भेजना चाहिए।

जबसे श्री टंडन ने राज्य-व्यापार निगम का कार्यभार संभाला है वहां सुधार हुए हैं। उन्हें कार्यकारी अधिकारियों से आग्रह करना चाहिए कि वे निजी क्षेत्र के समान कार्य करें जिससे निर्णय लेने, विचार-विमर्श आदि में विलम्ब न हो।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर): सर्व प्रथम मैं इस मंत्रालय के अनुदानों का समर्थन करता हूं। यह महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसे 1800 करोड़ रुपये का आयात करना पड़ता है। यह मंत्रालय निर्यात व्यापार पर नियंत्रण रखता है जो अब 1300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वस्त्र उद्योग, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत है 1500 करोड़ रुपये का उत्पादन करता है। उसमें 10 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं और उससे कहीं अधिक अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। पटसन, चाय, रबर और कई और उद्योग इस मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में हैं। खेद का विषय है कि इस मंत्रालय को कम समय दिया गया है।

मैं श्री भगत को इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने पर बधाई देता हूं।

मैं इस मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्री श्री दिनेश सिंह के अच्छे कार्य पर उन्हें बधाई देता हूं तथा सचिव श्री के० बी० लाल की कार्य-निष्ठा की भी प्रशंसा करता हूं।

कई वर्षों पश्चात ऐसा अवसर आया है कि हमारा निर्यात व्यापार 1315 करोड़ रुपये तक पहुंचा है और उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 100 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तथा आयात में 200 करोड़ रुपये की कमी आई है। आयात तथा निर्यात में अन्तर 885 करोड़ से घटकर 551 करोड़ रह गया है। यह महत्वपूर्ण प्रगति है।

प्रसन्नता की बात है कि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-संस्थानों की स्थापना पर निर्यात आयात नीति घोषणा में अधिक ध्यान दिया गया है। इससे निर्यात मे वृद्धि होगी। विदेशों से माल विक्रय में पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा विद्यमान है। शीघ्र निर्णय एवं सम्यक ध्यान द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।

आयात को और घटाया जा सकता है। पिछले वर्ष 491 करोड़ रुपये की औद्योगिक मशीनें तथा यातायात उपकरणों का आयात किया गया, 384 करोड़ रुपये का औद्योगिक कच्चा माल तथा 152 करोड़ रुपये के धातु आयात किये गये थे। हमारे देश में भारी औद्योगिक क्षमता विद्यमान है जिसका हम पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते। इस दिशा में उचित कार्यवाही करके आयात घटाया जाना चाहिए जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि हम इस देश में निर्मित मशीनों एवं संयंत्रों पर आयातित मशीनों की अपेक्षा अधिक विकास छूट देंगे तो स्वदेशी उपकरणों की मांग बढ़ जाएगी।

मोटे और मध्यम कपड़ों पर सरकार ने जो उत्पाद-कर घटाया है, उतने मात्र से वस्त्र उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं हो पायगा। यह उद्योग कच्चे माल की कमी तथा आधुनिकीकरण के अभाव के कारण पिछड़ा हुआ है।

इस समय कपास का उत्पादन उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पर्याप्त नहीं है। वस्त्र उद्योग द्वारा 1965-66 में 58.21 लाख गांठें; 1966-67 में 57.63 लाख गांठें; तथा 1967-68 में 61.66 लाख गांठें खपत की गई। जबकि देश में कपास का उत्पादन क्रमशः

50.76, 50.05 तथा 58.99 लाख गांठें हुआ। इस प्रकार हमने 1965 में 51.60 करोड़, 1966 में 42.01 करोड़, 1967 में 91.23 करोड़ तथा 1968 में 92 करोड़ रुपये की कपास का आयात किया। अमरीका में 1 करोड़ एकड़ में 90 लाख एकड़ गांठों का उत्पादन होता है जबकि भारत में 2.80 करोड़ एकड़ में 60 लाख गांठों का उत्पादन होता है। अमरीका में कपास की प्रति एकड़ उपज 482 पौंड, यू० ए० आर० में 528 पौंड, मैक्सीको में 600 पौंड, जबकि भारत में प्रति एकड़ उपज मात्र 116 पौंड है।

सरकार ने कपास का जो समर्थन-मूल्य नियत किया है उसमें वास्तविक मूल्य में पर्याप्त अन्तर है। इसलिए सरकार के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कृषकों को विश्वास हो सके कि यदि वह अधिक कपास का उत्पादन करेंगे तो भी उनको उचित मूल्य मिल सकेगा।

इस समय हमारे पास पर्याप्त कपास है जिससे हम 40 सूत्रांक तक बना सकते हैं। मेरा सुझाव है कि 40 सूत्रांक तक विदेशी कपास का प्रयोग बन्द कर दिया जाय जिससे भारतीय कपास का मूल्य अधिक मिल सके।

हमारे पास 40 सूत्रांक से अधिक लम्बे रेशे वाली कपास का अभाव है। हमें भारतीय कपास से निर्मित कपड़े पर उत्पादन शुल्क में छूट देनी चाहिए।

आधुनिकीकरण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 646 मिलों में से 89 मिलें बंद हो गई हैं। हमारे इंजीनियरी उद्योग, वस्त्र उद्योग की मशीनों एवं संयंत्रों का 90 प्रतिशत तक निर्माण करने में सक्षम हैं, परन्तु हमारी इस क्षमता का पूरा उपयोग हो नहीं पा रहा है।

मुझे खेद है कि सरकार ने वस्त्र उद्योग के सामान्य आधुनिकीकरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। कई नगरों में कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। कपड़ा उद्योग के आधुनिकोकरण से इंजीनियरी उद्योग को भी काम मिलेगा। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : श्री भगत एक योग्य मंत्री हैं और मंत्रालय के सचिव भी एक वरिष्ठ तथा सक्षम व्यक्ति हैं। आशा है कि वे मंत्रालय का कार्य योग्यता से करते हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मंत्रालय के निर्यात में बहुत बढ़ावा किया है। हमारे निर्यात में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जबकि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात से आयात के 83.7 प्रतिशत दूसरी योजना में 62.5 प्रतिशत के लिये वित्त व्यवस्था हो सकी थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्यात में केवल 61.5 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था ही हो सकेगी।

इस्पात की कमी बढ़ रही है, पहले देश 75 करोड़ रुपये का निर्यात कर सकता था परन्तु आने वाले वर्ष में 20 से 25 करोड़ रुपये की कमी होने की संम्भावना है। जब देश में आन्तरिक मांग बढ़ती है तो निर्यात कम हो जाते हैं।

[श्री गादिलिगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

अधिक लागत वाली अर्थ व्यवस्था से निर्यातकों को कठिनाइयां पैदा हुई हैं। सरकार को इस पहलू की भी जांच करनी चाहिये। उत्पादन तथा निर्यात के लिये बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देना होगा। तभी निर्यात में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

सरकार निर्यात पर इतना अधिक शुल्क लगा रही है कि आयात व्यापार ही खतरे में है। पटसन के निर्यात पर इनका अधिक शुल्क लगाया गया है कि उद्योग को पाकिस्तान से प्रतियोगिता का सामना करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि होती रहे। गैर-परम्परागत तथा परम्परागत दोनों प्रकार की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने से निर्यात बढ़ेगा। निर्यात के बारे में कोई भी नीति स्थायी होनी चाहिये।

बी-ट्विल के बारे में उद्योग का कहना है कि उसे 30,000 मीटरिक टन बी० ट्विल के संभरण से 75 लाख रुपये की हानि होगी। सरकार को इतनी लागत की जांच करा कर मूल्य निर्धारित करने चाहिए। वी० ट्विल के मूल्य इस प्रकार मनमाने ढ़ंग से निर्धारित करने तथा उसपर नियंत्रण से उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा। यह निर्यात करने वाला उद्योग है और हमें देखना चाहिये कि निर्यात कम न हो जाये।

54 अथवा उससे अधिक कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। सरकार को उनके लिए वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। यदि मिलें बन्द हो जायें तो निर्धन श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इससे उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ताओं पर भी कुप्रभाव पड़ता है। यदि यह उपबन्ध कर दिया जाये कि जो लाभप्रद मिल अलाभप्रद मिल को अपने हाथ में लेगी, उसे अलाभप्रद मिल की प्रयोग में न लाई गई विकास छूट तथा घिसाई की छूट का लाभ मिलेगा तो वे मिलें अलाभप्रद मिलों को अपने हाथ में ले लेंगी। इससे अलाभप्रद मिलें भी आधुनिक बन जायेंगी तथा उद्योग को बहुत लाभ होगा।

चाय का निर्यात बढ़ने के बजाये कम हो रहा है। श्री लंका की सरकार इससे लाभ उठा रही हैं। हम ब्रिटेन आदि में प्रचार करते हैं परन्तु इसका लाभ श्रीलंका को होता है। भारत को चाय का 2.56 रुपये प्रति पौंड मूल्य मिल रहा है जबकि बिटेन में वह 7.30 से लेकर

42.00 रुपये प्रति पौंड तक बिक रही है। देश को विदेशी मुद्रा की इस हानि से बचाने के लिये चाय को पैकटों में बन्द करके भेजना चाहिए।

कुल निर्यात शुल्क 73 करोड़ रुपये का है। मालूम होता है कि सरकार का निर्णय केवल राजस्व की दृष्टि से किया जाता है। परन्तु विदेश व्यापार को राजस्व की दृष्टि से नहीं नापना चाहिये। निर्यात के लिये प्रोत्साहन देना भी बहुत आवश्यक है।

निर्यात संवर्धन के लिये प्रोत्साहन के मामले में भुगतान करने की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं। प्रक्रियायें सरल बनाई जानी चाहिये। निर्यात संवर्धन अभिकरणों पर पर्याप्त राशि व्यय की जा रही है, परन्तु यह देखना चाहिये कि कौन-कौन से अभिकरण अपना कार्य ठीक तरह कर रहे हैं। कुछ उद्योगों की उपेक्षा की जा रही है। यह आवश्यक है कि उन पर ध्यान दिया जाये और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये।

राज्य व्यापार निगम मुनाफाखोरी कर रहा है। उसे राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिये। कुछ समय पहले भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि समूचे औद्योगिक कच्चे माल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा करना देश के हित में नहीं है। राज्य व्यापार निगम को अपनी गतिविधियां उन्हीं वस्तुओं तक सीमित करनी चाहिये जो राष्ट्रीय हित में हों। राज्य व्यापार निगम जिस किसी भी वस्तु का व्यापार करता है उपभोक्ता को दोहरा बिक्री कर देना पड़ता है। यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि उपभोक्ता को दोहरा बिक्री कर न देना पड़े।

पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आयात स्थानापन्न वस्तुओं के क्षेत्र में अधिक समन्वय की आवश्यकता है। देश में वस्तुओं के पर्याप्त भण्डार होने पर भी उनके आयात की अनुमति दी जा रही है। जस्ते तथा एल्युमीनियम के सम्बन्ध में ऐसा हो रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस प्रकार चलाये जाने चाहिये कि वे अपने लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। ब्रिटेन पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस आदि देशों में आयात करने वाले व्यापारी आयात की जाने वाली वस्तुएं बढ़िया किस्म की चाहते हैं। अतः आयात की जाने वाली वस्तुओं की जांच अच्छी तरह की जानी चाहिये कि भेजी गई वस्तुएं अच्छी किस्म की हों।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ प्रयत्न करना चाहिए कि प्रशुल्क कम हों। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि उन देशों के साथ व्यापार हमारे देश के अहित में न हो। उन देशों में राज्य का एकाधिकार है। हमारे देश में प्रतियोगिता होने के कारण वे हमसे सस्ता खरीदते हैं। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि हम तकनीकी जानकारी का निर्यात करने के योग्य हो सके हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री भाषण समाप्त करें । अब माननीय सदस्य के कोई शब्द रिकार्ड में शामिल नहीं होंगे ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : * * ।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : While supporting the demands of Ministry of Foreign Trade and Supply, I would like to draw your attention to the imports into and exports from our country. 371 businessmen were given import license on the condition that they would export 10 per cent of their products, but certain businessmen are not making substantial export. Such traders should be severely dealt with.

A conference of Asian Countries was held in Bangkok for accelerating the trade. Such conferences should be held periodically. There should be greatest cooperation amongst Asian countries for accelerating mutual trade.

I would like to congratulate you for reduction in imports and increase in exports. The export of iron ore, minerals, art silk and railway lines is a major commercial step and is commendable.

A large number of items are smuggled into and from our country. Our goods are smuggled into other countries through Nepal. This results in loss of valuable foreign currency. We should stop this illicit trade but at the same time we should do nothing to spoil our relations with Nepal.

Ban on import of Silk and Rayon yarn is a step in the right direction. We should, however, increase our export of silk so that we could earn valuable foreign exchange.

Our country is a major producer of textile goods. We should therefore try to find markets for the same. Japan is our biggest customer of iron ore. However, U.S.S.R. has found iron ore in Siberia and agreement is likely to be entered into between Japan and U.S.S.R., which will affect our export of iron ore to Japan. Australia is also likely to be your competitor in this field. You should, therefore, try to find out new markets, for the same.

The Minister should consider the question of State Trading Corporation from the national angle and nationalise export and import. I am happy that import has been stopped and the export will be done through State Trading Corporation. We should trend on the path of democracy by introducing nationalisation.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : In the report of Foreign Trade Department, economic survey and budget speech of the Finance Minister, and newspaper reports it is stated that India's export is on the increase. But in my opinion the speed of increase of our exports is very slow. It is due to our foreign trade being in the hands of private sector. Another reason for the same is the control of private sector over the production of exportable items. In order to stimulate our export, Government should nationalise import and export trade and bring under its own control the production of exportable items.

One reason of our continuing a member of Commonwealth is that we want Commonwealth

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

preference in the matter of trade. But United Kingdom, which is also a member of the Commonwealth, is taking steps that are detrimental to our export trade to that country and particularly the export of cotton textiles. That country has recently raised 15 per cent tariff on textiled goods imported from Commonwealth countries.

Our export trade with other capitalist countries like U.S.A. has not increased substantially, the basic reason of which is production of exportable items being in the hands of private sector. The price of our goods is also more as compared to the price of goods exported by other countries. We also do not pay much attention to publicity.

Our export trade with Communist countries has also not increased with the pace with which it should have increased. It is because those countries think that we encourage capitalism in our country and are not progressing in the direction of social welfare.

Foreign tea, rubber and coffee planters send away the profits to their countries every year. That amount should be utilised in this country. You should bring about a radical change in your policy. You should also take active steps for trade with Afro-Asian countries.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री एम० बी० राणे (भड़ौच) : योजना आयोग तथा निर्माताओं के बीच तालमेल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि उसके निर्यात की क्षमता पर निर्भर करती है। निर्यात के सम्बन्ध में पहला नियम यह है कि अच्छे किस्म तथा स्तर की वस्तुओं का निर्यात किया जाना चाहिए तथा निम्न स्तर की वस्तुओं को देश के अन्दर खपत के लिए रखा जाना चाहिए।

कुछ निर्माता आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत मिले संरक्षणों का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरणतया, कारों के मामले में निर्यातक संरक्षण का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा करना राष्ट्र के हित में नहीं है। जब हैनरी फोर्ड ने कारों का निर्माण शुरू किया था तो उन्होंने राष्ट्र को वचन दिया था कि वह कारें इतनी सस्ती कर देंगे कि श्रमिक भी अपने काम पर कारों पर जायेंगे। उन्होंने यह वचन पूरा किया। परन्तु हमारे कार निर्माताओं ने मूल्य बढ़ाये हैं और घटिया किस्म की कारें बनाने लगे हैं। या तो संरक्षण वापिस लिया जाना चाहिए या उन्हें कार का मूल्य गिराने तथा उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। हमारे सांख्यकीय विभाग को विभिन्न वस्तुओं की निर्माण लागत की जांच करनी चाहिए। तभी हम यह मालूम कर सकते हैं कि हमने कितना लाभ अर्जित करना है।

हमने बन्दूकों तथा बारूद का आयात बन्द कर दिया है। भारत में लाखों राइफलें बेकार पड़ी हैं तथा बारूद की कमी के कारण उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है तथा बारूद का आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सूती कपड़ा आयुक्त की नीति इस प्रकार की है कि जब कृषकों के पास कपास होती है तो मूल्य कम हो जाते हैं और जब मिल मालिकों के पास कपास होती है तो मूल्य अधिक हो जाते

हैं । उनकी नीति कृषकों के हित में नहीं है । इस तरह जो लाभ कृषकों को मिलना चाहिए वे मिल मालिक ले जाते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषकों को कोई हानि न हो कोई न कोई तरीका निकाला जाना चाहिए । इसके लिए किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा कोई समिति होनी चाहिए ।

श्री कृ० गु० देशमुख (अमरावती) : मैं प्रारम्भ में ही श्री भगत को निर्यात संवर्धन का कार्य बहुत अच्छा करने पर बधाई देना चाहता हूं ।

1968 में हमारा कुल निर्यात 1315 करोड़ रुपये का था जो सदा से अधिक है । अधिक निर्यात तथा कम आयात के कारण भारत का प्रतिकूल व्यापार संतुलन जो 1967 में 885 करोड़ रुपये था । 1968 में कम होकर 551 करोड़ रुपये रह गया है, परन्तु पटसन का सामान, चाय, काफी तथा अभ्रक जैसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है । इन वस्तुओं से विदेशी मुद्रा अर्जित होने के कारण वे बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं । इन वस्तुओं के और विशेष रूप से चाय और काफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए । विदेशों में इन वस्तुओं का उपयुक्त प्रचार न करना हमारी भारी कमी है ।

बागों में पैदा होने वाली कुछ वस्तुओं के निर्यात की गुंजाइश बहुत है, विशेष रूप से नारंगी, नींबू, आम, केला तथा अनानास । इन वस्तुओं को वातानुकूलित परिवहन में निर्यात करने के लिए उचित सुविधाएं दी जानी चाहिये ।

सरकार ने कपास की बिल्कुल उपेक्षा की है । कपास के उत्पादन का कार्य तो कृषि मंत्रालय के अधीन है जब कि उसे बेचने तथा मूल्य निर्धारित करने का काम विदेश व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत है । दोनों में तालमेल न होने के कारण कृषकों को हानि हो रही है । गत वर्ष निरन्तर मांग के कारण कपास के मूल्य की अधिकतम सीमा हटाई गई थी । आन्दोलन के बाद समर्थन मूल्य भी गत वर्ष 2 से 5 प्रतिशत किया गया था किन्तु सूती कपड़ा उद्योग को दी गई रियायतें बहुत अधिक हैं क्योंकि इस उद्योग का बहुत प्रभाव है । मंत्री को कृषकों का भी ध्यान रखना चाहिये । सरकार ने कपड़े के उत्पादन पर नियंत्रण 40 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया है तथा कपड़े का नियंत्रित मूल्य भी बढ़ा दिया है । किन्तु कपास के नियंत्रण मूल्य को क्यों नहीं बढ़ाया गया । इसे कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए । देश को आयात किये जाने वाले कपास के लिए बहुत अधिक मूल्य देने पड़ते हैं । जब भी मूल्यों में मामूली-सी वृद्धि होती है, विदेशी कपास का आयात किया जाता है । क्षेत्रीय उपबन्ध भी लगाये गये हैं जिसके कारण कपास एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाई जा सकती । विदर्भ से कपास खानदेश नहीं ले जाई जा सकती और खानदेश से मैसूर नहीं भेजी जा सकती । इस तरह मूल्य कम रखे जाते हैं ।

कृषकों के लिए ऋण पर प्रतिबन्ध केवल मूल्य कम रखने के लिये लगाये हैं । जब भी कपास के मूल्यों में थोड़ी-सी वृद्धि होती है, व्यापारियों पर यह प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं । संतोष की बात है कि घाटे में जा रही मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय सूती

कपड़ा नियम गठित किया है। किन्तु हमारा अनुभव यह है कि कई मामलों में निगम जटिल प्रक्रिया के कारण घाटे में चल रही कई मिलों को अपने हाथ में नहीं लेता। इसलिए, सरकार को प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बड़नेरा मिल को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत ले लें।

श्री विश्वम्भरन् (त्रिवेन्द्रम) : इस सभा में आधे घंटे की चर्चा का उत्तर देते हुए वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत 15.5 करोड़ रुपये की नारियल जटा विकास योजना का स्वागत किया है, परन्तु उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को इस योजना को राज्य योजना में सम्मिलित करके रिजर्व बैंक से ऋण लेने का प्रयास करना चाहिए। इस योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित न करने का कारण यह बताया गया है कि यह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की कसौटी के अनुसार नहीं है परन्तु केन्द्र द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार उद्योग अपने आप को बदल नहीं सकती इसलिए, सरकार को अपनी कसौटी में परिवर्तन करना चाहिए जिससे इस उद्योग को भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की श्रेणी में शामिल किया जा सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर सरकारी क्षेत्र में नारियल जटा उद्योग के विकास की जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद् द्वारा पारित नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 द्वारा उद्योग का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम इसीलिये पारित किया गया था कि संसद् की दृष्टि में राज्य सरकार नारियल जटा उद्योग की समस्याओं को हल करने में असमर्थ सिद्ध हुई है।

परन्तु लगता है कि वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री नारियल जटा उद्योग के विकास के बारे में गम्भीर नहीं है। उनका कहना है कि इस उद्योग के लिये धन खाद्य मंत्रालय अथवा औद्योगिक मंत्रालय की ओर से आना चाहिए। 21 फरवरी को एर्नाकुलम में हुए सम्मेलन में जो नारियल जटा उद्योग सहकारी संस्थाओं को संस्थागत वित्त देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये था, नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के परामर्श के बिना कतिपय निर्णय लिये गये थे। परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार वर्तमान नारियल जटा उद्योग की सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक अथवा अन्य बैंकों से पूरी शर्तें पूरा करने के बाद भी ऋण न मिल सकेंगे।

यदि एर्नाकुलम सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित संस्थागत वित्त सम्बन्धी प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया तो केरल सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार नारियल जटा सहकारी समितियों को स्थापित करने की गुंजाइश नहीं रह जायेगी। यदि सरकार नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के लिये संस्थागत वित्त उपलब्ध करना चाहती है तो यह सरकारी सहायता का अनुपूरक होना चाहिए परन्तु सरकारी वित्तीय सहायता के स्थान पर कमी नहीं होना चाहिए।

यद्यपि मंत्री महोदय नारियल जटा उद्योग के प्रति अपनी मौखिक सहानुभूति व्यक्त करते

हैं परन्तु भारत सरकार के मंत्रालय के कई विभाग केरल सरकार की योजना को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तो सरकारी क्षेत्र में या सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात गृह स्थापित करने के भी विरुद्ध हैं। यदि सरकार ऐसा करेगी तो नारियल जटा उद्योग के 5 लाख कर्मचारियों को भारी विपत्ति में डालना होगा।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस कथन पर बड़ा आश्चर्य है कि सरकार केरल सरकार द्वारा स्थापित निर्यात गृहों की स्थापना के विरुद्ध है।

श्री विश्वम्भरन : यदि ऐसा है तो हमें बड़ी खुशी है। मंत्री महोदय जल्दी ही केरल की यात्रा करें तथा खुले दिल एवं दिमाग से इस उद्योग की कठिनाइयों को समझें। मेरा सुझाव है कि नारियल जटा उद्योग की विकास योजना के बारे में अन्तिम निर्णय मंत्री महोदय की केरल यात्रा के बाद ही लिया जाये।

मत्स्य पालन से वैदेशिक व्यापार मंत्रालय का गहरा सम्बन्ध है यद्यपि मुख्यतः खाद्य मंत्रालय के हाथ में ही इसका प्रशासनिक नियंत्रण है। जिन क्षेत्रों से आय प्रतिवर्ष बढ़ रही है और पिछले वर्ष तो यह 20 करोड़ रुपये से भी अधिक थी। भारत में मत्स्य उत्पादकों से कुल विदेशी मुद्रा का 85 प्रतिशत माल केरल से प्राप्त होता है। मुझे इस बात का अभिमान है। अब इस उद्योग में कार्य कर रहे हमारे मछुओं ने मछली पकड़ने के लिये मशीनी तरीके अपना लिये हैं परन्तु अभी तक उन्हें मत्स्य नौकायें, शक्ति चालित नावें और अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होते। मीन क्षेत्रों के लिये केरल की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि और निर्यात में 100 प्रतिशत की वृद्धि की आशा की जाती है। बीस वर्षों में पांचगुना उत्पादन तथा 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस योजना को अपना हार्दिक सहयोग दें। इसके साथ-साथ वैदेशिक कार्य मंत्री उत्साही मछुओं को मशीनी नावें, शक्ति चालित नौकायें आदि उपकरण उपलब्ध करायें।

भारत सरकार का पूर्ति विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है। लोक लेखा समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी तथा वर्षों की जांच के बाद भी उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं की गई जो सड़क बनाने वाले इंजन के कुप्रसिद्ध सौदे में सरकार को दो करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायी हैं। इस मामले में लोक लेखा समिति ने एक विशिष्ट रिपोर्ट पेश की थी परन्तु सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही करने की चिन्ता नहीं की। कदाचित सरकार उन अधिकारों के सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन में सड़क-रोलर सौदे के बारे में कहा था कि इस सम्बन्ध में विलम्ब करने से कागजात तथा अधिकारियों में फेर बदल कर दी जाएगी तथा सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की।

इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट पेश

करने में $2\frac{1}{2}$ वर्ष लगाये। इस मामले का सर्वाधिक दोषी व्यक्ति पूर्ति और निपटान महानिदेशक श्री एन० ई० एस० राघवचारी हैं जिन्होंने पिछले पूर्ति और निपटान महानिदेशक तथा अपने विधि मंत्रालय के निर्णयों की उपेक्षा करके 90 प्रतिशत अग्रिम के दिये जाने का आदेश दिया था। उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये तथा इस कलंकपूर्ण से सम्बन्धित अन्य प्राधिकारियों के साथ उन पर भी मामला चलाया जाना चाहिये क्योंकि उनके कारण ही सरकार को दो करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : मंत्रालय की रिपोर्ट को देखकर मुझे यह विश्वास हो जाता है यह मंत्रालय कुशलता तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में अपनी परम्परा को यथावत बनाये हुए है। मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

चाय उद्योग के बारे में कुछ शब्द कहते हुए मुझे कहना पड़ता है चाय उद्योग वर्ष 1968 से बहुत गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। सदस्यता के रूप में सरकार ने प्रथम अक्तूबर 1968 से इस पर निर्यात शुल्क रियायत को बढ़ाकर 24 पैसे से 35 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत उत्पादन शुल्क के 20 प्रतिशत के विशेष उत्पादन शुल्क को भी समाप्त कर दिया है। साथ ही बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत भी कुछ और रियायतें दी गई हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रकार की अनेक रियायतें देने से इस उद्योग का मत है कि जब तक उत्पादन या निर्यात शुल्क को और कम नहीं किया जाता तब तक यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में व्याप्त प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर सकता।

यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले 10 वर्षों में प्रायः 66,000 एकड़ भूमि में चाय पैदा की जाने लगी है तथा इससे 800 लाख किलोग्राम की अतिरिक्त उपज हो रही है। इतना उत्पादन इस उद्योग ने बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हुए किया है।

वर्ष 1965 में सरकार ने विकास भत्ता देना आरम्भ किया था परन्तु कई बागान के मालिक इस रियायत का लाभ नहीं उठा सकते। क्योंकि विकास पर उन्हें इतना अधिक जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है वह उन्हें कई वर्षों बाद जाकर प्राप्त होता है। अतः जब उनके पास धन ही नहीं है तो वे खर्च कहां से करें।

ऋण प्रदान करने की भी यद्यपि सुविधा है। छोटे-छोटे अनेक चाय बागों को ऋण प्राप्त होता है परन्तु क्योंकि उनकी सफलता जलवायु तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर ही निर्भर करती है अतः वे इस ऋण का भुगतान नियत समय पर नहीं कर पाते। इस प्रकार यह ऋण योजना भी प्रायः असफल ही रही है। इसलिये वे लोग चाय उद्योग मूल्यह्रास रियायत जैसे कुछ अन्य सुविधायें मांगते हैं। अन्य उद्योगों में यह रियायत दी जाती है। अतः सरकार यह रियायत देने के बारे में सहानुभूति से विचार करे।

अभी हाल ही में पुनः चाय रोपण करने के लिए 3500 रुपये से 4500 रुपये प्रति हैक्टेयर

तक के उपदान की भी स्वीकृति दी गई है। यद्यपि यह धनराशि नगण्य नहीं है परन्तु श्रीलंका में यह उपदान शायद 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है ।

इस उद्योग की सफलता वैज्ञानिक अनुसन्धानों के साथ सम्बन्धित है। यद्यपि हमारा चाय अनुसंधान संस्थान खूब वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है परन्तु वहां कार्य करने वाले शास्त्रियों, अनुसंधान कर्मचारियों, तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों को उनके कार्य के अनुसार वेतन नहीं मिलता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके वेतनमानों में वृद्धि करने के बारे में विचार करे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संरक्षण में भी इस संस्था को काफी लाभ पहुंचेगा।

सरकार द्वारा नियुक्त चाय वित्त समिति ने भी इस उद्योग की सहायता करने की दृष्टि से कई सुझाव तथा सिफारिशें दी हैं। इस समिति के अतिरिक्त एक बरुआ समिति भी गठित की गई थी परन्तु सरकार ने उसकी सिफारिशों को भी न तो प्रकाशित किया है और न ही क्रियान्वित ही किया है। सरकार को चाहिये कि इस उद्योग की सहायता व वृद्धि करने के लिये वह उन सिफारिशों को लागू करे।

हमें प्रसन्नता है कि वर्ष 1968 के दौरान चाय का उत्पादन आशानुसार ही हुआ है। यह उत्पादन 4030 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया है। परन्तु खेद की बात है कि इसका निर्यात बहुत ही कम हुआ है अर्थात् केवल 1090 किलोग्राम या यों कहिये कि कुल उत्पादन के 50% से भी कम। सरकार को चाहिये कि इस उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करे। इस समय दी जा रही अन्य सुविधाओं के साथ-साथ सरकार प्रत्यय पत्र प्रणाली पुनः चालू करे, उत्पादन शुल्क की स्थगित अदायगी की अनुमति दे तथा निर्यात लाभ पर आय-कर की छूट देने की व्यवस्था भी पुनः चालू करे। पश्चिम बंगाल का प्रवेश-कर बहुत अधिक है। सम्भव है केन्द्र सरकार के कहने पर पश्चिम बंगाल सरकार उस दर को कुछ कम कर दे।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय बिक्री के बारे में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की मैं प्रशंसा करता हूं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि भारत तथा श्रीलंका की सरकार ने मिलकर कार्य करना स्वीकार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संस्था से भी इस देश को सहायता मिलेगी।

सरकार इस संस्था की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार करे।

अन्त में, कुछ शब्द मैं नीलाम के बारे में भी कहना चाहूंगा। 20 वर्ष बाद दूसरा नीलाम केन्द्र कोचीन में खोला गया था। इसके बाद ही अन्य नीलाम गृह खुले। असम की सरकार तथा वहां के लोग भी गोहाटी में एक नीलाम केन्द्र खुलवाने पर जोर देते आते रहे हैं। वहां काफी चाय पैदा होती है। और वहां एक नीलाम केन्द्र बन जाने से विदेशों की मंडियों में चाय का व्यापार और भी सरल हो जायेगा। साथ ही प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय पत्तन भी होना चाहिये।

श्रीमती सुधा वी० रेड्डी : अप्रैल, 1968 तथा फरवरी, 1969 के बीच के दस महीनों में, हमारे निर्यात और पुनः निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। यह धनराशि 1034 करोड़ रुपये तक पहुंची है तथा पिछली बार की इसी अवधि की तुलना में 12-6 प्रतिशत अधिक है। विशिष्ट बात यह है कि ये निर्यात अवमूल्यन के पहले की अवधि से निर्यात भी 6.7 प्रतिशत अधिक है। इसमें 82योगदान ऐसी पदों का है जो भारत पारम्परिक रूप से निर्यात नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं।

परन्तु साथ ही यह जानकर भी खेद होता है कि पारम्परिक रूप से निर्यात होने वाली मदों के बारे में हमारा निर्यात बेहद कम है। इस सम्बन्ध में बातें तो काफी बनाई जा सकती हैं परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि अप्रतियोगी मूल्य निर्धारित करके हम अपने पारम्परिक मार्किट को गिरा रहे हैं जबकि हम देखते हैं कि इन पारम्परिक मदों की मांग और उपभोग में कतई कमी नहीं हुई है बल्कि वृद्धि ही हुई है। अतः हमें नई-नई मन्डियों को खोजने के संदर्भ में प्रयत्न करने चाहिये। यह खुशी की बात है कि अनेक देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है परन्तु पश्चिम यूरोप के साथ हमारे व्यापार में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। यह एक स्पष्ट बात है कि परस्पर आर्थिक सम्बन्ध परस्पर राजनयिक सम्बन्धों को भी सुधारते हैं। हमें अपने पारस्परिक राजनयिक सम्बन्धों में वृद्धि करनी चाहिये। अनेक देशों के सम्बन्ध उनसे विभिन्न विचार धारा रखने वाले देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध हैं जैसे जापान चीन से 700 लाख डालर का व्यापार करता है।

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

बेबकोक ने कहा है कि व्यापार धर्म है और धर्म एक व्यापार है। भारतीयों को भी अपने व्यापार का कोई निश्चित चरित्र और स्तर बनाना चाहिये। हमारी सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में कुछ प्रकार के नियंत्रण लागू करे। वह ऐसे व्यापार को बढ़ावा दे जिसमें व्यापारी अपनी वस्तुओं का स्तर को निश्चित रखें तथा समय-सूचियों व किस्म के स्तर को बनाये रखें। इससे हमारे राजनयिक सम्बन्ध भी बेहतर होंगे। हमें कुछ ऐसी किस्म की मदों के व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहिए जो स्वतः ही मार्किट में चलें तथा जिनसे दूसरे देशों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध अच्छे रूप में स्थापित हों।

साथ ही हमें लातीनी अमेरिका से भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। केवल संयुक्त अरब गणराज्य से, अन्य अरब देशों से ही नहीं वरन् मोरक्को, एलजीरिया, टुनीशिया, लिबया तथा लेबनान से भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए।

अपने व्यापार का विकास करने के लिये हमें परम्परागत केन्द्रों के माध्यम से करना भी अन्ततः छोड़ना ही होगा। हमारा इतना व्यापार केवल लन्दन के द्वारा ही क्यों हो ? जबकि हम जानते हैं कि वस्तुतः उसका कितना महत्व है। इंग्लैंड को तो योरुपियन कॉरन मार्किट में प्रवेश

तक भी नहीं मिला। इसके स्थान पर हमें फ्रांस से अपना व्यापार बढ़ाना चाहिये। संयुक्त अरब गणराज्य के माध्यम की बजाये हम सीधे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों से व्यापार क्यों न करें? साथ ही हमें इसराइल से व्यापार भी करना चाहिये तथा उनसे तकनीकी जानकारी भी प्राप्त करना चाहिए।

अधिकतम व्यापारियों की शिकायत है कि निर्यात की प्रगति करने के संबंध में कई प्रक्रिया सम्बंधी कठिनाइयां हैं। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय इन प्रक्रियाओं को शीघ्रातिशीघ्र नियमित तथा सरल करेगा।

अब सरकारी उपक्रमों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। उनके कार्यों में अधिकाधिक विविधता आनी चाहिए। तभी वे जीवित रह सकेंगे, तथा दूसरे देशों में अपना स्थान बना सकेंगे। यही बात एकाधिकारी व्यापारियों के लिये भी लागू होती है। केवल एक ही वस्तु में सदा बुराई लेने की बजाय उन्हें अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण करके अपना महत्व बढ़ाते जाना चाहिए।

हमारे अन्दर यह भी एक गलत बात है कि हम हर चीज का सदा अच्छा पक्ष ही देखते हैं और अकसर इस सम्बन्ध में गलतियां कर जाते हैं। मद्रास के सर्जीकल इन्स्ट्रूमेंट्स कारखाने में जो उपकरण बनाये जाते हैं वे भारतीय विशेष विवरण के अनुसार बनाये जाते हैं तथा स्वयं हमारे ही देश में लोकप्रिय नहीं है। परन्तु अब यह एक खुशी की बात है कि एक विशेषज्ञ सर्जन समिति ने प्रबन्धकों को परामर्श दिया है कि वे ऐसे औजार बनाये जो भारतीय मानकों से स्वीकार हों।

इससे केवल यह सिद्ध होता है कि न केवल मंत्रालय द्वारा बल्कि सभी औद्योगिक संस्थानों द्वारा यथोचित औद्योगिक योजनायें तैयार की जानी चाहिये। तथा विभिन्न व्यापार-संस्थानों द्वारा नियत स्तर अपनाने चाहिये।

मेरा सुझाव है कि मंत्रालय यथासंभव शीघ्र निर्यात-आयात बैंक की संस्था पर दबाव डाले और इस बात को सुनिश्चित करे कि निर्यात प्रचार की खामियां दूर की जायें।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर प्राप्त बातों का लाभ उठाया जाना चाहिये।

Shri Hem Raj (Kangra) : I am grateful for the opportunity you offered me to express my views. I would like to refer how the Tea Board has functioned in the north-west part in which Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh are included. The report for this year indicates that the income amounted to Rs. 1,70,37,315 and the expenditure amounted to Rs. 1,74,38,537. The administrative expenses amounted to Rs. 37 lakhs while only Rs. 23 lakhs have been incurred on tea development. It is essential that more money should be spent upon the development of tea.

As regards Himachal Pradesh, no doubt some experiments have been made there for the cultivation of tea. But it will take some time to produce results.

There is wide difference in tea production per hectare and its prices in eastern and western parts of the country. But still the Government have placed these parts in the same Excise zone. It is not justified. A separate Excise zone should be formed for Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. In case the experiments being made at present prove successful, a zone should be formed of these two areas.

The main market of green tea produced in Himachal Pradesh and Dehradun is in Afghanistan. The land route has been closed since Indo-Pak conflict and the tea has to be exported via Bombay and Aden as a result of which the transport cost goes high. If arrangements are made for a direct air route for export of tea to Afghanistan, we can again capture our market by selling tea at cheap rates.

Himachal Pradesh is a backward area. A techno-economic survey should be conducted there so that the under-developed areas may also be developed.

A tea institute has been established in Assam for imparting training in tea cultivation. Since admission in this Institute will be made on the basis of all India competition, the students belonging to backward hilly areas would not be able to get admission there. Therefore, some arrangements should be made so that the students of tea producing areas may get admission and after being trained, they may help in the development of their areas.

श्री को० सूर्यनारायण (एलुरू) : आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उद्योग में इस समय एक गम्भीर समस्या है । भारत सरकार कई वर्ष से तम्बाकू के निर्यात से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करती रही है परन्तु अब मन्दी आ गई है और विदेशी मण्डियां तम्बाकू नहीं खरीद रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार वहां के उत्पादकों की सहायता नहीं कर रही है। अनेक शिष्टमण्डल विदेशों में भेजने के बावजूद आन्ध्र प्रदेश से एक मीटरी टन तम्बाकू भी नहीं भेजा जा सका है और करोड़ों रुपये का तम्बाकू खेतों में और गोदामों में पड़ा है। यदि वह नहीं खरीदा जाय तो अगले वर्ष किसान तम्बाकू पैदा नहीं करेगा।

पिछले वर्ष जब तम्बाकू पर ज्यादा कर थे, तो हमने सरकार के पास अध्यावेदन किया था। तब सरकार ने कहा था कि किसान तम्बाकू पैदा न करें। यदि सरकार चाहती है कि तम्बाकू पैदा न हो तो वह उस पर रोक लगा सकती है। सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए। उत्पादक को मालूम होना चाहिए कि आगामी वर्ष के लिये क्या योजना है।

पिछले साल का लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के मूल्य का 12,500 मीटरी टन का स्टाक अभी उत्पादकों के पास है। यदि सरकार उसे खरीद लेती है और मण्डियां ढूंढती है तो उससे क्या हानि होगी। आन्ध्र प्रदेश के उत्पादकों और व्यापारियों ने पिछले दो वर्षों में अनेक बार मण्डियों तथा अन्य बातों के बारे में अपनी शिकायतें सरकार को भेजी हैं। सरकार को मण्डियों की खोज अवश्य करनी चाहिए। सबसे बड़ा खरीदार ब्रिटेन है। इसके अलावा एक या दो अन्य देश अवश्य खोजे जाने चाहिए।

देशी तम्बाकू की प्रति क्विंटल कीमत 300 से 400 रुपये है और उस पर 1300 से 1400 रुपये तक उत्पादन शुल्क लगता है। इतना कर अन्य किसी देश में नहीं लगता क्योंकि उत्पादकों के संघ हैं और मंत्रालयों में प्रतिनिधि भी होता है। उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी उनके प्रतिनिधि और संघ की है।

कृषि मंत्री, वैदेशिक व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री को मिल कर तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस प्रकार का समन्वित प्रयास न किया गया तो तम्बाकू उत्पादकों की समस्यायें हल नहीं होंगी।

श्री शंकरानन्द (चिकोडी) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। विदेश व्यापार में एक विशिष्ट वर्ग की ही अभिरुचि है और वही इसमें पनप रहा है।

विदेश व्यापार में हमारी रुचि का कारण यह है कि हम देश के विकास के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं, देश के विकास का अर्थ है, कल्याणकारी राज्य बनाना, सब लोगों को समान अवसर प्रदान करना तथा दलित लोगों को अन्य लोगों के स्तर तक लाना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये वैदेशिक व्यापार का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु मेरा विचार है कि सरकार को यह सुझाव स्वीकार्य नहीं होगा। यह सही है कि सरकार इस देश को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है। परन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती। विदेश व्यापार के राज्य के कल्याण के लिये सर्वोत्तम परिणाम निकलते रहने चाहिये।

वैदेशिक व्यापार अधिकांशतः द्विपक्षीय आधार पर किया जाता है और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था के कारण हमें काफी लाभ हुआ है। परन्तु एक खतरा यह है कि पूर्व यूरोपीय देश, द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था के कारण वस्तुएं खरीद कर अन्य देशों को बेचते हैं। रूस भी इसका अपवाद नहीं है। जो काफी रूस को बेची गई थी, वह अन्य देश में पाई गई। काफी बोर्ड ने इस पर आपत्ति भी की। इसके लिये राजनैतिक दबाव भी डाला गया।

माननीय मंत्री जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि मूल्यों का निर्धारण किस आधार पर किया गया। उन्होंने इतना कहा कि मूल्य एक ही समय अधिक अथवा कम अथवा अधिक और कम हो सकते हैं।

मंत्रालय विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कर रहा है। सरकार को राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार और कदाचारों तथा अन्य बहुत सी बातों की जांच करानी चाहिए। विदेशी मुद्रा का जो अत्यधिक अपव्यय होता है, उसे रोकना चाहिए।

विश्व की मण्डियों में चाय की अधिक सप्लाई के कारण, जो ब्रिटेन में चाय के बहुत ज्यादा स्टाक से स्पष्ट है, अब संकट की स्थिति पैदा हो गई है जिसका परिणाम यह है कि यदि

पौंड अवमूल्यन को भी सामने रखा जाय तो 1968 में मूल्यों में प्रति किलोग्राम 0.84 रुपया कमी हुई। उसी अवधि में उत्तर पूर्वी भारत में चाय की उत्पादन लागत प्रति किलोग्राम 0.34 रुपया अर्थात 9.89 करोड़ रुपये बढ़ गई। ज्यादा लागत और कम मूल्यों का सामूहिक प्रभाव यह पड़ा कि उत्तर पूर्वी भारतीय चाय उत्पादकों की आय में प्रति किलोग्राम 1.18 रुपये अथवा 34.32 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसकी तुलना में केवल 0.34 रुपया प्रति किलोग्राम का लाभ दिया गया। परन्तु उर्वरकों और तेलों पर, जो चाय बागान के लिये आवश्यक हैं, कर लगाने से वह समाप्त हो गया।

अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क कम करने के बारे में विचार करे और चाय के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये एक दीर्घकालीन समाधान निकालें। सरकार उन व्यक्तियों को, जो चाय उद्योग में पारंगत हैं और जिन्हें निर्यात संवर्धन के तरीकों की जानकारी है, अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करे।

Shri N. R. Deoghare (Nagpur) : The handloom industry is a very important national industry. It is the second greatest home industry after agricultural industry. Unfortunately, no member has expressed his views on handloom industry. Seventy five lakh weavers have been working on 30 lakh looms. The number of weavers in this country is about 2 crores who have been earning their livelihood from this industry. This industry is meeting the one-third demand of cloth in the country and this industry has now started even exporting some cloth. But in the report of this Ministry, having some reference about export, nothing has been said. The Reserve Bank of India is giving only Rs. 5 crores as loan to this vital and big industry which is quite inadequate. This industry has received ample encouragement in second and third Five Year Plans and it has made some progress. But in the Third Five Year Plan, a new scheme was introduced. In the cooperative sector, there are 14 lakh looms and if Rs. 500 are given to each loom, as has been decided, an amount of Rs. 20 crores would be required. As a result of it, those societies, which have no capital, are being closed and the condition of weavers is worsening. There are atleast 10 lakh weavers in the cooperative sector. Therefore, it is essential that an amount of Rs. 20 to Rs. 30 crores is given by Government to cooperative societies. A sum of Rs. 5 crores for such a big industry is quite inadequate. These people cannot even resort to strike because there is no organisation of these people, and they are not literate. Government should pay attention towards them.

The Powerlooms Enquiry Committee, under the chairmanship of Shri Ashoka Mehta, had recommended to Government that the manufacture of coloured saris should be reserved for handlooms. The Commerce Department accepted the recommendation on 2nd June, 1966 and decided that the powerlooms in the country should stop production of coloured saris by 2nd June, 1969.

The circular issued by the Textile Commissioner is not being implemented. According to Ashoka Mehta Committee there are 1,75,000 powerlooms in the country. It has been mentioned in the report that 74,000 powerlooms are only in Maharashtra. But the Koglekar Committee formed by Maharashtra Government has remarked that there are 95,000 powerlooms in Maharashtra. Out of these 95,000 powerlooms 50,000 powerlooms are engaged in the pro-

duction of coloured saris only. One powerloom is equal to eight handlooms. These handlooms cannot compete with powerlooms.

I am not opposed to powerlooms. The handloom weavers should be provided with powerlooms as has been recommended by Ashoka Mehta Committee in their report. In the end, I would again request that taking into consideration all these points, the production of coloured saris by powerlooms should be banned.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : सभापति महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि.....

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा लेंगे। माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का विकास तथा विनियमन*

DEVELOPMENT AND REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLONIES IN DELHI**

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The present population of Delhi is about 40-50 lakh and out of this about 10-12 lakh people live in 208 such colonies as are termed unauthorised and where they live in sub-human conditions. No civic amenities have been provided there. It is shocking to note that while extravagant expenditure is incurred in the New Delhi areas on unwanted things, the people in unauthorised colonies are deprived even of the basic necessities of life. This projects a bad picture of the capital and demeans our image even in foreign countries. The people in these colonies belong to the most vulnerable sections of the society and it does not behove the Government to meet out step-motherly treatment to them. Three or four months back the Hon. Minister had promised that 103 colonies would be regularised. I want to know their position now. The remaining 105 colonies should be regularised immediately. The Government come to the rescue of the poor people to save them from the clutches of the cruel colonisers. Hence my submission is that a dead line should be laid for the regularisation of the unauthorised colonies and civic amenities should be provided there without losing any time. If the Government is not in a position to meet the expenditure involved in this, it can raise the development levy to Rs. 25 or Rs. 50 from Rs. 10, but the sword of Damocles which is constantly hanging over the heads of the inhabitants of these colonies should be removed, their fears should be dispelled. May I know whether Government propose to appoint a Committee of Members of Parliament in this regard?

Secondly, something should be done to bring about coordination between the D.D.A., the Corporation and Delhi Administration. Thirdly, a Development Fund of Rs. 10 crores should be created for these areas.

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : In these colonies the houses have been built in such a

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion.

manner that no space has been left for roads etc. Government's sanction had not been taken for these colonies. Still we decided to regularise the houses built upto 1959. The constructions went on proliferating. We extended this limit to 1962 and then again to 1967. For regularisation of a colony we require land for schools, roads etc. If these facilities are not given the administration can do precious little. It is wrong to say that there is no coordination. I also realise that a house once constructed should not be demolished unless it is necessary to do so and even in that case the owner should be adequately compensated by giving him an alternative plot in the same colony. We have already spent Rs. 1.50 lakh on the 103 colonies and the expenditure on the other three colonies will be Rs. 23,44,500. They are Arjun Nagar and Krishan Nagar. In such matters one should not proceed on party lines. I assure that regularisation can be done but for this proper facilities should be provided and arrangements made. When we incurred expenditure, the Delhi Municipal Corporation objected to our levying the Development charges. If the Development charges are paid we are prepared to grant the right of ownership.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): May I know the time by which the Metropolitan Plan will be enforced so that the unauthorised colonies can be regularised and whether there is any interim plan for giving long range development credit to the inhabitants of these colonies ? Secondly, by what time underground trains will be run in these colonies as it would improve the transport position considerably ? Do Government propose to construct a Speaker's Corner in the capital on the pattern of Hide Part in London ?

Shri K. K. Shah: As regards the regularisation of unauthorised constructions, we are prepared to regularise them, but they must first pay the Development charges. As regards the question of long range lease, we are going to give lease of 99 years after which they will become the owners. As regards the tube railway, I will convey this suggestion to the Railway Minister. As regards the Speaker's Corner, no separate land for this need be earmarked, as there is already enough space in the Plan.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 17 अप्रैल, 1969/27 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 17, 1969/Chaitra 27, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 29-7-69—600